खण्ड-129, अंक-3
शनिवार, 24 माघ, शक संवत् 1875
(13 फरवरी, 1954 ई0)

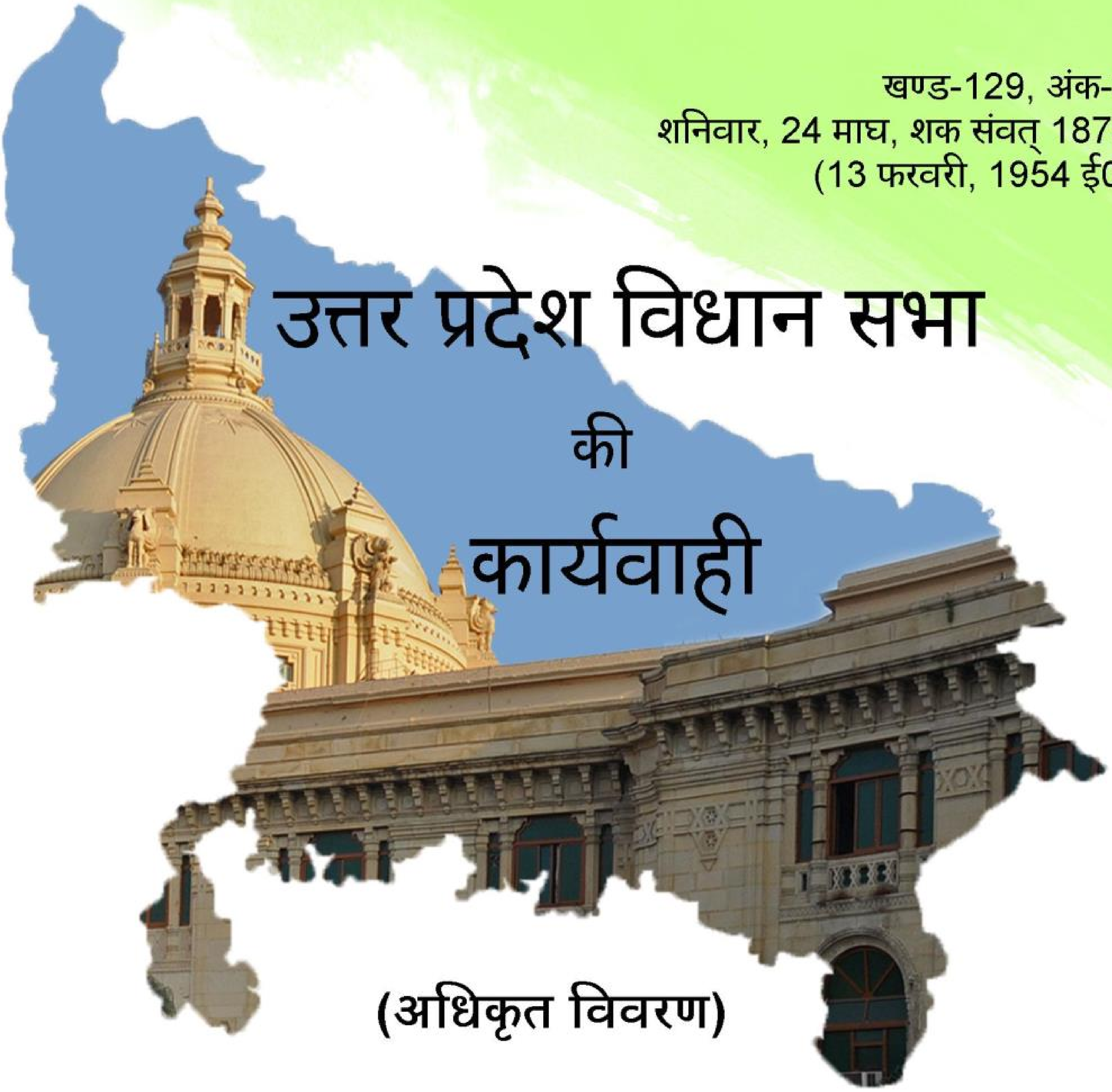

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 129 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

शनिवार, १३ फ़रवरी, १९५४

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२७)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गोरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दास, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री

भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
राम स्वरूप, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती

लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अस्थाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्बिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री रामसुभग वर्मा जी ने फिर एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। उसमें जो विषय है मैं उसका जिक्र करना भी उचित नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि चूंकि जिसका उन्होंने जिक्र किया है उसका आज के वादविवाद में वे जिक्र कर सकते हैं, इसलिये मैं नहीं समझता कि यह इनआर्डर यानी वैध है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर वादविवाद

श्री अध्यक्ष--अब आज के वादविवाद के संबंध में मैं यह सूचना दे देना चाहता हूं कि मूल संकल्प के संबंध में जो संशोधन आये हैं उनके मैंने दो हिस्से कर दिये थे और यह कह दिया था कि पहले हिस्से में कुम्भ के संबंध में बहस होगी जोकि कल हो चुकी है। मुझ से कल यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या कोई दूसरी बातों का जिक्र कर सकता है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई चाहे तो अवश्य कर सकता है, लेकिन एक अनुशासन यदि माननीय सदस्य अपने लिये रखलें तो उचित है। उसी तरह से उससे उलटी बात मैं आज चाहता हूं। आज भी जनरल डिस्कशन है। कल सभी माननीय सदस्य कुम्भ पर बोल नहीं पाये। कुछ ऐसे माननीय सदस्य हो सकते हैं जो कुम्भ के वाकयात के बारे में विशेष जानकारी रखते हों। यदि वे थोड़ा बहुत जिक्र बीच में कुम्भ का कर देते हैं तो मैं टोकूंगा नहीं। आमतौर पर तो यही होगा कि जो और बातें श्री राज्यपाल के संबोधन में हैं उन्हीं के ऊपर यह बहस रहेगी। यदि किसी को दस मिनट मिलें तो वह दो-तीन मिनट में कुम्भ के संबंध में वाकयात का जिक्र करदे, यह नहीं कि फलां ने कल यह कहा था और उसका जवाब मेरा यह है, मैं चाहता हूं कि इस तरह की बहस न हो बल्कि वाकयात बताने के लिये अगर कोई चीज कुम्भ के संबंध में कही जाय तो मैं उसको नहीं टोकूंगा क्योंकि मुख्य विषय वादविवाद का वह संकल्प है जिसमें कि धन्यवाद दिया गया है और सभी विषय उसमें हैं। इसलिये रोकना उचित न होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुम्भ के संबंध में केवल वाकयात ही बतलाये जायें और अधिक हिस्सा और विषयों पर हो।

दूसरी बात यह है कि संशोधन बहुत हैं। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि आज बहस के लिये १५ मिनट के बजाय अगर सदन अनुचित न समझे तो १० मिनट कर दिये जायं। सिर्फ जो विरोधी पार्टियां हैं या सरकार है और मुख्य संकल्प जिसने उपस्थित किया है उनके लिये समय अधिक आवश्यकता के अनुसार दिया जायगा। विरोधी पार्टी के जो नेता हैं या उन्होंने जिनको आज के विवाद के लिये या संशोधन पेश करने के लिये निर्वाचित किया हो, उनको मैं समय २५ या ३० मिनट तक दे दूंगा। इसी तरह से सदन के नेता हैं, जिनका मुख्य संबंध राज्यपाल से रहता है, उनका भी भाषण नहीं हुआ है उनके लिये भी सब विषयों के ऊपर बहस सुनने के बाद यह सदन अवश्य चाहेगा कि उनके विस्तृत विचार सदन के सामने आयें। तो उनके लिये भी आखिर में समय अधिक होगा। वे कुम्भ के विषय में भी विशेष जानकारी रखते होंगे इसलिये भी ऐसा करना ठीक होगा।

इसी तरह से श्री चन्द्रभानु गुप्त कल यहां मौजूद नहीं थे। सरकारी काम से राजकोट की तरफ गये हुए थे। कल शाम को जब वे आये तब उनको मौका नहीं मिला। उनका जिक्र कुछ भाषणों में आ चुका है। उनके किसी वक्तव्य के विषय में भी अखबारों में जिक्र आ चुका है तो यदि थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण वे करना चाहें तो सवा दो बजे के बाद मैं उनको भी समय दे दूंगा।

इस तरह से बहस अगर हो जाय तो बहुत कुछ स्पष्टीकरण हो सकेगा और अपने विचार व्यक्त करने का माननीय सदस्यों को भी समय मिल सकेगा। यह इसका तरीका होगा। अब

[श्री अध्यक्ष]

मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह पूछना चाहता हूं कि वे किनको नियुक्त करते हैं जो अपना संशोधन पेश करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—प्रभो मैं आपको सूचना दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—पहला संशोधन जोरावर वर्मा साहब का है उसके बाद में आप देंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये श्री रामनरेश शुक्ल के धन्यवाद के प्रस्ताव में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में निम्नांकित बातों पर कोई प्रकाश नहीं डाला।

(२) उत्तर प्रदेश के सरकारी मुकदमों में भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी के निराकरण की व्यवस्था।

अध्यक्ष महोदय, इसमें "मुकदमों" छप गया है, "महकमों" होना चाहिये।

(३) उत्तर प्रदेश में परिगणित जातियों के निमित्त सर्विसेज में जनगणना के अनुसार संरक्षण तथा उसे उचित रूप में कार्यान्वित करने की व्यवस्था।

(४) प्रदेश में भूमिहीन-कृषि-श्रमिकों के लिये परती जमीन के पट्टे दिये जाने की प्राथमिकता।"

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने हरिजनों के लिये प्रदेश में जो सुविधायें दी जाती हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। यद्यपि हमारी सरकार ने हरिजनों के उत्थान के लिये शासन प्राप्त करते ही एक हरिजन सहायक विभाग स्थापित कर दिया है और उनकी सुविधा के लिये डिसएबिलिटीज रिमूवल ऐक्ट और कई ऐसी बातें की हैं जिनसे हरिजनों की परिस्थिति में बहुत कुछ सुधार हो गया है। किन्तु इन थोड़े से कार्यों के कारण यह हरिजन समाज जो कई हजार वर्षों से दलित है और अब भी उनके साथ आम जनता अच्छा व्यवहार नहीं करती है और न उनको देखना चाहती है इन कानूनों द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग नहीं करने देती है। अध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि इस प्रान्त में हरिजनों की संख्या १/५ से भी अधिक है। हरिजनों को जो सुविधायें दी गई हैं उनको प्राप्त करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उन सुविधाओं को वह प्राप्त कर सकें। अधिकांश हरिजन गरीब हैं, निर्धन हैं और साधन विहीन हैं। उन पर अत्याचार या अन्याय होता है। एक तो वह बहुत दबे हुये होने के कारण कभी शिकायत करने का साहस ही नहीं करते हैं और यदि उन्होंने शिकायत भी की तो उसकी जांच उसी अधिकारी के पास भेजी जाती है जिसके खिलाफ वह शिकायत होती है। इसका नतीजा और उल्टा होता है। जब मालूम हो जाता है कि उसकी शिकायत की गई है तो वह अधिकारी उसको और बुरी तरह से परेशान करता है। अध्यक्ष महोदय, इसके मैं कई प्रमाण पेश कर सकता हूं। अजनर में भग्गू लाल ठेकेदार हैं जो नहर में ठेके के काम करते हैं। वह अर्जुन बांध पर ठेका लिये हुये थे लेकिन वहां के ओवरसियर ने दूसरे ठेकेदार के नाम जो बद्रीसिंह हैं साढ़े ग्यारह सौ रुपये का पेमेंट कर दिया और उसमें से साढ़े पांच सौ रुपये खुद हिस्सा ले लिया। उसकी दरख्वास्त २६ अगस्त को उन्होंने दी जिस पर कई

और एम० एल० एज० ने और जिले के कुछ लोगों ने भी अपनी सिफारिश की कि इसका उचित न्याय होना चाहिये लेकिन अभी तक उस की कोई सुनवाई नहीं की गई। इसी तरह तुलइयां चमार जो हमूद का है उसकी १६ बीघा जमीन पर वहां के सवर्ण लोग अधिकार किये हुये हैं। उसने भी दरख्वास्त दी। वहां की अदालती पंचायत में भी उनके पक्ष में निर्णय हुआ। इतने पर भी उन लोगों ने जमीन से क़ब्जा नहीं हटाया। तब उस कब्जे को हटाने के लिये उसने एस० डी० ओ० के यहां दरख्वास्त दी। वहां पर भी वह जीत गया लेकिन दुख है कि दो साल उसके केस के फैसले को हो गये हैं लेकिन जमीन पर अब भी उसका क़ब्जा नहीं हो पाया है। वहां के एस० डी० ओ० महोदय ने वहां के जो पुलिस के एस० ओ० हैं उनको इसके लिये लिखा लेकिन उन्होंने जो जमीन पर कब्जा किये हुये हैं उनसे २०० रुपये लेकर मामले को टाल दिया। और कहा कि भाई जहां तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो, हम इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, अभी दीवाली के अवसर पर पुलुवा और बालकृष्ण जोकि श्रीनगर थाना, महोबा तहसील में है, दीवाली खेल रहे थे। इस अभियोग में कि वह दीवाली क्यों खेलते हैं जबकि वहां के अहीरों को ही दीवाली खेलने का अधिकार है उनको इस बुरी तरह से मारा कि १५ दिन वह महोबा हास्पिटल में पड़े रहे, लेकिन वहां के थानेदार ने ५०० रुपया ले करके मारने वालों को छोड़ दिया और न किसी पर केस चलाया।

श्री अध्यक्ष---आप व्यक्तिगत हमला न करें।

श्री जोरावर वर्मा---मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन मैंने किसी हरिजन का कत्ल नहीं सुना, लेकिन एक साल के अन्दर गुंड, सुरहा, खेड़ा, कैथी आदि गांवों में लगभग एक एक हरिजन का कत्ल हो गया है। लेकिन वहां के थानेदार और संबंधित अधिकारियों ने ५-५ सौ रुपया लेकर उन केसेज को रद्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष---मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तरह का आक्षेप आप न करें, क्योंकि जिनके विरुद्ध आप आक्षेप कर रहे हैं वे लोग यहां मौजूद नहीं हैं और वह जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिये यह अनुचित होगा और यह आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय हरिजनों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वह हमारी सरकार के उस मंतव्य के खिलाफ हो रहे हैं जिससे हरिजनों को ऊंचा उठाया जाय और सुविधायें दी जायं। ऐसी सद्भावनायें हैं। लेकिन अभी जो संबंधित अधिकारी हैं वह लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और घूसखोरी का बाजार गर्म है।

अध्यक्ष महोदय, जहांतक हरिजनों की सरकारी नौकरियों का प्रश्न है वह भी सरकार इन अधिकारों के दिलाने के लिये पूर्ण व्यवस्था नहीं कर रही है। मुझे दुख है कि १/५ आबादी होते हुये भी हमारे इस मंत्रिमंडल में केवल एक मंत्री है जब कि कम से कम दो मंत्री होने चाहिये थे। ७ डिप्टी मिनिस्टरों में से एक भी डिप्टी मिनिस्टर नहीं है। तो जब हमारे जिम्मेदार पदों पर और इस जगह पर भी उनके उचित प्रतिनिधित्व के लिये ध्यान नहीं दिया जाता है तो बाहर के लिये और क्या कहा जा सकता है? जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्तियां होने का प्रश्न है वहां हरिजनों को अयोग्य बता कर और दूसरी इसी प्रकार की खराबियां लगाकर पदों में जितनी उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से उनको नहीं लिया जाता है। यद्यपि पहले उनको १० प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया था और अब १८ प्रतिशत दे दिया गया है, इस रिजर्वेशन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न कार्रवाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजनों को न लिये जाने का एक यह भी कारण हो सकता है कि वहां परिगणित जाति का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम एक प्रतिनिधि वहां जरूर होना चाहिये। जहां तक और

[श्री जोरावर वर्मा]

अधिकारियों के द्वारा नियुक्तियां होती हैं वहां तो हरिजनों को बिलकुल ही इग्नोर कर दिया जाता है, उनको कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अभी १५,२६५ लेखपालों की नियुक्तियां हुई हैं। जिसमें केवल ६२६ हरिजन लिये गये हैं जबकि १०९९ लोगों की दरख्वास्तें आई थीं। यदि उचित व्यवस्था की जाती तो इस में कम से कम ५,००० हरिजनों को ले लिया जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषिकों को भूमि की व्यवस्था का प्रश्न वह तो और भी टेढ़ा है। अधिकतर, पहले जो जमींदार थे उन्होंने अपनी सीर और खुदकाश्त अपने कब्जे में इतनी कर ली थी कि जिसको कोई ठीक से नहीं कह सकता है। ५० एकड़ से ले कर ५०० एकड़ तक उन्होंने जमीन पर पहले अधिकार कर लिया था और जब से हमारी सरकार ने जमींदारी उन्मूलन द्वारा भूमि व्यवस्था करने की सोची, तो उन्होंने जो पहले की निजी भूमि थी उसको छोड़ दिया और परती जमीन को तोड़ कर अब कृषि करने लगे हैं। दूसरी बात यह है कि अधिकांश भूमि जो कि निजी चरागाह और ग्रास-फार्म के रूप में है उसपर वह काबिज है।

तीसरी बात यह है कि जो प्रधान गांव पंचायतों के चुने गये और हमारे भूमि सुधार अनुपूरक अधिनियम द्वारा जो ग्राम पंचायतों के प्रधानों को पट्टा करने का अधिकार है, वह लोग हरिजनों को पट्टे नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि सम्भवतः...

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, क्या यहां स्पीच पढ़ी जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष--मैं तो नहीं समझता हूं कि वह पढ़ रहे हैं क्योंकि वह सिर ऊंचा करके बोल रहे हैं। तो वह पढ़ना नहीं है। वह उनके नोट्स हैं।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, एक तो प्रधान लोग पट्टा ही नहीं करते हैं और जब पट्टा कर देते हैं तो कानूनगो महोदय उस पर दस्तखत नहीं करते। मेरी यह राय है कि जो परती जमीन है उसको किसी एक समिति के द्वारा जितने भूमिहीन हरिजन हैं, सन्त बिनोवा के द्वारा जो भूमिदान यज्ञ आन्दोलन चल रहा है, उस परती का बटवारा इस समिति के द्वारा कराया जाय। लेकिन इसमें भी एक बड़ी अड़चन है। जो सन्त बिनोवा को भूमि दी गई है उसमें से अधिकांश तो वह जमीन है जो झगड़े में है। मुझे खुद अनुभव है कई गांवों में जो जमीन दी गई है उनपर जो लोग पहले से अधिकार किये हुए हैं उन्होंने उस जमीन को नहीं छोड़ा है इसलिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि कोई ऐसी कार्यवाही की जाय कि जो जमीन जोतता है उसी को जमीन मिले और जो जमीन को रखाये हुये हैं जिसको हमारे यहां सांड़ अगोटन कहते हैं उनको उससे अलग कर दिया जाय। अर्थात् ये लोग खेती करते नहीं और जो लोग खेती करना चाहते हैं उनको भी करने नहीं देते। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे कि जो गांवों में जमीन पड़ी हुई है, वह उन लोगों को दिलाने की व्यवस्था की जाय जो खेती करना चाहते हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)--अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि जो हरिजनों से संबंधित प्रस्ताव हैं, वह एक जगह इकट्ठे ले लिये जायं तो ज्यादा सुविधाजनक होगा।

श्री अध्यक्ष--तो आप जरा उन्हें छांटकर बता दीजिये तो विचार कर लिया जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय राज्यपाल के संबोधन के धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्नलिखित शब्द जोड़ना चाहता हूं:--

"किन्तु सदन को खेद है कि माननीय राज्यपाल ने प्रदेश के प्रशासन की त्रुटियों तथा दिन पर दिन गिरती दशा के संबंध में कोई प्रकाश नहीं डाला और न कोई समुचित सुझाव दिया।"

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के जिस भाग के संबंध में मेरा वक्तव्य है वह पैरा ३४ पर इस प्रकार है:—

"स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद, जिसमें पूर्ण रूप से पुलिस राज्य बदलकर कल्याणकारी राज्य हो गया है, सरकार के कृत्यों के बदलने के साथ साथ, प्रशासकीय सेवाओं के कृत्य भी मौलिक रूप से बदल गये हैं।"

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो माननीय राज्यपाल ने कहा वह अक्षरशः सत्य नहीं है। यह तो मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता कि वर्तमान शासन पुलिस राज्य है लेकिन यह कल्याणकारी राज्य हो गया है इस बात में मुझे संदेह है। आज शासन की दशा दिन पर दिन गिरती जा रही है और सारे देश का प्रशासन इतना ढीला हो गया है कि जिस कल्याणकारी राज्य का गवर्नमेंट को दावा हो सकता है और कल्याणकारी राज्य की कल्पना एक मृग मरीचिका हो जाती है। कल्याणकारी राज्य की यही परिभाषा हो सकती है जो किसान मजदूरों और साधारण जनता के हित में किया जाय। लेकिन आज इस लम्बी अवधि के बावजूद भी कांग्रेसी राज्य कल्याणकारी राज्य होने के बजाय धीरे धीरे जनता के हितों से दूर होता चला जा रहा है। इस संबंध में मैं आपकी आज्ञा से अपना एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पेश करना चाहता हूं और आशा है कि माननीय गृह मंत्री तथा अन्य मंत्री गण इस पर ध्यान देंगे।

१५ अगस्त सन् १९४७ के बाद जब स्वतंत्रता आई तो प्रदेश और देश का शासन ऐसे लोगों के हाथ में पड़ा जिनको पहले शासन का कोई तजुरबा नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि जो कोई स्वतंत्रता की लड़ाई में सिपाही की हैसियत से सफल होता है सफल शासक भी हो सकता है नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने देश की लड़ाई में भाग लिया था, सत्याग्रह किया था या जेल गये थे वर्तमान शासक दल ने उन्हीं में शासन को सफलता-पूर्वक चलाने की योग्यता समझी। पहली सरकार जब हुई तो जितने भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे जिन्होंने भी गांधी टोपी लगा रखी थी, उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेशन में बेजा मदाखलत शुरू की। उन्होंने जिले के स्तर से लेकर मंत्रियों तक को नहीं छोड़ा और नतीजा यह हुआ जितने भी राज कर्मचारी थे उनके सम्मान को बहुत ठेस लगी और धीरे धीरे अब तो हालत यह हो गई है कि उसकी ऐसी प्रतिक्रिया हो गयी है जो प्रदेश के लिये अति हानिकर सिद्ध हो रही है। यह प्रतिक्रिया हो गई है कि जो भी कैबिनेट के आदेश होते हैं चाहे वे जनहित में क्यों न हों लेकिन वे उसके साथ असहयोग करते हैं। पहली जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर यह थी कि कांग्रेस पार्टी को अलग न रखकर एक बहुत ही गलत ढंग से उनको सरकारी ऐडमिनिस्ट्रेशन में मदाखलत करने दिया। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें कैबिनेट के खिलाफ असहयोग की भावना उठ खड़ी हुई। उसकी जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों पर आ पड़ती है।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश के शासन में जो लोग आजकल अधिकार में हैं उन्होंने कोई ऐसी छाप हमारे सरकारी अधिकारियों पर नहीं डाली जिसका नमूना लेकर वह आगे बढ़ सकते। मैं यहां पर माननीय गृहमंत्री के शब्दों को दुहराना चाहता हूं जो उन्होंने कुछ समय पहले कहे थे कि कांग्रेस में भाई भतीजावाद जोर पकड़ गया है और उस भाई-भतीजेवाद की वजह से किसी भी विभाग में किसी नियम का पूर्णतः पालन नहीं होता। जब भी किसी सरकारी कर्मचारी की जगह खाली हुई उसमें मिनिस्टरों के डिप्टी मिनिस्टरों और विधान सभा के सदस्यों के उम्मीदवार रख लिये जाते हैं और घोषणा तो सिर्फ कागजी कार्यवाही के लिये होती है। नतीजा यह होता है कि सरकारी कर्मचारी जिनमें कि बड़े बड़े विद्वान सेक्रेटेरिएट में हैं जब यह देखते हैं कि हमारे शासक दल के लोग ही ईमानदारी नहीं बरतते, पक्षपात करते हैं, और योग्यता का कोई ख्याल नहीं करते तो उन्होंने यह सोचना शुरू किया कि हमारे सामने आदर्श उपस्थित करने का ढोंग व नहीं रच सकते और उन्होंने भी इस बात की कोशिश करनी शुरू की कि उनके भी सगे संबंधी या कृपापात्र लोग नौकरियों में आ सकें और उन्होंने उनके लिये यथासंभव खुली छूट

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

छोड़ दी । यह एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे यह हालत आ गई है कि कैबिनेट के मंत्रियों, बड़े से बड़े मंत्रियों में भी इतना साहस नहीं रह गया है कि वह सख्ती के साथ अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। मैं इस संबंध में लखनऊ में जो फायरिंग हुई उसके संबंध में एकाध शब्द कह देना चाहता हूं। लखनऊ में हर एक नागरिक जानता है कि यहां पर जो फायरिंग हुई थी उसमें सब इन्स्पेक्टरों ने जो फायरिंग की थी उन्होंने फायरिंग करने के लिये मैजिस्ट्रेटों का आदेश प्राप्त नहीं किया था। लेकिन माननीय गृह मंत्री के सामने अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश की और माननीय गृहमंत्री एक भी अधिकारी का नाम नहीं बतला सकते जिसके खिलाफ लखनऊ की फायरिंग के संबंध में या विद्यार्थी आन्दोलन के संबंध में बेकायदी के लिये कोई कार्यवाही की गई हो। यह एक भयावक स्थिति है। आज हिम्मत नहीं है हमारी कैबिनेट में कि वह ठीक तरह से काम कर सके। वह समझते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारियों को प्रसन्न नहीं रखा गया तो नतीजा यह होगा कि कहीं शासन फेल न हो जाय। सरकारी कर्मचारियों ने भी देखा कि हमारे मंत्रिमंडल का न कोई आदर्श सामने है और न कोई नियमितता रह गई है।

सरकारी कर्मचारियों में शासक दल के लोगों की जो एक खुशामद करने की भावना पैदा हो गयी है वह भी एक भयावह स्थिति की द्योतक है। जब सरकारी कर्मचारियों ने यह देखा कि मंत्री एक होटल से लेकर बड़ी से बड़ी विशाल योजनाओं का उद्घाटन करने में ही अपना समय बिताते हैं, तो उन्होंने भी अपने अपने विभागों में यह प्रयत्न करना प्रारम्भ किया कि किसी न किसी प्रकार विभाग के मंत्री को खुश किया जाय। अगर वाटर वर्क्स या बिजली का कोई छोटा सा स्टेशन हो तो उसके उद्घाटन के लिये भी मंत्री महोदय को बुलाया जाता है। अभी कुछ दिन की बात है जे०के० ग्रूप कानपुर के व्यक्तियों ने इंडस्ट्री के बारे में एक पुस्तक लिखी और माननीय मालवीय जी जो हमारे प्रदेश के विकास विभाग के सभा सचिव थे उस पुस्तक का उद्घाटन करने के लिये गये थे। पुस्तक को एक रेशमी डोरे से बांध दिया गया था और उन्होंने उस तागे को कैंची से काट दिया। लिहाजा सब सरकारी अफसर यह समझते हैं कि छोटी से छोटी चीज के उद्घाटन के लिये भी मंत्री महोदय को बुलाना आवश्यक है। यहां तक कि जलपान गृहों के उद्घाटन के लिये हमारे मंत्री महोदय बुलाये जाते हैं। आज हमारे मंत्रीगण माला और फूलों की परवा करने लगे हैं और वह प्राचीन परम्परा भुला दी गई है जबकि सलाह देने वाला ब्राह्मण खेतों में से कण बीन बीन कर खाता था और रात दिन राजा को सलाह दिया करता था। लेकिन आज मंत्रियों की यह हालत हो गई है कि उनको फूल और माला चाहिये। जनता की सेवा में उनको कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। प्रादेशिक प्रशासन के संबंध में एक बुराई पैदा हो गई है कि सरकार ने सरकारी अफसरों को भाषण देने का शौक पैदा कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों ने १० गुना जमा करने के लिये सभायें कीं, उनको भाषण करना पड़ा। उस संबंध में जो ज्यादतियां की गई उसकी कहानी दुहराना नहीं चाहता। अब भाषण देने की उनकी आदत बनती जा रही है। चाहे वे कचहरियों में मुकदमों को करें या न करें लेकिन मंत्रियों की निगाहों में अच्छा बनने की कोशिश की जाती है। यह बात कई मर्तबा कही जा चुकी है कि जब कोई उपमंत्री या सभासचिव किसी जिले में जाता है तो हर एक सरकारी कर्मचारी उस दिन का कार्य रोक देता है क्योंकि उनको उसके स्वागत में स्टेशन जाना होता है और अध्यक्ष महोदय, इसकी वजह यह है कि सरकार आज खुशामद पर सरकारी अधिकारियों को तरक्की देती है। सरकारी कर्मचारियों के लिये यह परेशानी है कि आज जब सरकार नियम से नहीं चलती बल्कि खुशामद से चलती है तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने को सुरक्षित नहीं पाता। वह जानता है कि आज हर स्टेज पर शासन में अदालत होती है। अगर इस विधान सभा के सदस्य को खुश न रक्खा तो वह गैर जिम्मेदारी से जा कर मंत्री महोदय से शिकायत कर देंगे तो उसके लेने के देने पड़ जावेंगे इसलिये हमें हर आदमी को खुश रखना चाहिये। इसलिये सरकारी कर्मचारी आज नेताओं को खुश रखने में ही अपनी भलाई समझता है लेकिन इससे जनता पिसती है। सारे के सारे एस० डी० ओज० श्रमदान में लगाये जाते हैं। यह बड़ा सोचनीय

विषय है। जैसा कि माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने कहा कि अब फाइव ईयर प्लान पीपुल्स प्लान हो गया है, मैं उनसे पूछता हूं कि कितने कांग्रेसी लोगों में इतना साहस है कि स्वयं श्रमदानों में योग दे सकें तथा उसका संचालन कर सकें। आप स्वयं भारत के सेवक समाज के प्रेसीडेंट हैं, जनता को मोबिलाइज करने में कहां तक सफलता मिली। सरकारी कर्मचारी श्रमदान में लगे हुये हैं यह हालत है प्रशासन की। हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। वह सरकारी कर्मचारियों को श्रमदान के लिये सभाओं का आयोजन करने और भाषण देने के कार्य से मुक्त करे। इससे सरकार की बदनामी होती है। अगर फाइव ईयर प्लान पीपुल्स प्लान है तो विधान सभा में सरकारी दल के सदस्य हैं, हम भी उनसे सहयोग करने को तैयार हैं और हम सब मिलकर जनता को मोबिलाइज करें और बगैर सरकारी कर्मचारियों की सहायता के ये बड़ी बड़ी सभाओं तथा श्रमदान कार्यों का आयोजन करें। लोक कल्याणकारी राज्य के लिये न्याय की भी आवश्यकता होती है। पहले जो मुकदमें दो चार महीने में फैसल हो जाते थे आज उनकी अवधि दो तीन साल है। मैजिस्ट्रेट भाषण देने और दस गुना वसूल करने में लगे रहते हैं और श्रमदान के समय पूरा पूरा हफ्ता कचेहरियों की कार्यवाही बन्द हो जाती है। १५ मिनट कहीं कुछ काम कर दिया और फिर तारीख डाल दी। जनता की निगाहों में यह लोक कल्याणकारी राज्य कदापि नहीं हो सकता। भाषण देने से यह लोक कल्याणकारी राज्य नहीं हो जायगा। कल्याणकारी राज्य ऐसा होना चाहिये जो जनता की सेवा कर सके। हालांकि गृह मंत्री जी अपनी जगह पर प्रयत्न कर रहे हैं कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा सुधारा जाय लेकिन उनको उसमें काफी सहायता नहीं मिली। पुलिस अपनी जगह यह समझती है कि गलत रिपोर्टस दे कर, किसी डाके की रिपोर्ट को चोरी की रिपोर्ट में दर्ज कर पूरे तौर से अधिकारियों को धोका दिया जा सकता है। और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि जिससे पुलिस यह समझती है कि जो चाहे हमकर सकते हैं और कैबिनेट हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती है। एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यहां पर मुझे चीन का इतिहास याद आता है। जब कि लोग चान्काईशेक की तारीफ किया करते थे हमारे देश के नेता भी कहा करते थे कि चीन की सरकार बहुत अच्छी है लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ सारी दुनिया जानती है कि उसने किस प्रकार की भयावह स्थिति वहां पर उत्पन्न कर दी थी। हमारी सरकार की यह कोरी कल्पना है कि हमारे देशमें उनका शासन एक लोक कल्याणकारी शासन है। वास्तव में वह जनता से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं और जनता के सुख-सुविधा का ख्याल नहीं है। इस प्रकार से यह समस्या हल नहीं हो सकती है।

अब चीनी मिल और गन्ना उत्पादकों का मसला लीजिये। गन्ना उत्पादक शांति से सत्याग्रह कर रहे थे लेकिन सरकार ने बीच में आकर नाहक हस्तक्षेप किया। आज महीने भर से गृहमंत्री जी की पुलिस वहां पर दमन करने में लगी हुयी है। नतीजा यह है कि आज विधान सभा के चार सदस्य श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री गेंदा सिंह, श्री राजबंशी और श्री अवध शरण वर्मा जेल में बन्द हैं। आखिर यह किसान और मिल मालिकों के बीच लेनदेन का मसला था लेकिन सरकार ने बीच में आकर क्यों हस्तक्षेप किया। आज लोक कल्याणकारी राज्य की पुलिस सत्याग्रह को दबाने में लगी हुयी है। तो क्या ऐसे राज्य के शासन को लोक कल्याणकारी कहा जा सकता है और इससे सरकारी पक्ष को क्या इस बात का फख्र हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने सेक्रेटैरियेट के लिये भी यह शिकायत है कि हमारे मंत्री लोग जब भाषण और कागजी कार्यवाही में लगे रहते हैं तो उन पर जो छाप पड़ती है वह आप समझ सकते हैं। मैंने कभी कभी अपने टेलीफोन से सेक्रेटैरियेट में यह जानने का प्रयत्न किया कि कौन सेक्रेटरी कहां पर है। तो मालूम हुआ कि कोई तो मंत्री जी के पास गया है कोई कमेटी में गया है और कोई लंच में गया है यही तीन शब्द बराबर सुनने को मिलते हैं। मैंने एक डेढ़ घंटे तक प्रयत्न किया और यही जवाब मिला माननीय गृह मंत्री जी चुपके से चले जांय तो उनको भी यह ज्ञात हो जायगा कि कौन क्या कर रहा है और कहां पर है। सेक्रेटरी तो क्या क्लर्क भी अपनी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

मीटिंग करते हुये नजर आते हैं। कोई भी विधान सभा का सदस्य जाकर देखे तो सेक्रेटेरियट के क्लर्क अपनी फाइलों पर न ध्यान देकर मीटिंग करते हुये नजर आवेंगे और उनको भी अपनी मीटिंग करने का शौक है एक ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि जिससे यह मालूम होता है कि सरकारी रुपया बरबाद किया जा रहा है। मुझे यह देखकर खेद होता है।

मैंने आपसे कुछ अधिक समय लेने के लिये प्रार्थना की थी। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा समय हमारे और सदस्यों को देने की कृपा करें। मै फिर अन्त में सरकार से कहूंगा कि एक भयावह स्थिति है और उसके लिये हम सब जिम्मेदार हैं और उसको हम और सरकारी दल मिलकर पूर्ण सतर्कता के साथ सुधारने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष--मैंने आपको आधा घंटा देने के लिये कहा था। तो १५ मिनट तो आप ले चुके हैं। उन बचे हुए १५ मिनट में से दो सज्जनों को ५-५ मिनट दूंगा। जो हरिजनों के सम्बन्ध में अपने विचार यहाँ पर प्रकट करेंगे वह भी इसमें से बाकी समय ले सकते हैं।

राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)--श्रीमान् जी, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि प्रस्ताव क अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय न अपने सम्बोधन में अपनी सरकार के शासन तथा निर्माण कार्य में अनेक त्रुटियों का और उनके सुधार का कोई उल्लेख नहीं किया।"

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण हमारी विधान सभा के सामने दिया उसमें उन्होंने बड़ी सुन्दरता के साथ अपनी सरकार के सारे कार्य जो उसने साल भर में किये उनकी तस्वीर का एक पहलू ही बताया। हम लोगों को आशा थी कि राज्यपाल महोदय एक स्वतन्त्र जन होने के नाते तस्वीर के दोनों पहलू जनता की सुविधा और असुविधा के सम्बन्ध में भवन के सामने रखेगें। वह दो पहलू यहाँ पर नहीं रखेगें। ये राज्यपाल महोदय और प्रस्तावक महोदय ने इस भवन को यह बतलाया कि प्रान्त में क्या क्या उन्नति के कार्य किये गये और इस बात को बड़ी सुन्दरता के साथ यहाँ पर बतलाया। अब हमको यह देखना है कि क्या तरीका हो जो यह कार्य हुये हैं वह सफल हों और क्या इससे और अच्छा तरीका अच्छे कार्य करने का हो सकता था इसकी कोई नाप नहीं बतलाई गई कि यह कैसे जाना जाय। यद्यपि सन् १९५२ से अब तक सरकार ने उन्नति और प्रयत्न तो किये परन्तु जितने जनता के १९५२ में दुख थे मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उससे कहीं अधिक कष्ट जनता में आज है। सभी सज्जन इस बात को समझते होंगे कि इसका क्या कारण हो सकता है। सरकार जो प्रोड्यूस करती है उस पर इतना ज्यादा खर्च होता है कि जिनसे जनसाधारण की शक्ति इतनी कम हो गई है कि वह उससे लाभ नहीं उठा पाता है। एक कारण इसका यह भी है कि सरकार द्वारा पिछले साल दो साल के अन्दर लगाये गये टैक्सों से जनता बहुत लदी हुई है। यह भी जनता की शक्ति घटने का कारण है। वह कर १ या २ ही नहीं बल्कि अनेक हैं। नहर का रेट सरकार ने डयोढ़ा कर दिया। बिजली और कृषि आय कर बढ़ा दिये। स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस बढ़ाये गये। पंचायत राज्य टैक्स बढ़ाया गया। मैं यह सरकार से आपके जरिये कहता हूं कि सरकार को यह समझना चाहिये और गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना चाहिये कि क्या ये टैक्स लगे रहने से जनता जितनी उन्नति करनी चाहिये उतनी कर रही है अगर ये टैक्स घटाये नहीं जावेगे तो जनता को उतना लाभ नहीं होगा जितना सरकार देना चाहती है।

राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट तरीके से नहीं बतलाया कि हमारे प्रान्त की बढ़ती बेकारी का क्या हल है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे उद्योग धन्धों पर सरकार विचार कर रही है और उनके द्वारा बेकारी हल की जायगी। लेकिन इस बेकारी का जो कारण एक हमारी शिक्षा है उसकी ओर भी देखना होगा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि हमारे नवयुवक खुद काम करने के लिये तैयार हो जावें। आज तो हमारे देहाती क्षेत्र में इस प्रकार की शिक्षा है कि लड़का हल चलाने में संकोच करता है। ऐसी शिक्षा को सुधारने की बहुत आवश्यकता है।

राज्यपाल महोदय ने यह बतलाया कि हमने ५०० मील सड़कें बना डालीं। बहुत अच्छा कार्य हुआ। लेकिन ये ५०० मील सड़कें अगर किसी प्लान से बनाई गई होतीं, यह सोच कर कि कहाँ उनकी अधिक आवश्यकता है, कहाँ किस सड़क को मिला देने से लोगों को अधिक लाभ होगा, तो ज्यादा लाभ होता। मैं यह कह सकता हूं कि जिसका जोर पड़ा और जो एम० एल० ए० अपने मन्त्री जी को राजी कर पाये उन्होंने अपनी सड़क बनानी शुरू कर डाली और उनके क्षेत्र में ढिंढोरा पिट गया कि सड़क बननी शुरू हो गई। लेकिन ऐसी चीजें देश के लिये और प्रान्त के लिये लाभदायक नहीं होतीं। मैं चाहता हूं कि हर जगह सड़क बने और हर एम० एल० ए० का यह फर्ज है कि अधिक से अधिक सड़कें अपने क्षेत्र में बनवाये। लेकिन सरकार को यह निर्धारित कर देना चाहिये कि पहले वे सड़कें ली जावेंगी जो हेडक्वार्टर से दूर हों या जहाँ उद्योग धन्धों में बाधा पड़ रही हो या जहां पहले सड़कें रहीं हों।

यह बहुत छोटी सी बात है लेकिन उसको मुझे यूं कहना पड़ा कि बजट आ रहा है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गौर करेगी और उससे सूबे को कुछ लाभ हो सकेगा।

इसी तरह से नहर के बारे में भी है। यह मैं मानता हूं कि सरकार ने बहुत सी नहरें और बाँध वगैरा बनाये हैं ये सब तारीफ की चीजें हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने यह किया है तो क्या आपने यह भी देखा है कि उनमें पानी भी है या नहीं। कहीं कहीं नहरें दो-दो साल से खुदी पड़ी हुई हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है और कुछ वहाँ न पैदा ही हो सकता है। इसलिये प्रार्थना है कि जो भी चीजें ली जाँय उनको पहले पूरी तरह से पूरा कर दिया जाय, उससे पहले दूसरे और कामों को लिया ही न जाय। हमारे अन्दर यह एक प्रकार की खराबी है कि जो काम हाथ में लिया जाता है उसको पूरा किये बिना ही छोड़ दिया जाता है।

न्याय के लिये भी कहा गया। हम समझते थे कि स्वतंत्रता के बाद न्याय शीघ्र और अच्छा होगा लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम रक्खी गयी है। १५०–२००–२५० रुपये में वे क्या कर सकते हैं? यह रुपया उनके खर्चे भर को पूरा नहीं होता। तब वे किस प्रकार से स्वतंत्रता-पूर्वक काम कर सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी खामी है। जब उनको पूरा खाने को नहीं मिलता तो उनको हमेशा ही खाने के लिये सोचना पड़ता है। इसके ऊपर भी सरकार को गौर करना चाहिये।

अन्त में मैं उस दुर्घटना के बारे में कहना चाहता हूं जो कि कुम्भ के मेले के समय हमारे प्रान्त में हो गयी। मैं उसके बारे में सरकार से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां सरकार को उससे कुछ सबक सीखना चाहिये। हमको जरा भी इस बात में भ्रम नहीं है कि वहांके अफसरों ने अपने कर्त्तव्य पालन में कोई कोताही की। सिर्फ बात यह हो गयी कि तीन तारीख को अधिकारीगण भीड़ का ठीक अन्दाजा नहीं लगा सके और उस समय वहाँ जो आदमी लगे हुए थे वे ना काफी थे। अगर मिलिटरी की एड जो बाद को ली गयी पहले ली गयी होती तो अवश्य ही यह दुर्घटना न होने पाती। दूसरे पानी बरसने क कारण सुना जाता है कि बाँध के नीचे की जगह फिसलने वाली हो गयी थी। फिर भी मैं यह नहीं कहता कि अफ़सरों ने अच्छी तरह से काम नहीं किया लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब जनता की यह माँग है कि सरकार ने जो कमेटी मुकर्रर की है उसमें जनता के आदमी भी हों तो सरकार का इसमें क्या हर्ज हो जाता है कि वे ऐसे आदमियों में से एक दो को ले लें जिन पर जनता का कान्फीडेंस हो। जैसे कि इलाहाबाद के श्री हृदयनाथ कुंजरू हैं। अगर उनका नाम भी रख दिया जाय तो जनता का भ्रम मिट जायगा और शान्ति हो जायगी। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संशोधन को पेश नहीं करता लेकिन अगर बाद में मुझे बोलने का अवसर दिया जायगा तो मैं आपका बड़ा आभारी हूंगा।

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन का प्रस्ताव पेश करता हूं कि श्रीरामनरेश शुक्ल के धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द और जोड़ दिये जायं :—

> "किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में जहां हरिजन तथा पिछड़े हुए वर्ग के उत्थान का जिक्र किया, वहां सरकारी नौकरियों में हरिजन उम्मेदवारों के लिये १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित होते हुए भी, उनके संरक्षण के अनुसार न चुने जाने वाली परिस्थितियों के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आज एक ऐसे समाज की समस्याओं के बारे में जिसके कि सदियों से राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों का शोषण किया जाता रहा है और अब भी हो रहा है, कुछ वर्णन करना चाहता हूं। मैं एक ऐसे समाज के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूं जिसके उत्थान की कोई चर्चा किसी प्रकार से कहीं लायी जाती है तो उसको टालने का प्रयत्न किया जाता है, जिसकी चर्चा को सुनना एक बहुत बुरी बात समझी जाती है।

जहां तक महामान्य राज्यपाल महोदय के भाषण का ताल्लुक है उन्होंने अपने भाषण में सरकार द्वारा हरिजनों को दी जाने वाली जितनी भी सुविधायें हैं उनके बारे में कहा और हमें इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जब हम किसी चीज को लिखित रूप में देखते हैं तो हमें अत्यन्त हर्ष होता है लेकिन जब हम किसी चीज की प्रैक्टिकल साइड में जाते हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अत्यन्त दुःख होता है कि जितनी बातें कही जाती हैं उसका १/१० या १/१२ वां हिस्सा भी नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं कि खोज करने पर सरकारी नौकरियों में पता चला कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनम आज तक कोई भी शेड्यूलड कास्ट का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जब मुंसिफों की संख्या तीन या चार सौ के करीब है उनमें केवल ३ मुंसिफ ही शेड्यूलड कास्ट के हैं। जहां पर पंचायत राज इंसपेक्टर चार, साढ़े चार सौ कार्य कर रहे हैं वहां शेड्यूल कास्ट के केवल ९ या १० ही इन्सपेक्टर हैं। शेड्यूलड कास्ट का आज तक कोई भी डी० एम० नहीं हुआ। मुश्किल से एक या दो एस० पी० हैं। इसी तरह से आप किसी भी सरकारी विभाग को ले लीजिये, किसी भी सरकारी दफ्तर में देखा जाय तो एक या दो प्रतिशत से अधिक कर्मचारी शेड्यूल्ड कास्ट के नहीं मिलेंगे। और हम दूर कहां जायं, जहां पर सरकार का केन्द्र है, जहां पर मंत्रिगण हमेशा रहते हैं, इसी सेक्रेटेरियट में ही देख लीजिये, इसके लिये वही कहावत चरितार्थ होती है कि "चिराग तले अन्धेरा"। अगर यहां पर भी देखा जाय तो मुश्किल से १ प्रतिशत हरिजन कर्मचारी हमें मिलेंगे। जब हम सरकार के सम्मुख हरिजन कर्मचारियों के बारे में कुछ प्रश्न रखते हैं और यह पूछते हैं कि क्या कारण है कि उनको नहीं चुना जाता ? तो हमें सरकार यही उत्तर देती है कि हरिजनों में से इतनी उचित संख्या में उम्मेदवार नहीं प्राप्त हो सके या कहीं हरिजन उम्मेदवार ज्यादा भी आ जायं तो यों कह दिया जाता है कि उचित योग्यता के विद्यार्थी नहीं मिलते और यदि उचित योग्यता के विद्यार्थी मिल भी जायं तो बाद को यह कह दिया जाता है कि वे सरकारी नौकरी के योग्य नहीं हैं। तो ये चीजें उनके सम्मुख रखी जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बड़ी बड़ी नौकरियों, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० , पी० सी० एस०,

एस० पी०, डी० वाई० एस० पी० आदि का ताल्लुक है, मैं यह मानने के लिये कुछ हद तक तैयार हो सकता हूं कि जो हमारे उम्मेदवार कम्पटीशन में आते हैं जिस हद तक सरकार योग्यता चाहती है उस हद तक उनकी योग्यता नहीं होती लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं किसी प्रकार से भी इस चीज को मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता कि हमारे हरिजन उम्मीदवार चपरासगीरी के पद के लिये भी अयोग्य साबित हों। अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार बतला सकती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी दफ्तर ऐसा है जहां पर चपरासियों की संख्या संरक्षण के अनुसार हो। जैसा कि अभी मैंने कहा वे बड़ी बड़ी नौकरियों का जहां तक ताल्लुक है सरकार जिस हद तक योग्यता चाहती है वह हममें नहीं होती। यह सम्भव सी बात है और इसके कई एक कारण हैं। अयोग्यता का जहां तक प्रश्न है मैं यह कहता हूं कि अगर हममें अयोग्यता न होती और हममें वह पूर्ण योग्यता होती जितनी होनी चाहिये थी तो फिर हम रिजर्वेशन जैसी चीज के लिये कभी प्रतीक्षा न करते और अन्य लोगों की भांति सब चीजों का सामना स्वयं कर लेते। रिजर्वेशन की प्रतीक्षा तो इसलिये पड़ी कि हममें काबिल नहीं हैं और सरकार ने यह जानते हुये ही हमें संरक्षण दिया। जब सरकार जानती है कि हममें अयोग्यता है तो किसी न किसी प्रकार उस अयोग्यता को दूर करके योग्य बनाने के लिये सरकार को कोशिश करनी चाहिये। हमें हर्ष है कि सरकार कुछ न कुछ कर तो रही है लेकिन जहां तक करना चाहिये वह सीमा बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने के लिये जितना समय संरक्षण के लिये दिया गया है उतना समय काफी नहीं है और उतने समय तक हम नहीं पहुंच सकते।

अयोग्यता का जहां तक ताल्लुक है हमारी अयोग्यता दो प्रकार की है। एक तो वह जो हममें स्वयं की होती है और दूसरी वह जो अयोग्यता हममें है नहीं बल्कि बना दी जाती है। पहली तो हमारी निर्धनता के कारण होती है। हमारे विद्यार्थी छोटे छोटे घरों में रह कर पढ़ते हैं जहां उन्हें अध्ययन के लिये पूरा-पूरा समय नहीं मिलता, जहां उनके खाने पहनने तथा पढ़ने लिखने की सुविधाओं का उचित प्रबन्ध नहीं होता। जिसकी वजह से वह शिक्षा सम्बन्धी परीक्षायें तो पास कर लेते हैं लेकिन जहां तक योग्यता होनी चाहिये, वहां तक नहीं पहुंच पाते। साथ ही साथ उनका सम्पर्क भी अपने साथियों तक ही रहता है और उन्हीं के साथ रह कर वे अपने शिक्षा कार्य को चलाते हैं उनको दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचने का अवसर नहीं प्राप्त होता। यद्यपि सरकार चाहती है कि स्कूल या कालेज में जहां वे पढ़ने जाते हैं वहां छात्रावास में ठहरें वहां ही दाखिल किया जाय लेकिन दाखिल हो जाने पर भी वहां विद्यार्थियों में कुछ ऐसी मेन्टैलिटी होती है कि वे वहां उनको जातिभेद के नाते रहने नहीं देते। हमें तो मालूम है कि एम० ए० और एल० एल० बी० के स्टूडेन्ट्स के साथ जहां जहां रखे गये हैं, आगरा कालेज के होस्टल में जातिभेद के नियमों का पालन करके विद्यार्थी लोग उन पर बुरे बुरे रिमार्क्स पास करके जब तक निकलवा नहीं देते तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ते। इस तरह से जो अयोग्यता निर्धनता का सामाजिक असमर्थता के कारण है उसको हम अपने ऊपर ले सकते हैं लेकिन दूसरे प्रकार की कुछ ऐसी अयोग्यतायें भी हैं जो हममें नहीं होतीं बल्कि कर दी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जब कि शुरू शुरू में सब-इन्सपेक्टर पुलिस के लिये हमारे उम्मीदवार नहीं पाये जाते थे तब हाई स्कूल के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाता था लेकिन जब हमारे उम्मीदवार मिलने लगे तो फौरन इंटरमीडियेट क्वालिफिकेशन्स कर दी गयी क्योंकि उम्मीदवार मैट्रिकुलेशन मिलते थे। उनको रोकने के लिये ऐसा किया गया वरना कोई वजह नहीं है कि पोलिटिकल सफरर्स तो हाई स्कूल होते हुये भी सब इन्सपेक्टर पुलिस हो सकते हैं हरिजन क्यों नहीं हो सकते। वह भी हो सकते हैं। इसी तरह से सेलेक्शन बोर्ड के सामने जितने उम्मीदवार जाते हैं उनको अयोग्य

[श्री पुत्तूलाल]

कर दिया जाता है। हमें खेद होता है कि हमने एक परीक्षा के बारे में एक सदस्य जो सेलेक्शन बोर्ड के मेम्बर थे उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने यह कहा कि हमें दुख है कि जितने भी उम्मीदवार शिडयूल कास्ट्स के आये उनमें से एक उम्मीदवार तो ऐसा था जो वास्तव में उस सर्विस के लिये योग्य था। जब से सर्विस के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्टरमीडिएट थी और कम से कम ३० या ३५ उम्मीदवार थे जो कि पहले सेलेक्शन में आ गये साबित किये गये थे और उनको केवल मौखिक परीक्षा में ग्रेजुएट होते हुए भी अयोग्य साबित किया गया था और उन्हें संरक्षण के अनुसार नहीं लिया गया। इन सब चीजों को देखते हुये हमें यह साफ जाहिर होता है कि हमें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि सरकार तो चाहती है लेकिन अन्य जो लोग हैं जो कि गन्दे रूढ़िवाद हिन्दू धर्म में पले हुये हैं वे नहीं चाहते कि हम लोग भी उसी पद पर आयें जिस पर कि वे लोग हैं।

श्री अध्यक्ष--(श्री जयपाल सिंह से) आप अपना भाषण देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय के भाषण को सुनने का मुझे मौका मिला और उन्होंने अपने राज्य के लिये जितनी भी कार्यवाहियां हैं उनको गिनाते हुये अपने प्रदेश को समृद्धिशाली और शक्तिशाली कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये जो योजनायें हमारे सामने, इस भवन के सामने रक्खी हैं, मैं उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्होंने जो रास्ता इस भवन के सामने उन कामों के करने के लिये रक्खा है उसके लिये मैं भी उनका बहुत आभारी हूं।

इसके अतिरिक्त हरिजनों के सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है, वैसे तो यह कहा ही जाता है कि पहले एक पाई भी नहीं खर्च की जाती थी, अब यह सरकार ५० लाख रुपया उन लोगों के लिये खर्च कर रही है जो कि पिछड़े हुये हैं और दबे हुये हैं। जिनके लिये कि कभी कुछ नहीं किया जाता था उनके लिये कुछ न कुछ करने के लिये व्यवस्था है। ऐसी अवस्था में सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि कुछ न कुछ तो फिर भी हो ही रहा है। अब जहां तक अपने प्रदेश में यहां के लोगों को शक्तिशाली और समृद्धिशाली तथा राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये प्लानिंग योजना का सम्बन्ध है राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में ८६ करोड़ रुपये की रकम को सन् १९५३ में १३० करोड़ रुपये कर देने का संकेत किया है और काफी तेजी से काम होने लगा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम के सिलसिले में जो नियम बनाये थे और उनमें जितने कार्य गिनाये थे उनमें सब से पहला काम हिन्दू मुस्लिम एकता का था। दूसरा स्थान हरिजन उद्धार को दिया था। फिर उसके बाद दुनिया भर के जितने काम हो सकते थे उनको रखा था। सन् १९४१ में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता का स्थान दिया था जो उनके रचनात्मक कार्यक्रम में श्रद्धा रखते थे और वास्तविक रूप से उन पर चलते थे। इस तरीके से बिनोबाभावे जी का सब से पहला स्थान था। ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी जी ने अपने कार्यक्रम में हरिजन उद्धार को दूसरा स्थान दिया था उसी तरह से इस सरकार को भी अपने कार्यक्रम में इसे उचित स्थान देना चाहिये। जहां ८६ करोड़ रुपया खर्च किया जाने वाला था, वहां १३० करोड़ रु० खर्च किया जाय, तो इस तरह उनका कौन सा नम्बर आता है? उनकी अगर गिरती हुई हालत को देखा जाय तो उनका ३२वां स्थान राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में दिया है। इस तरह से सब से पिछड़े हुये वर्ग का ३२वां स्थान आये, यह मेरी समझ में नहीं आता है। जो कि पिछड़े हुये हैं, दबे हुये हैं, गिरे हुये हैं, जिनके लिये खाने की तकलीफें हैं, पहनने

के लिये कपड़े की तकलीफें हैं, जिनको सर्दी-गर्मी से हर तरह की तकलीफ पहुंचती है, उनके लिये सरकार को यह सोचना चाहिये कि दवा-दारू और शिक्षा तो दूर रही, किस तरह से जो उनमें कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है और उनको और समाज के मुकाबिले में जल्दी से जल्दी बराबर लाया जा सकता है। इसके लिये एक समय निर्धारित किया जाय कि इतने समय में हम उनको सब के बराबर ले आयेंगे। मैं इससे सहमत हूं कि उनके लिये ५० लाख रुपया खर्च किया जाता है लेकिन यह बहुत ही अपर्याप्त है। यह इतना बड़ा प्रदेश है और इसमें दूसरी कार्यवाहियों में काफी रुपया खर्च किया जाता है। यहां बिजली पर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर, बड़े बड़े डैम्स पर बहुत रुपया खर्च किया जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि जितना रुपया इन सभी चीजों पर खर्च किया जाता है वह सब उत्तर प्रदेश की सारी जनता के फायदे के लिये खर्च किया जाता है। लेकिन जो सब से पिछड़ा हुआ वर्ग है उस को सब से कम रेशियो प्रोपोर्शन से भी फायदा नहीं पहुंचता है। बिजली से कितने गरीबों को फायदा पहुंचता है, यह मैं नहीं कह सकता। अगर इन बातों से सभी को फायदा पहुंच गया होता तो हरिजनों के लिये और पिछड़े हुये वर्गों के लिये, जो आर्थिक और सामाजिक मामलों में सदियों से पिछड़े हुये हैं, अलग से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिये शिक्षा, घरेलू दस्तकारी और दूसरी बातों के सम्बन्ध में उनके लिये एक निश्चित योजना बनाने की आवश्यकता है।

मकानों के बारे में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो हजार रुपया मेरे जिले को मिला है। वहां पर बीसों गांवों में आग लग गयी है। वहां लोगों के छप्पर के मकान होते हैं, वह जल जाते हैं और उनके साथ और भी सामान जल जाता है। ऐसी दशा में यदि दो हजार रुपये की टिन ही प्रत्येक को साढ़े तीन मन के हिसाब से दी जाय, तो कितने लोगों के लिये पर्याप्त होगी। इस प्रकार आदर्श बस्तियां बसाना मैं मजाक ही समझता हूं और इतना धन उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। इस तरह से अगर प्रत्येक जिले में जिनके पास मकान नहीं है उनके लिये मकानों की कोई ठोस योजना बनाई जाय तो कम से कम पांच छः लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी और समूचे प्रदेश के लिए करीब पांच छः करोड़ रुपये की भी आवश्यतका होगी।

इसी प्रकार पानी की समस्या के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सहारनपुर जिले में एक एक कुएं के लिये छः से दस हजार रुपये तक की जरूरत पड़ती है और छः छः सात सात मील के एरिया में एक कुवां होता है। वहां कुओं में डेढ़ डेढ़ दो दो सौ गज की रस्सी लगती है और दो-दो आदमी रस्सी उठा करके ले जाते हैं। इस तरह वहां सभी को तकलीफ होती है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछड़े हुये इलाके हैं उनको कम्युनिटी प्रोजेक्ट और दूसरी योजनाओं के सम्बन्ध में छोड़ दिया जाता है और जहां बहुत से ट्यूबवेल्स हैं, बिजली है, नहरें हैं और बहुत सी सुविधायें मौजूद हैं, उन इलाकों को प्लानिंग योजना में ले लिया जाता है। इस प्रकार जो पिछड़े हुये इलाके हैं उनको पहले लेना चाहिये और पिछड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

घरेलू दस्तकारी के बारे में भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ठोस योजना बनाई जाय। मेरे जिले में चमड़ा निकालने और रंगने का काम होता है। इस तरह जो पिछड़े हुये लोग हैं उनके लिये जो रुपया दिया जाता है वह उनकी समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। वह धनराशि इतनी कम है कि उनके मकानों के लिये भूमि का प्रबन्ध भी हम नहीं कर पाते हैं। इसलिये भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा परिगणित जातियों की दयनीय दशा को सुधारने और उनकी बढ़ती हुई व निर्धनता, दीनता तथा अधोगति बरोजगारी को दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठा कर एक सुनिश्चित योजना की नितान्त आवश्यकता है और तदनुसार

[श्री जयपाल सिंह]

सरकार को कार्य करना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनकी आबादी को देखा जाय तो कम से कम पांचवां हिस्सा अर्थात् २६ करोड़ रुपया पंचशाला योजना में से (earmasked)कर इस योजना के अन्तर्गत खर्च करना चाहिये। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सबको बराबर लाने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, साथी रामनरेश शुक्ल जी ने जो प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के लिये उपस्थित किया है उसमें मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं जो अन्त में जोड़ दिया जाय:---

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने:---

(१) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५२ को प्रदेश के सरकारी अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से कार्यान्वित न किये जाने पर क्षोभ नहीं प्रगट किया है।

(२) टेस्ट वर्क द्वारा सड़कों पर डाली गई मिट्टी को पूरे तौर पर स्थायी बनाने की योजना की चर्चा नहीं की है।

(३) बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्लावित कई जिलों के निवासियों को बसने, खाने और उनके बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था की कोई चर्चा नहीं की है।

(४) हजारों स्कूल जो पानी से गिर गये हैं उनको पुनः कैसे बनाया जायेगा इस सम्बन्ध में कोई सुझाव सरकार को नहीं दिया है।

(५) न्याय और शासन विभाग शीघ्र अलग किये जायं, इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की है।

(६) विकास योजनाओं, सामुदायिक विकास संघों मुख्यतः घोसी (आजमगढ़) में सरकार द्वारा प्रदत्त सुधरे हुये किस्म के सुअर को किसी गांव वालों द्वारा मार डालने के कारण संघ के दो कर्मचारियों पर मुकदमा चलाये जाने की चर्चा नहीं की।

(७) भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाने की व्यवस्था की ओर कोई संकेत नहीं है।"

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को उपस्थित करते हुये, जैसा कि आपने आदेश दिया था कि कुम्भ मेले की भी चर्चा की जा सकती है, चूंकि कल मैंने उसमें संशोधन उपस्थित करने के लिये आदेश प्राप्त करना चाहा था परन्तु नहीं मिल सका था उस सम्बन्ध में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और माननीय गृह मंत्री की स्पीच से जो हमने सारांश निकाला है उसकी वजह जगह की कमी बतायी गयी है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री को यह पहले से ही पता था कि जो कुम्भ मेले का मैदान है वह इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें ७०, ८० लाख आदमी एकत्र किये जा सकते हों। सरकार की यह बड़ी कमी है कि इतना कम मैदान होते हुये उस मेले का इतने जोरों से प्रचार किया गया, इतनी रेलें और बसें उपलब्ध कराई गईं जिसका नतीजा यह हुआ कि लाखों की तादाद में वहां जनता इकट्ठा हुई और काल कोठरी बना दिया गया उस मैदान को जनता को यह पता हर्गिज नहीं था कि इतना कम मैदान है और सरकार इतनी अदूरदर्शिता का परिचय देगी कि जगह

थोड़ी हो और लाखों की तादाद में जनता इकट्ठी की जायगी। इसकी जिम्मेदारी, मैं समझता हूं, सरकार के ऊपर है और सरकार को इसके लिए मानना पड़ेगा कि उनकी ओर से ग़लती हुई। सरकार को इस तरह से प्रोपेगेंडा करके जनता को काल कोठरी की तरह इकट्ठा करके हत्याकांड का इस तरह नंगा नाच नहीं कराना चाहिये था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने काशी में और इलाहाबाद में बयान दिया कि आठ घंटे के बाद हमको सूचना मिली। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के शक्तिशाली होने का सब से बड़ा यह सबूत होता है कि उसके जितने कर्मचारी हों, जितने उसके जरिये हों वे इतने मजबूत हों कि जल्द से जल्द सरकार के पास सूचना पहुंच जाय। जब कि आज पाक-अमरीकी समझौता से सारे देश पर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं उस समय हमारे प्रदेश में जो कि बहुत अच्छा प्रदेश माना जाता है, जहां की सरकार बहुत शक्तिशाली मानी जाती है और जहां के मुख्य मंत्री माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ऐसे बुजुर्ग नेता हों जब ऐसी सरकार की सारी शक्ति कुम्भ मेले की सजावट में लगी वहां इतनी बड़ी महान् दुर्घटना हो जाय और आठ घंटे के बाद मुख्य मंत्री जी को इसका पता चले, कहा नहीं जा सकता कि युद्ध में क्या होगा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कमजोरी सरकार के लिये और कोई हो नहीं सकती है और सरकार को बड़ी ईमानदारी के साथ इसको महसूस करना चाहिये। उन समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवश्य दण्ड देना चाहिए जिन्होंने इस काण्ड को छिपाने की कोशिश की है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि काशी में मुख्य मंत्री जी का बयान निकला और कल गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया कि हमारे कर्मचारियों ने बड़ी बहादुरी, बड़ी ईमानदारी, बड़ी तत्परता से कुम्भ मेले में काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें अविश्वास नहीं करता हूं कि कर्मचारियों ने काम नहीं किया, लेकिन इतना मैं महसूस करता हूं कि सरकार जिस तरीके से मेले के द्वारा अपनी शक्ति का परिचय देना चाहती थी, अपना जिस तरह से प्रोपेगेंडा करना चाहती थी उसमें असफल सिद्ध हुई और उसका मुख्य यही कारण था कि सरकार ने लाखों की तादाद में, बिना समुचित प्रबन्ध किये और बिना सामान मुहइया किये लोगों को बुलवा करके निरीह हत्या करायी। मैं सरकार की ईमानदारी में इतना अविश्वास करना चाहता हूं कि एक तरफ तो मुख्य मंत्री कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं और जिन लोगों की वजह से कांड हुआ है उनको सजा दी जायगी और एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जमुना प्रसाद त्रिपाठी और-और लोगों ने बड़ी तत्परता से काम किया, बड़ी मेहनत और परिश्रम से काम किया और बड़ी तारीफ का काम किया है। मुख्य मंत्री काशी में एक वक्तव्य निकालते हैं कि बड़ी ईमानदारी से तमाम अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने काम किया तो फिर जांच किसकी हो रही है। सरकार यह कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, यह मानवीय नहीं, दैवी कांड हुआ। तो सरकार बतलावे कि यह काण्ड मानवीय कांड नहीं है और दैवीकांड हुआ है तो यह सब विचार किस पर हो रहा है? मैं चाहता हूं कि सरकार को बड़ी ईमानदारी के साथ जो कुम्भ में कांड में जानें गई हैं उनके परिवार वालों को मुआविजा देना चाहिये और ग़लतियों को स्वीकार करना चाहिये और महात्मा गांधी हमारे देश के सब से बड़े नेता थे और यह सरकार उन्हीं के आदेशों पर चलने वाली अपने को कहती है। सन् १९४० का जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था और सब लोग जेल जा रहे थे उस आन्दोलन में गृह मंत्री भी जेल गये थे लेकिन जेलखाने से आने के बाद उन्होंने उस सत्याग्रह की बड़ी कटु आलोचना की। और कहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से देश में कोई जान नहीं आई जिसका प्रभाव हुआ कि महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से देश की

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

जनता में जान नहीं आयी। ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। अतएव सरकार को बड़ी ही ईमानदारी से कह देना चाहिये कि हमारी गलती है और हम जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है उस सम्बन्ध में मैं ने सदन में कई बार अपना ध्यान आकर्षित किया है, माननीय माल मंत्री यहां नहीं हैं, वह बलिया गये थे और वहां एक मेमोरेंडम गलत इन्दराज के सम्बन्ध में दिया गया है सारे प्रदेश तथा मुख्यतः आजमगढ़ में क्या क्या इस सम्बन्ध में हुआ, सदन इससे परिचित है। मैंने तो कई दफा कहा है कि सरकार के द्वारा दिये गये अधिकार का प्रदेश के हाकिमों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया है और खेतों के फसले होने के बावजूद भी भूतपूर्व जमींदारों ने किसानों के खेतों को पुलिस की मदद से काटा है। थाने में, मजिस्ट्रेटों के यहां दरख्वास्तें दी गई हैं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, किसानों के खेत काटे गये हैं। मेरे पास रिपोर्टें मौजूद हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में अगस्त के महीने में बड़ी विप्लवकारी बाढ़ और वर्षा हुई, विशेष रूप से आजमगढ़, बलिया, जौनपुर में विप्लव मचा, पर राज्यपाल महोदय ने इसकी कोई चर्चा नहीं की है। यह देख कर मुझे बहुत दुःख हुआ। इतनी बड़ी दैवी घटना हो और माननीय राज्यपाल की ओर से चर्चा न हो? आजमगढ़ जिले में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां हजारों पशु बिना चारे के मर गये हैं और आदमियों की भी यह दशा हुई। माननीय मुख्य मंत्री ने भी वहां पदार्पण किया और देखा भाला, पर सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। पशुओं के लिये चारा, मनुष्यों के अन्न वस्त्र का, सूबे में निरीह जनता के खेतिहर किसानों की सहायता के लिए ऐसे आपत्तिग्रस्त क्षेत्रों में टेस्ट-वर्क्स जारी होते हैं। हर दूसरे तीसरे साल संकटकाल में ये टेस्ट-वर्क्स चालू किये जाते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं करती है कि जो सरकार टेस्ट वर्क्स के जरिये लाखों रुपया खर्च करके मार्ग, नहर, बांध आदि निर्मित किये जाते हैं उनको स्थायी क्यों नहीं बनवाया जाय।

मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि टेस्ट वर्क्स के जरिये जो सड़कें, जो बांध वगैरह बनाये जाते हैं, उनको स्थायी रूप देने के लिए सरकार को सहायता देनी चाहिए, ग्राम पंचायतों और प्लानिंग कमेटियों को सहायता देनी चाहिए जिससे कि वे रास्ते वगैरह दुरुस्त किये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त आप जानते हैं और यह सदन जानता है कि जो आदमी, एवं गांव बाढ़ एवं वर्षा की वजह से बह गये, जिनके पास अब खाने पीने का कोई साधन नहीं रह गया है, हजारों की तादाद में उनके लड़के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में हैं, जो पढ़ाई लिखाई से महरूम होकर घर बैठे हुए हैं। इस सदन में शिक्षा मंत्री से, मुख्य मंत्री से और अन्य मन्त्रियों से कई बार निवेदन किया गया कि पूर्वी जिलों के विद्यार्थियों के पास जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनको पढ़ने लिखने के लिये कोई सुविधा सरकार की ओर से दी जाय। सरकार की ओर से स्कूल हेडमास्टरों एवं अन्य संचालकों के पास नोटिसें गई हैं कि ऐसे लड़कों की फीस माफ कर दी जाय। आप जानते हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूलों और कालेजों में जिला बोर्ड और मैनेजरों की ओर से १७ फीसदी फीस माफ रहती है। इसके उपरान्त सरकार का आदेश जाता है कि फीस माफ कर दी जाय। इसका नतीजा यह हुआ कि स्कूल के संचालक फीस माफ नहीं कर सके और बहुत से लड़के अपने घर बैठ गए। सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी गई है। इसी प्रकार से आजमगढ में सैकड़ों स्कूल हैं जो बाढ़ से हर साल धराशायी हो जाते हैं। आजमगढ जिला ऐसा जिला है जहां पर लोग

साल भर अपनी कमाई से खा भी नहीं सकते हैं। हर तरीके से परावलम्बी रहते हैं। वहाँ की जनता के भरोसे स्कूल की इमारतें नहीं बन पायेंगी। सरकार को इसमें मदद देनी चाहिये।

न्याय और शासन विभाग के सम्बंध में भी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। न्याय और शासन विभाग के एक में रहने से प्रदेश की जनता को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आज प्रदेश में जो अधिकारी हुकूमत करने वाले हैं, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार हैं, वही मुकदमों का भी फैसला करने वाले हैं। आजमगढ़ में मैं जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के जिम्मे इतना काम है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ईमानदारी से मुकदमा करने बैठता है तो नहीं कर पाता है। आजमगढ़ जिले में कोई महीना नहीं जाता है जिसमें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, उपमंत्री या मंत्री न जाते हों। एक बहुत बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने मुझे बताया कि क्या कहा जाय, मुकदमों के निर्णय कैसे जल्दी किये जायं, हर महीने मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर आया करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, और तारीफ की बात यह है कि मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी वहां जाते हैं तो गैर-सरकारी कामों में भी हिस्सा लेते हैं। अभी अभी हमारे सभा सचिव श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी हमारे गांव के पास गये थे, पिछड़े वर्ग सम्मेलन में और मैंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार, छोटे तहसीलदार, थानेदार सब साथ-साथ पीछे चले जा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं सरकार से कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ, उसमें और ऐसे ऐसे गैर-सरकारी कामों में सरकार की सारी ताकतें लगा दी जाती हैं और हजारों आदमी जो अदालतों में गवाह लेकर, वकील लेकर और पैसा खर्च करके जाते हैं, वे वापस चले जाते हैं। इस तरह से रोजमर्रा काम हो रहा है। तीन साल पहले आजमगढ़ में एक सीनियर डिप्टी मैजिस्ट्रेट अपील के मुकदमों का फैसला करने के लिए रखा गया था जिससे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपीलों से अवकाश मिल जाता था और कार्यों को करते थे। लेकिन अब आजमगढ़ में इस प्रकार का कोई डिप्टी मैजिस्ट्रेट नहीं है। इस तरह से मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय और शासन विभाग को जल्दी से जल्दी अलग करें और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बजट में जो कि जल्द ही आने वाला है माननीय मुख्य मंत्री ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे सारे प्रदेश में न्याय और शासन विभाग अलग हो सकें और जो जनता परेशान है, न्याय नहीं प्राप्त कर पाती है, उसे राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त विकास योजना के सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूं। सरकार बहुत दावे के साथ कहती है कि विकास योजनाओं में हर एक विचारधारा के आदमियों को सहायता देनी चाहिए। यह सच है कि ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति देश को मजबूत करना चाहता हो उसको इसमें शरीक होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां आजमगढ़ जिले में बदकिस्मती से यह हाल है कि जून के महीने तक तीन चार हजार रुपया खर्च हुआ। पिछले बजट में ९० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। लेकिन वहां होता क्या है? जैसे हमारे साथियों ने कुम्भ मेले का जिक्र किया कि क्या क्या प्रदर्शन किये गये ठीक उसी तरह से विकास मेला हमारे जिले में होता है और वहां क्या होता है मैं उसके ब्योरे में नहीं जाना चाहता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि उस सामुदायिक योजना में जो सरकारी रुपया खर्च हो रहा है वह पानी की तरह बहाया जा रहा है। कोई ठोस प्रोग्राम नहीं है। चार पांच गांव हमारे क्षेत्र में भी पड़ते हैं। जब यहां से छुट्टी मिलती है तो मुझे हर महीने वहां जाने का मौका मिलता है। लेकिन मैं देखता हूं कि उन गांवों में कोई नये सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं किये गये। नये नये बीज उन गांवों की तरक्की के लिए नहीं दिये गये। नये किस्म के सुधरे हुए जानवर नहीं दिये गये। छोटी सी बात है लेकिन कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

एक नये किस्म का सुअर दिया गया था। वह सुअर गांव वालों ने जंगली समझकर मार डाला। वहां के थानेदार ने, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लोग कहते हैं कि नाजायज तरीके से पैसा लेकर के सामुदायिक योजना में काम करने वाले दो कर्मचारियों पर ही उसका मुकदमा चलाया। मुकदमे का फैसला हुआ और मैजिस्ट्रेट ने उन कर्मचारियों को छोड़ दिया और उस थानेदार की बड़ी कड़ी आलोचना की है। माननीय फूलसिंह सदन में मौजूद नहीं हैं। वह आजमगढ़ तशरीफ ले गये थे। उसके पहले मैंने सदन में सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि जब मैं आजमगढ़ चलूं तो जिक्र करें। मैंने जिक्र किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जिनके जिम्मे सारा काम है और यह विभाग की है, इस विभाग को देखें। घोसी में लाखों रुपया खर्च होता है। आपके कर्मचारियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता हो और इस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल रहा हो, ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ बड़ी कड़ाई के साथ व्यवहार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--पहले संशोधन देने वाले सदस्यों को मैं मौका दे रहा हूं। इसलिए जिन सदस्यों ने संशोधन नहीं दिये हैं, वे अभी कष्ट न करें, उनको बाद में मौका मिल जायगा।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)-- श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक नम्र निवेदन अपने प्रेस रिपोर्टर्स से करना चाहता हूं कि वह आज से मेरे नाम के आगे 'हिन्दू महासभा' लिखा करें।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं समझा नहीं। क्या अब से "श्री ज्वाला प्रसाद हिन्दू महासभा" नाम होगा?

श्री अध्यक्ष--वह लिखकर प्रार्थना करें तो मैं सोचूंगा। मैं समझा कि यह भाषण का भाग है।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट और ज्यादा मिल गये। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जो प्रस्ताव शुक्ल जी ने उपस्थित किया है उसके अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

> "परन्तु नम्रतापूर्वक खेद है कि महामान्य राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन में साधारण जनता, अधिकारीवर्ग व कर्मचारिवर्ग के अधिकांश लोगों में जो आलस्य व निजी स्वार्थ सिद्धि की मात्रा स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् बढ़ती जाती है उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं बतलाया है।"

मैं यह निवेदन करूंगा कि आज हमारे प्रान्त में अधिकांश जो साधारण जनता है उसमें आलस्य बढ़ता जाता है इसके बढ़ने का कारण क्या है? मैं अभी १९ दिसम्बर को गुजरात और काठियावाड़ की ओर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिये गया था। इसके अलावा अगर आप वहां जायं, तो आप देखेंगे कि वहां की जनता हमारे यहां की जनता से ज्यादा खुशहाल है। उसके मैंने दो कारण समझे। एक तो यह समझा कि वहां जो जनसाधारण है वह बहुधा अपने ही कार्य में लगी रहती है, बेकार की बातें नहीं करती और तकरार नहीं करती। झगड़ालू नहीं है, मुकदमें बाजी नहीं करती। गोकि मैं वकील की हैसियत से नहीं चाहता कि मुकदमेबाजी बन्द हो जाय लेकिन इसके साथ यह भी चाहता हूं कि ठीक तरह से लोग रहें और ठीक तरह से मुकदमेबाजी भी करें। मगर वहां मैंने यह देखा और मुझे बड़ा हर्ष और प्रसन्नता हुई। मैंने

अपने यहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चक साहब को दो पत्र भी लिखे कि मेरी बड़ी भारी कामना है कि अगर हमारे प्रान्त में भी लोग इतने ही खुशहाल हो जायं। वहां गरीब लोग जो कोरी, पासी, चमार कहे जाते हैं उनके भी देहात में दोमंजिला पक्के मकान बने हुए थे। लेकिन हमारे यहां गरीबी का कारण यह है कि आज ज्यादातर लोग देहातों में आलसी हैं, कुछ काम नहीं करते और गप्प लड़ाया करते हैं और अगर किसी के पास कुछ रुपया हो गया तो वह तकरार में अपने पड़ोसी को तबाह करने में खत्म कर देता है। तो इसका मुख्य कारण जो मैंने निकाला वह यह है कि उन लोगों को ठीक रास्ता नहीं बतलाया जाता। हमारे बनारसीदास जी ने स्वयं यह कहा कि जनता तो हमारी बड़ी भोली भाली है। जो यह कहते हैं कि कुम्भ मेले पर सुप्रबन्ध की बात कह कर कांग्रेसी लोग अगले जनरल इलेक्शन में फायदा उठाना चाहते थे तो अगला जनरल एलेक्शन तो तीन साल बाद आयेगा और उस वक्त तो जनता इस बात को भूल भी जायगी। जब हमारे मंत्री और उपमंत्री यह समझते हैं कि जनता हमारी बड़ी भोली भाली है तो उनको चाहिये कि वे उनके भोलेपन से नाजायज फायदा न उठा कर उसकी उन्नति का आयोजन करें। मैं यह नहीं कहता कि सभी मंत्रीगण या उपमंत्रीगण ऐसे हैं जिनके हृदय में देश की उन्नति की भावना नहीं है लेकिन दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि कुछ मंत्री और उपमंत्री ऐसे हैं कि जो केवल पद लोलुपता में ही पड़े हुए हैं। उनमें केवल आलस और निजी स्वार्थ की भावना पायी जाती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यह देख कर दुःख होता है। मुझे यह भी दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे प्रदेश के अधिकांश लोग चाहे वे किसी वर्ग या दल से हों, कांग्रेसी हों, चाहे सोशलिस्ट हों या कम्युनिस्ट हों, हिन्दू महासभाई हों या जनसंघी, सबके सब जातपांत के झगड़े में पड़े हुए हैं। जातपांत के लिये कृष्ण महाराज ने एक जगह कहा है "चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।" जातपांत तो कर्म और गुण के अधीन है। अपने लड़के और लड़की की शादी ब्याह में हम उसे बरतें लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो जहां पहुंच जाता है वहां वह अपनी ही जात के लोगों को नौकर रखता है, उनको उठाने की कोशिश करता है। मैं किसी कानून का नाम तो इस वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने मुझे एक बार टोका था कि जो कानून पास हो गये हों उनके विरुद्ध कोई बात न कही जाय जब तक कि वह कानून इस सदन के सम्मुख न आये, लेकिन जनरल तौर पर मैं यह कहने को तैयार हूं कि हमारे कानून भी ऐसे बनते हैं जिनकी वजह से जनता को कुछ भ्रम हो जाता है।

एक बात और है और वह यह कि जनता यह समझती है कि जो कुछ वह पैदा करेगी, जो कुछ वह उत्पादन करेगी उसे किसी न किसी रूप में सरकार ले लेगी। इसी वजह से आलस्य बढ़ता जाता है, किस आधार पर मनुष्य का जीवन निर्भर है उस आधार को हम भूल गये। दूसरों की नकल करते हैं और हमारी जो पुरानी संस्कृति परम्परागत चली आ रही है उसको भूलते जाते हैं। हम तो अपनी संस्कृति में जो दूसरों की अच्छी बातें हैं उनको मिलाने का प्रयत्न करते हैं। कभी पहले मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें बतलाया गया था कि हिन्दू मुसलिम संस्कृति का किस प्रकार से सामञ्जस्य है। वह बहुत सुन्दर तरीके से लिखा गया था। हमारी यह संस्कृति रही है कि अच्छी बातें दूसरों से ले सकें और उनको मिलाने की कोशिश कर सकें। अब तो हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है। उसमें धर्म के लिये कोई स्थान नहीं है और संस्कृति का तो फिर स्थान ही नहीं रह जाता है। एक मित्र कह रहे हैं कि नास्तिक हैं। मैं यह तो नहीं कहूंगा लेकिन यही कहूंगा कि धर्म निरपेक्ष राज्य है। परन्तु जो मूल बातें हैं और जिनके आधार पर मानव जीवन बनता है और बिगड़ता है उनको तो सरकार जरूर अपने यहां स्थान दे। मैं आपके द्वारा सरकार से

[श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा]

यह निवेदन करूंगा कि वह इन सब बातों का अध्ययन करे और हमारी जनता को ठीक रास्ते पर लाने का प्रयत्न करे।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं:—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने पहाड़ी इलाकों के विकास व न्याय प्रशासन के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया।"

अध्यक्ष महोदय, साधारण तौर से राज्यपाल के संबोधन में सरकार के उन कार्यों का संक्षेप में विवरण हुआ करता है जो कि सरकार ने पिछले वर्ष किये हैं और साथ ही सरकार के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा और उसकी नीति भी जाहिर होती है। इस संबोधन में राज्यपाल महोदय ने पिछले वर्ष के कार्यक्रम का पूरा विवरण दिया है और विशेषकर विकास के किये गये और होने वाले कार्यों पर अधिक प्रकाश डाला है। किन्तु दुख है कि उन्होंने अपने सम्बोधन में पर्वतीय इलाकों के विकास के लिये कोई कार्यक्रम या रूपरेखा नहीं दिखायी है। अध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि पर्वतीय इलाके अभी तक बहुत पिछड़े हुये हैं। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य मुझे इस प्रकार से कहते हुये कि पर्वतीय इलाकों पर ध्यान नहीं दिया, यह कहते होंगे कि यह बड़ा संकीर्ण विचार है। बहुत से इसके जवाब में उदाहरण देकर नैनीताल की मिसाल देते हैं कि जहाँ पर अधिक रुपया खर्च किया जा रहा है। नैनीताल शहर को छोड़ कर अन्य स्थानों की क्या हालत है यह आपको विचार करना है। नैनीताल का अंग्रेजों के जमाने से ही डेवलपमेंट (विकास) होता रहा है और तभी से उसका डेवलपमेंट बराबर होता जा रहा है किन्तु नैनीताल शहर के अतिरिक्त नैनीताल जिले में और दूसरे बहुत पिछड़े हुये इलाके हैं। इसके अतिरिक्त गढ़वाल, अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल और जौन्सार बावर के इलाके हैं, जो बहुत पिछड़े हुये हैं और जहाँ पर विकास होने की बहुत आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि पर्वतीय इलाके में ही विकास हो और दूसरी जगह पर विकास हो चुका है किन्तु यह बहुत आवश्यक है कि यदि देश का उत्थान करना है तो देश के प्रत्येक अंग का पूर्ण विकास होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से स्वस्थ शरीर के लिये शरीर के सारे अंगों का स्वस्थ होना जरूरी है उसी तरह से देश की उन्नति के लिये राज्य के प्रत्येक अंग का और प्रत्येक जिले का समान रूप से विकास होना बहुत आवश्यक है। चूंकि पर्वतीय इलाके बहुत पिछड़े हुये हैं और उनकी समस्यायें देश के इलाकों से कुछ भिन्न हैं इसलिये मुझे आशा थी कि राज्यपाल महोदय के संबोधन में हमारे इलाकों के लिये कुछ नीति निर्धारित होती। अलबत्ता उसमें कुछ जिक्र आया है कि जौनसार बावर इत्यादि के इलाके में कुछ विशेष कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। मेरी जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने डेढ़लाख रुपया मिर्जापुर, टेहरी-गढ़वाल और जौनसार बावर के सुधार के लिये दिया है इस शर्त पर कि इतना ही रुपया प्रदेश की सरकार भी वहाँ खर्च करे। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश की सरकार अपना हिस्सा लगाने को तैयार नहीं है और केन्द्रीय सरकार को उन्होंने लिख दिया है कि प्रान्तीय सरकार इस मद में अपना हिस्सा नहीं दे सकती है। साथ ही यह भी लिख दिया गया है कि प्रान्तीय सरकार पिछड़े इलाकों के लिये काफी रुपया खर्च कर रही है जिसके मानी यह हो सकते हैं कि केंद्रीय सरकार को भी वहाँ के लिये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि राष्ट्र के कार्यों में बहुत सा रुपया खर्च हो रहा है। बाँध और नलकूप इत्यादि बनाये जा रहे हैं। सरकार ने देश की आर्थिक उन्नति की है जिससे हमारे प्रान्त को भी फायदा हुआ है। प्रत्यक्ष रूप में न सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हम लोग भी उनसे फायदा उठा रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में रुपया खर्च करने के लिये कह दिया जाता है कि वहाँ इन मदों पर खर्च करना इकोनामिक नहीं होगा। हम संतोष कर लेते हैं। पर जब मोटर सड़क का प्रश्न आता है और पर्वतीय क्षेत्र में मोटर रोड की आवश्यकता होती है फिर भी वहाँ जिलेवार २,३ लाख रुपया दिया जाता जो खाली मेंटीनैन्स के लिये भी पर्याप्त नहीं होता है और कह दिया जाता है कि सरकार

के पास रुपया नहीं है और वह उदारता नहीं दिखा सकती है कि इन पिछड़े हुये इलाकों में कुछ अधिक दिया जाय।

जब तक आप पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिक हालत को नहीं सुधारेंगे तब तक किसी सामाजिक सुधार की बात भी कोई मानी नहीं रखती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कौनसी योजना सरकार ने पर्वतीय इलाकों के आर्थिक, सामाजिक सुधार के लिये रखी है। जहाँ पर इग्नोरेंस ब्लिस हो, जहाँ पर ऐग्रीकल्चर नाममात्र की हो, जहाँ पर इतनी बुरी सामाजिक प्रथायें हों कि वहाँ बाल विवाह और बहुविवाह हुआ करते हैं। जहाँ पोलीएन्ड्री तथा पोलीगैमी अंधविश्वास इतना अधिक हो कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो बजाय दवादारू के वहाँ भूत नचाया जाता है। क्या सरकार इन पिछड़े हुये इलाकों को विशेष प्रीफरेंस नहीं देगी? इस प्रकार से कुछ इलाकों को पिछड़े हुये रखना न्याय संगत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की जो कुछ भी कार्यवाहियाँ हो रही हैं और खास तौर से उसको बजट के सिलसिले में ऐसा रखना चाहिये कि वहाँ पर जो व्यवस्था भी हो वह वहाँ की आर्थिक हालत को सुधारने वाली हो।

वहाँ पर एक रेजिन इंडस्ट्री है। पिछले साल सरकार के डिप्टी मिनिस्टर श्री नेगी साहब ने उसके बारे में कहा था कि चूंकि वे कन्ट्रेक्टर्स को मजबूर नहीं कर सकते इसलिये अगले साल से सरकार उस कारोबार को अपने हाथ में ले लेगी और उसके लिये लोकल लेबरर्स को मुकर्रर करेगी। लेकिन अब कहा जाता है कि वे (स्थानीय) लोग घाव लगाना (पेड़ों को छीलना) भी नहीं जानते। इस प्रकार से जो एक दो लाख रुपया लोकल लेबरर्स को मिल जाता वह भी नहीं मिल पायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब होता है कि पहले पब्लिक मीटिंग में यह ऐलान कर दिया जाता है और आज यह कहा जाता है कि लेबरर्स इस काम से अनभिज्ञ हैं और पेड़ों को लेना भी नहीं जानते। वहाँ के लेबरर्स ने एक श्रमिक संघ भी बनाया है और उस संघ ने कहा था कि हम इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि अगर उसमें कुछ नुक्सान होगा तो उसके वे जिम्मेदार होंगे। लेकिन जिस पर आज यह सरकार कहती है कि वे लोग घाव लगाना भी नहीं जानते। इसलिये उनको काम नहीं दिया जाता है।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्तुत प्रस्ताव, जो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में, शुक्ल जी ने अपने धन्यवाद के प्रस्ताव के समय उपस्थित किया था, उसमें मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाय—

> "किन्तु सदन को खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक की चर्चा की, किन्तु इस प्रदेश में चीनी मिल मालिकों के विरोध में चलने वाले गन्ना उत्पादकों के आन्दोलन के प्रति सरकारी हस्तक्षेप और दमन की निन्दा नहीं की।"

मैं इस संबंध में आपकी आज्ञा से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके संबंध में राज्यपाल के भाषण में एक पंक्ति है—

> "गन्ना उत्पादकों के लिये उचित मूल्य की व्यवस्था की गयी है।"

यह बात समझ में नहीं आयी क्योंकि जो विधेयक गन्ना पूर्ति तथा उत्पादन का इस सदन ने वापस किया था उसमें गन्ना उत्पादकों के लिये उचित मूल्य की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी और न इस सदन को यह अधिकार ही था। अतः ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसलिये भाषण के अन्दर जो यह वाक्य है उनका मतलब मेरी समझ में नहीं आया।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करना है कि पिछले दिनों में जो गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक इस संबंध में इस सदन ने पास किया था उस समय भी विरोधीदल तथा अन्य साथियों ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया था कि गन्ने की कीमत को बढ़ाया जाना

[श्री हनुमानप्रसाद मिश्र]

चाहिये तथा उसकी कीमत के बिना बढ़ाये किसी भी तरह से गन्ना उत्पादकों को इस बात की प्रेरणा नहीं मिल सकती कि वे गन्ना अधिक से अधिक पैदा करें। परन्तु इसका ध्यान उस वक्त इसलिये नहीं किया गया चूंकि सदन को इस बात का अधिकार नहीं था और सिफारिश के लिये भी कहा गया, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया और आज उसी के परिणाम स्वरूप यह नतीजा है कि सारे सूबे में आज ४० मिलों के अन्दर हड़ताल चल रही है और १९२ आदमी के करीब गिरफ्तार हो चुके हैं। इस सदन के ४ माननीय सदस्य भी आज जेल के अन्दर बन्द हैं। हमें ताज्जुब तो इस बात का है कि हमारी सरकार हर बात के भूत और भविष्य के बारे में तो व्यवस्था और इन्तजाम को सोच लेता है लेकिन वर्तमान की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। गन्ना पूर्ति के इस विधेयक के बारे में भी जो कुछ उसने किया उसकी पहले चर्चा हुई और भविष्य में जो नफा होगा उसका भी बटवारा किया जायगा इसकी भी चर्चा हुई, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसकी कोई चर्चा नहीं की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान कुछ तथ्यों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि उचित और न्यायसंगत हैं और जिनसे सरकार की व्यवस्था में सुविधा मिलेगी।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि गन्ने की सभी मिलें चल रही हैं, कोई जिक्र करने की बात नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जब इस उसूल को मान लिया गया है कि गन्ने की कीमत पौने दो रुपये मन होनी चाहिये और यह कीमत उसूली तौर पर मानी गयी है जिसको सब लोगों ने मान लिया है तो फिर सरकार ने .....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर (श्रीमान जी, विधान का प्रश्न है) मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि किसने पौने दो रुपये माना है, इसको वे बतला दें।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र—मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने किसी के जरिये न सही, खुद अपनी जिम्मेदारी से यह महसूस किया कि गन्ने का जो नफा है वह बाँटा जाय। बहरहाल यह मान लिया गया है कि जो मुनाफा होगा वह किसानों में बाँटा जायगा। मैं यह दिक्कत इसलिये पेश करता हूं कि यह दिक्कत उस समय पेश होगी जब कि मुनाफा बाँटा जायगा क्योंकि उस समय किसानों को मुनाफा लेने में बड़ी असुविधायें होंगी। आज हम देखते हैं कि किसानों का जो रुपया वारफंड में जमा था और तमाम ऐसे रुपये जो उसके गन्ने के बाकी रहते हैं उनको लेने के लिये तो वह नहीं पहुंचता है और उसका तमाम रुपया डूब जाता है। इससे उसको बड़ी दिक्कत होती है। अभी आपने हाल ही में उसके लिये एक कानून के द्वारा मिल मालिकों को मजबूर किया है कि वे गन्ने की कीमत जो उनको नहीं देते हैं, दें और उनको रुपया देने में देर न करें। आपने खुद ही मजबूर किया है। तो गन्ने का नफा जिस वक्त वितरण किया जायगा, उस समय जो अव्यवस्था, असुविधायें व दिक्कतें पेश होंगी उनके लिये फिर मजबूरन आपको कोई कानून भी बनाना पड़ेगा ताकि उनको गन्ने की कीमत ठीक वक्त पर और सही तरीके से मिल सके। ये तमाम दिक्कतें उस वक्त पैदा नहीं हो सकती हैं। जब यह कहा जाता है कि गन्ने की कीमत पहले ही ठीक दे दीजिये, नफे का बटवारा न हो तो फिर इसमें क्या आपत्ति की बात है? नफे के बटवारे के माने तो मैं यह समझ सकता हूं कि ऐसे जो भी हिस्से लगते हैं चन्दे के नाम पर, गुप्त दान के नाम पर, एलेक्शन खर्च का चन्दा, किसी पार्टी या संस्था का चन्दा या किसी किस्म का भी चन्दा हो, उन सब का हिस्सा निकाल कर जो बचेगा उसमें से नफा निकाला जायगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से किसानों को उस वक्त एक रुपया और दो

रुपया नफा लेने के लिये सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब मुश्किल से किसी को कुछ मिल सकेगा। आप बोनस के मामले को ही देख लीजिये कि उनके लेने में कितनी दिक्कतों का मजदूर को सामना करना पड़ता है। जब बोनस के मामले अदालतों से तय हो जाते हैं फिर भी उनको लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जब किसानों के सामने गन्ने के नफे के बटवाने का सवाल होगा तब तो उन्हें और भी दिक्कत होगी। इसलिये गन्ने की कीमत तय न होने से उस वक्त ये सारी दिक्कतें किसानों के सामने पेश होंगी। इसलिये मैं आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह अव्यवस्था जो होगी उसको सम्हालना भी सरकार के लिये मुश्किल पड़ जायगा। गन्ने के नफे के बटवारे के संबंध में अगर सरकार चाहती है कि मिलमालिक उसको बांटें तो वह नहीं हो सकता। सरकार और मिलमालिकों की सांठ गांठ है। आज जिनको गन्ना की पूर्ति के संबंध में बाधक समझा जाता है खाह वह बाधक हों या न हों लेकिन जिनपर आज पुलिस की तरफ से तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं जिनको आज जेल भेजा जा रहा है केवल इस उसूल पर कि गन्ने की पूर्ति में कमी न पड़े तो उसी उसूल पर जब और मिल मालिक कभी लाक आउट करते हैं तो उनको क्यों नहीं जेल भेजा जाता? क्या लाक आउट होने के बाद भी अन्दर अन्दर मिलें चलती रहती हैं, क्या कपड़ा बनता रहता है और शकर बनती रहती है जब कि लाक आउट हो कर मिल बन्द रहती है? फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? तो एक तरफ तो एक तबके के लोग जेल के शिकार बनाये जाते हैं और मिलवालों को इस तरह से छूट दी जाती है। क्या यह सांठ-गांठ नहीं है? एक तरफ तो जितने अधिकार पुलिस को ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने, परेशान करने के दिये गये हैं उसी से माननीय गृह मंत्री संतुष्ट नहीं हैं और दूसरी तरफ मिलमालिकों के लिये खुली छूट है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि आज पुलिस द्वारा उन अधिकारों का दुरुपयोग कर के आम जनता को परेशान किया जा रहा है और हमारे मंत्री महोदय उनकी तारीफ करने में इस सदन में नहीं हिचकते। मैं आपसे कहता हूं कि आज विरोधी दल की तरफ से इसके लिये आवाज उठाई गई है। आप भले ही इसके महत्व को न समझें लेकिन आप आम जनता के अन्दर जा कर इस बात को महसूस करेंगे कि कहां कमी है। मैं सरकार की नीयत में संदेह नहीं करता कि वह इसमें सुधार नहीं करती। करती होगी लेकिन इन सुधारों का परिणाम भी यह होता है कि आम जनता परेशान ही होती जाती है। आज पुलिस के जो अधिकारी दंडित किये जाने चाहिये, जिनको सजायें मिलनी चाहिये उनकी तारीफ होती है और उनके साहस को बढ़ाया जाता है। प्रजातंत्र के इस युग में यह सब से बड़ी सजा है कि जनता यह महसूस करे कि यह आदमी सजा के काबिल था और इसको सजा मिली। उसको बचाकर आज आप भले ही निकाल ले जायं, और आप उसे कर भी सकते हैं, आपके पास बहुमत है, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज सूबे भर के अन्दर एक जबरदस्त आन्दोलन किसानों का चल रहा है और उसको चलते हुये १३ दिन आज हो गये हैं और सैकड़ों आदमी उसके शिकार बन चुके हैं। कहा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी उसको करती है और उसी ने जबरदस्ती किसानों का गन्ना रोक रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी की तो कोई इतनी बड़ी शक्ति नहीं है लेकिन आपके पास बहुमत है आप स्वयं एक दफा प्रयत्न कीजिये ६६ गन्ना की मिलों में और किसानों का गन्ना रोकने में अपनी सारी शक्ति भी आप लगा दीजिये तो भी क्या आप गन्ने को रोक लेंगे। अगर किसान खुद गन्ना न रोकना चाहे तो क्या कोई पार्टी इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि जो इतने बड़े जनसमूह के गन्ने को रोक दे? मैं पश्चिमी जिले की बात बतलाना चाहता हूं जहां सोशलिस्ट पार्टी की कोई शक्ति नहीं है लेकिन आज वहां के किसान भी सोशलिस्ट पार्टी को मजबूर कर रहे हैं और उन्होंने स्वतः आन्दोलन अपने पैरों पर उठाया है। इस सदन के समक्ष जब गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक उपस्थित था तब मैंने कहा था कि कितनी भी आप सुव्यवस्था इस विधेयक के द्वारा किसानों के लिये करना चाहें लेकिन यह निश्चित है कि अगर उनकी कीमत नहीं बढ़ेगी तो कोई भी प्रेरणा उनको नहीं मिल सकती। उसको आप किसी न किसी तरह घुमा फिरा

[श्री हनुमानप्रसाद मिश्र]

कर मानते हैं और करते भी हैं और उसे रोकने के लिये भी कहते हैं कि नफा बाटेंगे। लेकिन यह कौन सा तरीका है कि उनसे एक दफा ले लीजिये और बाद में फिर उसे वापिस कीजिये। इससे आपको क्या फायदा है। आप मिल मालिकों को क्यों नहीं मजबूर करते हैं? आप किसानों के रास्ते में क्यों रोड़ा बनते हैं? आप दोनों के रास्ते से हट जाइये और उन्हें खुद अपना फैसला करने दीजिये। खरीदार और बेचने वाले दोनों अपना फैसला कर लेंगे। इसे आप क्यों नहीं पसन्द करते? आपके पास इसका आखिर क्या जवाब है सिवाय इसके कि बड़े बड़े चन्दे और बड़ी बड़ी थैलियां चुनाव के लिये कहां से मिलेंगी? तमाम ऐसे भी भाई हैं जिनको माहवार और सालाना वहां से किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ सहायता मिल जाती है। और कह यह दिया जाता है कि यह मिल के लोगल एडवाइजर हैं या कोई न कोई इसी तरह की बात बता दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बड़े अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नीति के द्वारा इस राष्ट्र का हित नहीं होने वाला है जब तक कि सरकार अपनी कमजोरियों को सदन के समक्ष और देश के समक्ष मानने का साहस नहीं करती। मुझे अफसोस है कि सदन के अन्दर हमारे ४०० माननीय सदस्य उपस्थित हैं जो कि आज सामूहिक रूप से, या कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से, इस भयंकर 'कुंभकरण' नगर के रक्त स्नान की भयंकर दुर्घटना को मानने का साहस नहीं करते। एक तरफ तो गैलरी में अश्रुधारा बह रही है और दूसरी तरफ सदन में सफेद टोपी के नीचे मुस्कराहट है।

अध्यक्ष—(श्री मदनमोहन उपाध्याय से) आपका संशोधन जो है वह रामसुन्दर पाण्डेय वाले में आ गया है। क्या अभी आप इसको पेश नहीं करेंगे?

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अगर आप इजाजत दे दें तो मैं शाम को पेश करूंगा।

अध्यक्ष—तो मैं आगे बढ़ता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनरेश शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत श्री राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

> "किन्तु सदन को खेद है कि राज्यपाल महोदय ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिया।"

अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह की चारों तरफ वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है उसके विरुद्ध आक्षेप होता है और कहा जाता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति बिलकुल गलत है और इसमें परिवर्तन होना चाहिये। मैं यह आशा करता था कि राज्यपाल महोदय ने पिछले गत वर्ष के अन्दर शिक्षा पद्धति में जो कुछ परिवर्तन किये गए हैं उनका विश्लेषण करते और उसके आगे जो वर्तमान पद्धति है जिसके कारण देश का अहित हो रहा है उसमें वे क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका भी कुछ विश्लेषण करते। जैसा कि आजकल कहा जाता है कि शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, आज देश में जितनी शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें अनुशासनहीनता है, और देश के अन्दर जितने शिक्षक हैं वे पढ़ाने में ध्यान नहीं देते हैं। और वे अपने प्रोफेशन में, अपने पेशे में, दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इस प्रकार से अवश्य कहा जाता है लेकिन उसके स्थान पर क्या आल्टरनेटिव होना चाहिये, यह हम लोग नहीं देखते हैं, न गवर्नमेंट की किसी घोषणा में देखते हैं और न राज्यपाल महोदय के संभाषण में देखते हैं जो कि एक प्रमुख आइना होना चाहिये था जिस के लिये इस प्रदेश के लोग टकटकी लगाये बैठे थे कि हमारे राज्यपाल महोदय अपने भाषण में यह बतलाएंगे कि शिक्षा पद्धति में क्या-क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। हम आज देखते हैं कि एक अव्यवस्था सी होती जा रही है, चाहे हम विश्वविद्यालय

की शिक्षा को लें, चाहे प्राइमरी शिक्षा को लें। संभाषण में कहा गया है कि आगरा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट ऐक्ट पास कर दिया गया है, एक राम बाण चला दिया गया है, इससे विश्वविद्यालय की सब समस्याएं हल हो जायगीं। इसी प्रकार से आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट हायर सिकेन्ड्री स्कूलों के सम्बन्ध में भी है। उसकी कुछ धाराओं को लागू किया गया है या नहीं किया गया है, इसका भी विश्लेषण इसमें नहीं किया गया है। अचानक गवर्नमेंट यह देखती है कि प्राइमरी शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिये। परन्तु प्राइमरी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक कोई एक पूरा खाका सरकार के सामने नहीं है। इस संभाषण में इसका आना आवश्यक था जिस से प्रदेश के लोग यह देख सकते कि हमारी शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। शिक्षा के सम्बन्ध में चार पांच तत्वों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है शिक्षक का स्थान सब से प्रमुख आता है। परन्तु हम आज ऐसा वातावरण नहीं तैयार कर रहे हैं जिससे शिक्षक अपने कार्य में दिलचस्पी लें। आज हमारे मंत्रियों के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा शिक्षकों को यह आदेश दिया जाता है कि वे आदर्श बनें, ऋषि मुनि बनें। परन्तु जो उनकी अव्यवस्थाएं हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। आज हम जिला बोर्डों और अन्य बोर्डों के प्राइमरी स्कूलों को अखबारों में देखते हैं और खासकर अपने जिला गढ़वाल के प्राइमरी स्कूलों को देखते हैं कि अध्यापकों को आठ-आठ नौ-नौ महीने का वेतन नहीं मिलता है। जिला बोर्डों के पास पैसा नहीं है और इधर सरकार कहती है कि हमारे पास भी पैसा नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

एक नयी योजना बनाई गयी है। तमाम जिला प्लानिंग आफिसर्स और जिला निरीक्षकों के सम्मुख माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने संभाषण में यह कहा था कि स्कूलों को प्रोडक्शन सेंटर बना दिया जायगा। जैसा कि अनुमान किया जाता है शायद वहां पर एक कारखाना स्थापित करने की कल्पना की जा रही है। उससे यह अनुमान किया जा रहा है कि सब समस्याएं हल हो जायंगी। वहां कुछ पैसे प्राप्त हो जायगें और उन पैसों के द्वारा शिक्षा का स्तर बढ़ जायगा। मुझे अपने जिला गढ़वाल का व्यक्तिगत अनुभव है। हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने यह एलान किया था कि बहुत से प्राइमरी स्कूल खोले जायगें, उनकी बिल्डिंग खड़ी कर दी जायंगी और इसके लिये प्रत्येक स्कूल को एक हजार रुपया दिया जायगा। आज हम देखते हैं कि हजारों स्कूल जिलों के अन्दर खड़े हैं। लोगों ने बिल्डिंग बना दी है जिनकी कीमत पांच, सात, आठ हजार तक है, लेकिन कहीं कहीं तो सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है। इस प्रकार आप स्कीमें बना देते हैं, जनता को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आप अपने वचनों का पालन नहीं करते हैं, जिससे जनता को अपार क्षोभ होता है। इसी तरह से जूनियर स्कूलों के लिये तीन हजार आदमियों को ट्रेनिंग दी जायगी। किसी राष्ट्र के बनाने के लिये मैं समझता हूं कि इस तरह के क्रेफ्ट से काम नहीं चलेगा।

दूसरी ओर हम देखते हैं कि राज्यपाल महोदय ने पिछड़ी हुई जातियों का जिक्र किया है। गढ़वाल में अनेक स्थानों पर बद्रीनाथ से आगे और जोशी मठ से पांच मील की दूरी तक वह लोग रहते हैं जिनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनको पिछड़ा हुआ न कहा जाय। हम देखते हैं कि ६ महीने जब बर्फ पड़ती है तो वह लोग तमाम देश भर में भूखे मांगते फिरते हैं। पुनर्वास की योजनाओं का जिक्र किया जाता है। शरणार्थियों को बसाने का प्रयत्न किया गया, ठीक किया गया, लेकिन जो लोग इसी प्रदेश के अन्दर रहते हैं उन लोगों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है कि ६ महीने वे लोग कहां रहें। उनके बारे में सरकार ने कोई ख्याल नहीं किया। ५० मील के एरिया में हम देखते हैं कि एक भी अस्पताल नहीं है, स्कूल तो अलग रहा। जब मैं एक दफा उस इलाके में गया था तो पचासों गांव पार कर गया मगर कोई अस्पताल नहीं मिला। लोग

[श्री गंगाधर मैठाणी]

समझे कि डाक्टर आया होगा शायद कोई मंत्र जानता होगा, कोई दवाई बांटता होगा। नेशनल ऐक्सटेंशन सर्विस ब्लाक चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने स्कीम बनायी थी जिसमें भारत सरकार भी रुपया देने को थी और प्रान्तीय सरकार भी कि कोआपरेटिव बेसिस पर सड़कें बना दी जायंगी। इस आश्वासन पर प्रचार किया गया। जनता भूखे पेट छः-छः हजार की तादाद में गढ़वाल गुजड़ू के इलाके में सड़क बनाती है, लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। एक तरफ हम कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं दूसरी तरफ लोग भूखे मरते हैं। गढ़वाल जैसे इलाके में जहां से गंगा-जमुना की धारा बहती है वहां के लोग भूखे मर रहे हैं और उसी गंगा और जमुना में नहाने के लिये कुम्भ मेले में लाखों आदमियों के लिये इन्तजाम किया जाय और पैसा खर्च किया जाय, और लोगों को जाने जायं ऐसे कल्याणकारी राज्य की कल्पना करना हमारे मस्तिष्क से दूर है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--- अध्यक्ष महोदय, श्री रामनरेश शुक्ल द्वारा प्रस्तुत मूल प्रस्ताव में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं :---

> "और साथ ही साथ राज्यपाल महोदय से यह भी अनुरोध करते हैं कि भारतीय संविधान की धारा ४५ में दिये गये लक्ष्य की पूर्ति निर्धारित समय में करने के हेतु शीघ्र से शीघ्र प्रयत्न किये जायं।"

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में हमने उस चर्चा को सुना जहां पर उन्होंने कहा है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन आज देश की पुकार है, समय की पुकार है कि आज जब हमारे देश में जनतंत्र युग आ गया है तो हमें शिक्षा प्रसार करना है। जहां तक शिक्षा प्रसार का सवाल है हमें शिक्षा प्रसार से ही संतुष्ट नहीं होना है बल्कि समय की पुकार है कि देश में प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर देना चाहिये। हम देखते हैं कि इस शिक्षा प्रसार के लिये सौ साल हो जायंगे और सौ साल से चाहे कोई भी सरकार भूतकाल में रही हो, यह आज कल की जो सरकार है वह रुपये की कमी की आड़ ले रही है। हम यह मानने के लिये तैयार हैं कि हमारी सरकार के पास रुपया नहीं है। और जब तक रुपया नहीं है हमारे यहां शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क नहीं की जा सकती। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार साढ़े दस करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च कर रही है जिसमें साढ़े तीन करोड़ रुपया प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन मैं तो कहने के लिए तैयार हूं कि आज जो ४ करोड़ या साढ़े तीन करोड़ के करीब शिक्षा पर खर्च हो रहा है, प्रारम्भिक शिक्षा के ऊपर, मैं समझता हूं उसका अधिक लाभ नहीं हो रहा है। जितना लाभ हमें हो रहा है वह करीब एक या डेढ़ करोड़ रुपया का हो रहा है और तीन, चौथे तीन करोड़ रुपया व्यर्थ में जा रहा है। वह किस तरह से। महात्मा गांधी के उन शब्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने वार्धा एजूकेशन कान्फरेंस में कहे "The expenditure on primary education is a waste of public money as what is taught is soon forgotten." [प्राथमिक शिक्षा का व्यय जनधन का अपव्यय है क्योंकि जो कुछ पढ़ाया जाता है वह शीघ्र ही विस्मृत हो जाता है।]

उनके कहने की मंशा यह थी कि कक्षाओं में जो लड़के पढ़ते हैं वह भर्ती होते जाते हैं, लेकिन वह धीरे-धीरे कक्षाओं को छोड़ते जाते हैं। कक्षा 'अ' में सौ आते हैं तो दूसरी कक्षा में ४७ रह जाते हैं, तीसरी में ३७ और चौथी में २७ रह जाते हैं। आज जो यह संख्या २७ है वह सन् ४० के आंकड़े थे लेकिन आज भी ३०, ३१ से

वह ज्यादा नहीं होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जो कहा था वह ठीक कहा था। आज प्रारम्भिक शिक्षा पर जो हम खर्च कर रहे हैं उसका लाभ हमें तभी हो सकता है जब हम देश में अनिवार्य शिक्षा कर दें। सरकार का कहना है कि रुपया कहां से आवे। मैं समझता हूं, आसानी से आ सकता है। जब हमारी सरकार भिन्न-भिन्न प्रकार के टैक्स लगा सकती है तो यहां पर तो टैक्स का भी सवाल नहीं है। बाहर के देशों में, जैसे कि अमरीका में शिक्षा प्रसार के लिये प्रारम्भिक शिक्षा वहां पर निःशुल्क की गयी और शिक्षा टैक्स लगाया गया। वहां चैरिटीज से भी काम लिया गया। जहां बिल्डिंग्स में सरकार का कहना है कि हम काफी खर्च करते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें भी हमें पड़ने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि जर्मनी में और फ्रांस में जहां शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क की गयी वहां टूटी फूटी इमारतों में शिक्षा दी जाती थी। जापान में मंदिरों में दी जाती थी। इंगलैण्ड का केस आप देख सकते हैं। वहां पर रेलवे आर्चेज में दी जाती थी। तो हमारे यहां भी यही हो सकता है। हमारी सरकार ने हमेशा इस बात का प्रयत्न किया कि शिक्षा का प्रसार हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने प्रयत्न हैं सब बेकार गये।

सन् १९४५-४६ में सरकार ने शिक्षा प्रसार की योजना बनायी और उसके अनुसार सरकार ने यह संकल्प किया कि हम को करीब २२-२३ हजार स्कूल खोलने हैं। १२-१३ हजार स्कूल सन् १९४८ में खोले गये, लेकिन उनमें क्या हुआ? ढाई हजार स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें अधूरी पड़ी हुई हैं। ७ हजार ऐसे हैं जहां सरकार ने यह वादा किया था कि निजी स्कूल खोलने पर एक हजार की सहायता दी जायगी, वह सहायता भी नहीं दी गयी। हमारे यहां गांव में लोगों ने अपनी प्राइवेट बिल्डिंग्स में स्कूलों को खोला, लेकिन सरकारी सहायता के अभाव में वे स्कूल बेकार हो गये हैं। जो टूटी-फूटी इमारतों में स्कूल खुले हुए हैं वह कह रहे हैं हमारी जो आशा थी वह निराशा में परिणत हो रही है। तो जहां तक जिला बोर्डों का सवाल है मैं तो यह समझता हूं कि समय आ गया है कि जिला बोर्डों के हाथ से यह प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना चाहिये और शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिये। जिला बोर्डों में क्या हो रहा है। एजूकेशन कमेटी का मंशा यह था कि जिला बोर्ड गांवों में शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करें, लेकिन आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कितने जिला बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से एक प्रस्ताव द्वारा यह प्रार्थना की हो, यह अनुरोध किया हो कि दफा ३ के अन्तर्गत एक नोटीफिकेशन निकाला जाय और मुख्य मुख्य गांवों में शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाय? मैं तो यही कहता हूं कि शिक्षा प्रसार में हमारे जिला बोर्डों ने कुछ भी नहीं किया है बल्कि कहीं-कहीं बाधक भी बन गये हैं। हम देखते हैं कि हमारे जिला बोर्डों ने हमारे ग्रामीण छात्रों के ऊपर पांच छः और आठ गुना फीस बढ़ा दी। उसका प्रभाव यह हुआ कि हमारे ग्रामीण छात्र जो स्कूलों में पढ़ते थे वह भी अब घर बैठ गये। तो इस तरह की जब हमारे जिला बोर्डों की हालत है, जिस आशा से यह प्रबन्ध उन्हें दिया गया था, मैं समझता हूं कि उसमें वह सफल नहीं हुए हैं, तो शिक्षा के प्रबन्ध को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अभी हाल में ही, इसी जनवरी के महीने में आल इंडिया प्राइमरी टीचर्स कान्फरेंस हुई थी। उसमें उनकी मांग सरकार से यह हुई कि प्राइमरी एजुकेशन की जो समस्या है उसे सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि डेमोक्रेसी जिसे आप जनतंत्र कहते हैं, वह किसी तरह से पनप नहीं सकती और खासतौर से ऐसे समय में जब कि हमारी सरकार यह कहती है कि हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी स्टेट है और आशा भी यही है कि इसे कल्याणकारी राज्य में परिणत किया जायगा, लेकिन

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि जब हमारे १०० ग्रामीणों में से ८७ ग्रामीण ऐसे हैं जो अच्छी तरह से पढ़ना लिखना तो दूर रहा, हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते, तो इस तरह से कल्याणकारी राज्य कैसे हो सकता है? मैं तो यह कहता हूं कि सरकार भिन्न-भिन्न योजनाओं में करोड़ों रुपया खर्च कर रही है जैसे कम्यूनिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है, इससे ग्रामीणों का काफी लाभ हुआ है और वास्तव में काफी लाभ होगा। लेकिन मैं तो यह कह देना चाहता हूं सरकार से कि अगर उन्होंने यह प्रण कर लिया होता कि सब से पहले हमें शिक्षा की समस्या को हल करना है और शिक्षा की योजना अगर सफल हो जाती तो फिर जितनी आपकी नयी-नयी योजनायें हैं वह आसानी से पूर्ण हो जातीं? लेकिन आज हम बिल्कुल इसका उलटा देख रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको रुपये की कमी की वजह से रुकना नहीं चाहिए बल्कि किसी तरह से हमारे प्रदेश में शिक्षा को अनिवार्य निश्चित कर देना चाहिए और इसके लिए रुपये का आसानी से प्रबन्ध हो सकता है। इसके लिये कोई भी ग्रामीण ऐसा नहीं होगा जो रुपया देने में संकोच करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, कल का दिन निकल गया कुम्भ पर। आज से दोपहर का समय निकल गया संशोधनों के ऊपर और अभी बहुत से लोगों को बोलना है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर एक घंटा और बढ़ा दिया जाय यानी ५ के बजाय ६ बजे तक सेशन हो तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष---और कोई कुछ कहना चाहता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी मेरी समझ में कोई खास आवश्यकता इस प्रश्न के उपस्थित करने की है नहीं।

श्री अध्यक्ष---अगर उनका सुझाव है तो मैं वोट लूंगा ही, अगर वह वापस नहीं लेते हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--- मेरा सुझाव यह है कि भाषणों का समय कम कर दिया जाय। ७ मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो मैं सदन की राय जानना चाहता हूं कि क्या ७ मिनट का समय दिया जाय। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

समाचार-पत्रों की रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में शिकायत

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--- मैं आपका ध्यान जिस प्रकार से पत्रों में कल की इस सदन की प्रोसीडिंग्स निकली हैं उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे सामने इलाहाबाद के "अमृत बाजार पत्रिका" की एक प्रति है जिसमें कल उन्होंने केवल विरोधी दल के नेता के भाषणों की रिपोर्टिंग की है। इसके अतिरिक्त विरोधी दल के कुंवर सुरेश प्रकाश सिंह और श्री ज्वाला प्रसाद जी के भाषणों की रिपोर्टिंग की है। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब पत्रों को ये सुविधायें हैं तो कुछ ऐसा बन्दोबस्त आप करें कि इस तरफ बैठने वालों के भाषणों की रिपोर्टिंग ठीक से किया करें।

श्री अध्यक्ष-- मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसमें जो प्रस्तावक हैं उनके भाषण के बारे में कुछ नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल-- मैं आपके पास इसकी प्रति भेज रहा हूं। न उसमें प्रस्ताव है, न प्रस्तावक के भाषण का ही जिक्र है और न सेकेंडर के ही भाषण का जिक्र है।

श्री अध्यक्ष--मैंने उसको पढ़ा नहीं है। वह कापी मेरे पास भेज दें। मैं समझता हूं कि यहां पर पत्रिका के करेस्पांडेंट होंगे, मैं उनसे बात करके कल सबेरे इसके ऊपर निर्णय दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)-- श्रीमन्, अभी रामनरेश शुक्ल जी ने अखबार में रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में जो कहा उस सम्बन्ध में मैं आपसे जरा निवेदन करूंगा कि निर्णय देने के पहले हम लोगों को जो मुसीबतें होती हैं उनको भी सुन लें क्योंकि हमको तो यह शिकायत है कि अखबारों में ज्यादातर सरकारी पक्ष की ही रिपोर्टिंग होती है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसके ऊपर यहां पर वादविवाद न हो। परसों मैं दस बजे आ जाऊंगा और मैं उनको भी अपने कमरे में बुला लूंगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर वादविवाद (क्रमागत)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके हुक्म से श्री रामनरेश शुक्ल द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल के सम्बोधन के विषय में धन्यवाद प्रस्ताव में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं:--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने :

(१) सम्भावित पाक-अमरीकी सैनिक सन्धि की काली छाया में प्रदेश की जनता के राष्ट्रीय कर्तव्य का कोई उचित निर्देश नहीं किया है।

(२) कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, फोर्ड संस्थान, विशेषज्ञों तथा अन्य बहानों के जरिये अमरीकी जंगखोरों के हमारे प्रदेश की अर्थ नीति तथा राजनीति में (भी) घुसपैठ की खतरनाक चालों के प्रति प्रदेश की जनता को सावधान नहीं किया।

(३) दिनोंदिन बढ़ती और संकटपूर्ण होती शिक्षितों और अशिक्षितों की बेकारी को दूर करने की किसी समुचित चेष्टा तक का जिक्र नहीं किया।

(४) पारसाल से आबपाशी रेट बढ़ती से उत्पन्न देशव्यापी तीव्र एवं दिनोंदिन विस्तृत तथा गहरे होते असंतोष की कोई चर्चा नहीं की।

(५) नलकूपों के निर्माण की योजना में रास्ता बनाने से जो खेतिहरों की क्षति हो रही है उसके लिये समुचित मुआविजा दिया जाने, उससे खेत मजदूरों में व्यापक होती नई बेकारी, नलकूप विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिक्र तक नहीं किया।"

[श्री झारखंडे राय]

श्रीमान्, आज हमारा देश और हमारा प्रदेश भी तीसरी आलमगीरी जंग के किनारे खड़ा है। हमारे देश को जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आज से ६ साल पहले प्राप्त हुई थी उसको पाकिस्तान और अमरीकी फौजी सुलहनामे के कारण खतरा पैदा हो गया है। अब वह चीज संभावना के रूप में न रह कर एक असलियत के रूप में हो गई है जैसा कि आज के अखबारों से मालूम होता है। पाकिस्तान-अमरीकी सैनिक समझौते से पाकिस्तान की जनता ही गुलाम नहीं बनेगी बल्कि हमारा देश और उसका सबसे बड़ा प्रदेश, जिसमें हम लोग बसे हुए हैं, वहां की जनता भी गुलाम बनेगी और तमाम एशिया और विश्व के लिये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जायगा। ऐसी स्थिति में जब कि पिछले ६ साल के हमारे राष्ट्रीय जीवन में यह जो सब से बड़ा खतरा आ रहा है उसकी ओर राज्यपाल महोदय ने संकेत तक भी नहीं किया है। उनके अभिभाषण के ४०वें पैराग्राफ में जो एक वाक्य है कि "सीमा के उस पार ऐसी घटनायें हो रही हैं जिनका प्रभाव बहुत दूर तक पड़ेगा" मैं उसको समझ नहीं सका कि राज्यपाल महोदय का तात्पर्य इस वाक्य से सीमा के पार की किन घटनाओं से है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे देश के जो मौजूदा शासक हैं उनमें कुछ ऐसे विचार रखने वाले लोग हैं जो महसूस करते हैं कि हमारे देश की आजादी के लिये या हमारे देश की सार्वभौम सत्ता के ऊपर खतरा उन मुल्कों से है जिनको हम सोवियट यूनियन या लाल चीन के नाम से जानते हैं। लेकिन देश के मौजूदा प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी ने अभी हाल ही में इस बात को साफ कर दिया.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में तो यहां जिक्र नहीं होना चाहिये, क्योंकि उसका यह स्थान नहीं है। उसके लिये तो सेंटर में स्थान है।

श्री झारखंडे राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस विषय की चर्चा ४०वें पैराग्राफ में थोड़ी आई थी इसीलिये मैंने इस विषय में संशोधन रक्खा था और थोड़े में इस विषय में आपकी आज्ञा से इतना ही कह देना चाहता हूं कि इस संकट की तरफ भी राज्यपाल महोदय को और सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारे प्रदेश की जनता को उसके लिये तैयार करने की कोशिश करनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कम्युनिटी प्रोजेक्ट और फोर्ड फाउंडेशन की योजनायें तथा अनेक प्रकार के एडवाइजर्स के बहाने अमेरिकन जंगखोर जो एक पैनीट्रेशन की नीति अपना रहे हैं वह आज की स्थिति में और ज्यादा खतरनाक बात होगी। हमारी कमजोरियों को और हमारी मजबूरियों को वह अच्छी तरह से घूम कर देख सकते हैं और उसकी खबरें विदेशी मुल्कों को भी मिलती हैं। ऐसी स्थिति में हमारी कुछ मजबूरियों का लाभ उठा कर हमारे देश की आजादी पर हमला करने की जो मुल्क कोशिश कर रहे हैं उनके आदमियों को अपने मुल्क में किसी भी शक्ल में आने देना और खुले घूमने और मनमाने कार्य करने देना खतरनाक होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो हमारे प्रदेश में इधर पिछले कई वर्षों से बेकारी बढ़ती जा रही है वह केवल यही नहीं कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनके अन्दर ही बेकारी है बल्कि जो बे पढ़े-लिखे लोग हैं और देहात में रहते हैं उनमें भी बेकारी बढ़ती जा रही है। वह एक अत्यन्त कठिन समस्या का रूप हमारे प्रदेश में धारण भी करती जा रही है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देने की परम आवश्यकता है।

पिछले साल जो आबपाशी के रेट डयोढ़े कर दिये गये हैं उसके खिलाफ प्रदेश के अन्दर लोगों में काफी असन्तोष फैल रहा है। उस तरफ भी सरकार को

उचित ध्यान देने की आवश्यकता है और बढ़े हुये रेट को कम करने की तुरन्त आवश्यकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तरफ नलकूपों का निर्माण हो रहा है और जो उनसे सिंचाई होती है उस सिंचाई के रेट भी बढ़ाये गये हैं और यह सही है कि उससे सिंचाई भी ज्यादा हुई है लेकिन उस सिंचाई होने से हमारे यहाँ जो खेतिहर मजदूर थे उनकी बेकारी भी बढ़ गयी है। ज्यादातर ये खेतिहर मजदूर हरिजन हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में नयी बेकारी बढ़ गई है। वह सिंचाई करके अपने बालबच्चों का पालन-पोषण किया करते थे। अब वह उससे महरूम हो गये हैं। सरकार को इस नयी समस्या के ऊपर व्यापक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक चीज के लिए केवल एक अंग को लेकर ही समस्या का हल नहीं हो सकता है। नलकूप बनाने के लिये जो रास्ते बनाये गये हैं उनमें काफी धांधली बरती गयी है। उसके फलस्वरूप खेतिहरों की बहुत हानि हुई है। उस हानि के लिये उनको मुआविजा देने का विचार सरकार को उचित रूप से करना चाहिये। खेतों में पानी देने के मामले में काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पानी के विषय में यही हालत है कि किसको पानी पहले दिया जाय और किसको बाद में दिया जाय इसकी वजह से वहां पर नलकूप विभाग में करप्शन फैला हुआ है। उस करप्शन को दूर करने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

अन्न मंत्री का कुंभ दुर्घटना विषयक वक्तव्य

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता। कुम्भ के अवसर पर जो दुर्घटना हुई है, और जिसकी जानकारी थोड़ी बहुत मुझे है, उसके बारे में चन्द लाइनें मैंने लिखी हैं। आपकी आज्ञा से एक एक्सप्लेनेशन के रूप में मैं उसको सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर (श्रीमान् जी विधान का प्रश्न है) श्रीमन्, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता था कि कुम्भ के विषय पर कल विवाद हो चुका है और माननीय गुप्त जी संभवतः उसी कुम्भ की घटना पर अपना वक्तव्य देंगे। तो क्या आप हमको भी अवसर देंगे कि उसके उत्तर में कुछ निवेदन किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—मैं इस विषय में आज सबेरे व्यवस्था दे चुका हूं। आप उस समय उपस्थित नहीं थे। मैंने कहा था कि आज के भाषणों का अधिकतर हिस्सा तो वही रहेगा जो कि आज का विषय है। लेकिन कल कुछ लोगों को कुम्भ की दुर्घटना की स्वयं जानकारी रखते हुये मौका नहीं मिल सका था उनके लिये कहा था कि वह अपनी जानकारी के संबंध में कुछ बोल सकते हैं और श्री रामसुन्दर पांडेय कुम्भ की घटना पर बोले और बहुत कुछ हिस्से पर बोले। मैं उस पर विवाद नहीं चाहता सिर्फ यह चाहता हूं कि उसके ऊपर थोड़ी बहुत टीका-टिप्पणी अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। कोई १५ मिनट बोले तो ५ मिनट इस पर भी बोले ले और १० मिनट और दूसरी बातों पर ले सकता है। यह नहीं हो सकता कि सिर्फ उसी घटना पर वादविवाद हो।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं अपने स्पष्टीकरण को उस विषय के संबंध में सदन के सामने रखना चाहता हूं जिसके ऊपर कल वादविवाद हो चुका है। कल सदन में विरोधी दल के नेता तथा १,२ अन्य सदस्यों ने कुम्भ मेले की दुर्घटना के संबंध में मेरे एक वक्तव्य की चर्चा की थी। ५ फरवरी को एक संवाददाता मुझसे कुम्भ मेले की दुर्घटना के संबंध में सूचना प्राप्त करने आये थे। बातचीत के दौरान में मैंने उन्हें बताया था कि मैं दुर्घटना की सूचना मिलने

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

के एक घंटे के अन्दर ही घटना स्थल पर पहुंच गया था। किन्तु दुर्भाग्यवश ६ फरवरी के स्थानीय समाचारपत्रों में इस भेंट की व्याख्या इस प्रकार से प्रकाशित हुई कि मानों मैं दुर्घटना होने के एक घंटे के अन्दर ही घटनास्थल पर पहुंच गया था। दूसरे दिन मैंने उक्त सम्वाददाता का ध्यान उस व्याख्या की ओर आकर्षित कराया। इसके अगले ही दिन प्रातः मैं स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिये सौराष्ट्र चला गया और वहां अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त हो गया। साथ ही, वहां प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र, जो मेरे सामने आये, उनमें मेरे उस भाषण की कोई चर्चा न थी। अतः मेरा इस ओर ध्यान नहीं गया। इसके अतिरिक्त मैंने अपने प्रकाशित वक्तव्य की इस कमी को इसलिये भी महत्व नहीं दिया था, क्योंकि उसके एक दूसरे भाग से आभास होता था कि जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो संध्या होने वाली थी और मैंने रोशनी का प्रबन्ध करने की आज्ञा दी। दुर्घटना दोपहर को लगभग १० बजे हुई थी। अतः मेरे घटनास्थल पर दुर्घटना के एक घंटे के अन्दर पहुंचने की बात परोक्षतः इसी वक्तव्य से कट जाती है। किन्तु कल तीसरे पहर लगभग ४ बजे लखनऊ लौट कर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरा यह बयान विवाद का विषय बन गया है। इस संबंध में मैं स्थिति कल ही साफ कर देना चाहता था और इसलिये हवाई अड्डे से सीधा सदन में आया। परन्तु उस समय गृह मंत्री भाषण कर रहे थे और उसके बाद ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई।

इस विषय में संभवतः और भी शंकायें उत्पन्न हों। अतः मैं बता देना चाहता हूं कि मुझे दुर्घटना की सूचना ३ तारीख को लगभग ३।। या ३।।। बजे मिली थी। तुरन्त ही मैंने राज-भवन तथा मुख्य मंत्री से भी फोन पर सम्पर्क स्थापित करने की चेष्टा की, किन्तु उसमें सफल न हो सका। इसके बाद भीड़ में से गुजर कर नाव पर बैठकर जैसे तैसे घटनास्थल पर पहुंचा। इसमें लगभग १ घंटा लग गया।

जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मुझे जिलाधीश, सीनियर सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस, श्री जमुना प्रसाद त्रिपाठी तथा डी० आई० जी० श्री कृपाल सिंह मिले। उन्होंने मुझे बताया कि यह दुखद घटना किस प्रकार से घटी, और उस स्थान पर लगभग आधा घंटा रहने के बाद मैं उस स्थान पर चला गया जहां पर असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ तथा संचालक, स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक का दफ्तर था। मैंने उस अस्पताल को भी देखा जहां पर जख्मी लाये गये थे। उसके बाद मैं वहां से हेल्थ डाइरेक्टर के साथ परेड अस्पताल गया। वहां पर लाशों को देखा। करीब आधा घंटा उस स्थान पर रहने के बाद तथा अधिकारियों को उचित आदेश देकर मैं उस स्थान पर चला गया जहां पर स्वास्थ्य केन्द्र था। वहां मैं कुछ देर तक रहा। इसके बाद मैं केन्द्रीय कंट्रोल दफ्तर गया। लगभग साढ़े सात और आठ बजे यह समाचार मिला कि प्रधान मंत्री जी वहां आ रहे हैं। प्रधान मंत्री जी के आने के बाद मैं और वह फिर परेड कोतवाली गये। प्रधान मंत्री ने वहां लाशों को देखा और लगभग आधा घंटा रहने के बाद स्वास्थ्य संचालक के निवास स्थान पर गये और उस क्षेत्र के एस० पी० को हिदायत देकर सवा दस और साढ़े दस बजे के बीच में वह और मैं वहां से विदा हुये।

अध्यक्ष महोदय, जहां मैंने 'प्रधान मंत्री' कहा है मेरा मतलब मुख्य मंत्री जी से है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर वादविवाद (क्रमागत)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय राज्यपाल के संबोधन में यह संशोधन रखना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु यह खेद की बात है कि राज्य में पुलिस कर्मचारियों द्वारा जो अनाचार तथा जराधम छिपाये जाने की कार्यवाही हो रही है, उसकी माननीय राज्यपाल महोदय ने कोई चर्चा नहीं की।"

अध्यक्ष महोदय, कल से कुम्भ मेले पर जो बहस हो रही है उसमें बारबार यह कहा जा रहा है कि कुम्भ की दुर्घटना से एक पार्टी को सौभाग्य मिल गया। तो मेरे देखने में मालूम होता है कि कोई सोशलिस्ट पार्टी के ही सदस्य इस दुर्घटना की बात नहीं कर रहे हैं। सभी बाहरी लोग भी गवर्नमेंट पर दोष मढ़ रहे हैं। आज के ही अखबार में बाबाराघवदास का बयान मंत्रियों ने भी देखा होगा। उन्होंने भी सारी जिम्मेदारी माननीय मंत्रियों पर ही दिया है। उन्होंने बतलाया है कि मैं वहां मौजूद था। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के लिये रास्ते बन्द किये गये और तीन-तीन मील घूम कर तीर्थयात्री आते थे तो लाजिमी था कि आदमी एक जगह इकट्ठे हो गये। सोशलिस्ट पार्टी यह कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा दुर्भाग्य वहां हो, श्री केशव पांडेय ने उधर से जब यह कहा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोशलिस्ट पार्टी से तो वहां का नक्शा भी नहीं बन सकता, जैसा कि वहां का इन्तजाम रहा।

श्री अध्यक्ष—आप विवाद में न जाकर अगर सीधे विषय पर आजायं तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री उमाशंकर—श्री केशव पांडेय को मालूम है कि सोशलिस्ट पार्टी में आचार्य नरेन्द्र देव हैं, श्री जय प्रकाश नारायण हैं फिर सोशलिस्ट पार्टी को वे न जाने क्या समझते हैं। मुझे तो उनकी इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ।

अब मैंने जो संशोधन रक्खा है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक जगह राज्यपाल महोदय ने कहा है कि पुलिस राज्य बदल कर कल्याणकारी राज्य हो गया है। "सरकारी कृत्यों के बदलने के साथ-साथ प्रशासकीय सेवाओं के कृत्य भी मौलिक रूप से बदल गये हैं। लेकिन कल्याणकारी राज्य असेम्बली के मेम्बरों के लिये भले ही हो गये हों परन्तु गांवों में जाकर देखिये पुलिस का वही चक्र चलता हुआ दिखाई देता है। गांवों में पुलिस राज्य का नंगा नृत्य हो रहा है। ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ करते थे। अंग्रेजों के जमाने में जब हम कांग्रेस में कार्य करते थे तो उस समय को छोड़कर जब कि कांग्रेस गैर कानूनी करार दे दी जाती थी, हमको बोलने की छूट रहती थी। महज उसकी नोटिंग होती थी। लेकिन आज देहातों में मीटिंग ही नहीं हो पाती। अभी ८ फरवरी का जिक्र है, अहरौरा थाने के असिलाई ग्राम में सोशलिस्ट पार्टी की एक मीटिंग थी। विधान सभा के कई मेम्बर भी उसमें शरीक थे। वहां के सब-इन्सपेक्टर के साथ ७०-८० गुंडे मय बंदूकों और पिस्तौलों के वहां आ गये थे। ये लोग वहां के रजिस्टर्ड गुन्डे थे। उन्होंने दो हजार की भीड़ को वहां से खदेड़ दिया और कहा कि वहां पर मीटिंग नहीं होगी। उनमें सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री बागेश्वर यादव तथा श्री सुरेंद्र प्रताप वकील भी मौजूद थे। अगर ये न होते तो मीटिंग वहां होती। अगर मैं वहां पहले से होता तो वहां अवश्य ही मीटिंग होती। चाहे जो भी बाद को होता। इस तरह की बातें रोजाना हो रही हैं। गृह मंत्री जी को बराबर लिखा जाता है लेकिन कोई परवाह नहीं की जाती। गृह मंत्री जी को यह पता चल गया है कि उनकी ढिलाई की वजह से वहां पर पुलिस ने घूस ली है, इसके बारे में मैंने कई बार लिखकर उनको दिया लेकिन कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई। महाराजगंज थाने में अब तक १० कत्ल हो चुके हैं और उन १० कत्लों में मिलाकर २५ हजार रुपया रिश्वत का लिया जा चुका है उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बिलसिया जो बन्धरापुर थाने की एक बेवा औरत है उसकी फसल का चना पुलिस के घोड़ों ने खाया है, उसके बारे में भी बराबर लिखा गया लेकिन कोई परवाह नहीं की गई। खासतौर से ये बातें उस समय से बढ़ गयी हैं जब से जिले में नये एस० पी० साहब आये जो बस्ती से आये हैं। बस्ती वाले माननीय सदस्यों से उनका हाल मालूम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—आप विशेष व्यक्तिगत बातें न कहें, क्योंकि जिनपर आक्षेप है उन लोगों को यहां जवाब देने का मौका नहीं है।

श्री उमाशंकर—मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुलिस की ये कार्यवाहियां क्या कल्याणकारी राज्य की सूरत हैं? अखबारों में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब यह न निकलता

[श्री उमाशंकर]

हो कि पुलिस ने फलां जगह पर लोगों को गालियां दीं, मारा-पीटा इत्यादि-इत्यादि। श्री रामसुन्दर जी पांडेय यहां मौजूद हैं, उनके क्षेत्र में डकैती हुई। अखबार और देहात के लोग यह चिल्लाते हैं कि डकैती हुई। आस-पास के लोगों ने मसालें जलाकर अपने गांव की रखवाली की। और वहाँ उस रास्ते से जिससे डाकू गये सब लोगों ने रात को देखा। सारे गाँव में रात को ही शोर हो गया कि डकैती हुई है। जिन लोगों को डाकुओं ने बन्दूकों से मारा वे १ बजे रात को थाने में पहुंच गये। यह १० बजे रात का किस्सा है लेकिन थाने में लिखा गया कि सुबह साढ़े ७ बजे कुछ लोग उनको मारने के लिये आये थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि स्वयं श्री बनवारी लाल परगना हाकिम जिन्होंने वहाँ जाँच करने के बाद मुझे बताया। तारीफ तो यह है कि श्री बनवारी लाल ने जब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी थी उसके पहले ही एस० पी० साहब ने अखबारों में एक बयान दे दिया कि "श्री बनवारी लाल की जाँच से मालूम हुआ कि श्री राम सुन्दर पाँडेय ने झूठे ही डकैती का हल्ला कर दिया। श्री बनवारी लाल ने यह सिफारिश की है कि उनके ऊपर धारा १९३ के अनुसार मुकदमा चलाया जाय।" मैं माननीय गृह मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि वे जाँच करा लें कि डकैती हुई है या नहीं। लेकिन मुसीबत तो यह है कि जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है वही पुलिस आफिसर वहाँ जाँच करने के लिये जाता है, दूसरा कोई जाँच करने को नहीं भेजा जाता। अभी मैंने आपको महाराजगंज थाने के बारे में बतलाया। अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि एक जाँच कमेटी बनाकर कल्याणकारी राज्य की शक्ल देखने की कृपा करें।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रामनरेश शुक्ल द्वारा उपस्थित किये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने सुन्दर अभिभाषण में राज्य की प्रगति में बाधा स्वरूप उन तथाकथित एवं छद्मवेषिनी राजनीतिक प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं किया, जो सार्वजनिक जीवन को विनाश की ओर प्रवृत्त करने में, शिष्टता, साधुता और सत्य तक तो तिलाँजलि देने में रंचमात्र दुविधा नहीं करतीं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आप स्वयं जानते होंगे कि जब राज्य में या समाज में नैतिक ह्रास होता है तो उस नैतिक ह्रास हुये स्तर को समुन्नत करने के लिये आवश्यकता इस बात की होती है कि जो विरोधी प्रवृत्तियां हैं वे सत्याचरण करें और सत्य के जरिये अपनी नीति को अवलम्बित करें। किन्तु देखा यह जा रहा है कि विरोधी राजनैतिक प्रवृत्तियों का सिद्धांत या उद्देश्य इस प्रकार का हो गया है कि वे दूसरों के दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य की कुंजी या पूंजी समझती हैं और अपना संचालन इस प्रकार की नीति द्वारा करके समाज के स्तर को हमेशा नीचे की ओर ले जा रही हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में तीन प्रमुख विरोधी दल हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ। इन तीनों ही दलों का एक दूसरे से कोई मेल नहीं, एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं, किन्तु अनैतिकता का स्तर इतना नीचा हो चुका है कि इन तीनों दलों की प्रवृत्ति इस प्रकार की हो रही है कि ये तीनों दल एक में सम्मिलित होकर एक मोर्चा बना रहे हैं। जब कि तीनों एक-दूसरे के विरोधी हैं तो फिर सम्मिलित मोर्चा काहे का।

श्री अध्यक्ष--मैं तो पहले इस तरह की चीज समझा नहीं था कि ऐसा आपका संशोधन होगा जो कि राजनैतिक पार्टियों के ऊपर एक और बहस खड़ी कर देगा। मैं तो समझता था कि छद्मवेषिनी राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में, जिसका आपके मन से राज्यपाल के संबोधन में उल्लेख नहीं है, उसके ऊपर आपका संशोधन है। यह तो खुली हुई चीज है और ये खुली हुई

पार्टियाँ हैं। तो मैंने समझा था कि आप कुछ ऐसी छिपी हुई प्रवृत्तियों के बारे में कहने जा रहे हैं जो स्टेट के खिलाफ है लेकिन किसी खुली हुई राजनैतिक पार्टी के खिलाफ कोई बात कहने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। अगर आपके संशोधन का उन व्यक्त पार्टियों से आशय है तो मैं उस संशोधन को अवैध करार दूंगा।

श्री देवदत्त मिश्र--मेरा उद्देश्य तो यह है कि जो राजनैतिक प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही हैं उनका कोई न कोई तो पारदर्शक होगा ही और ऐसी प्रवृत्तियाँ जो राज्य की प्रगति में बाधक होती हैं उनके लिये मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप किसी वैध पार्टी का नाम नहीं ले सकते और न किसी पार्टी पर आक्षेप कर सकते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र--तो जैसा मैंने कहा कि आज हमारे देश में और खासकर हमारे राज्य में इस प्रकार की जो राजनीतिक प्रवृत्तियाँ कार्य कर रही हैं जो हमारी राजनीतिक प्रगति में बाधक हैं उनके प्रति हमें कुछ न कुछ अपने विचार व्यक्त करने हैं। हम जानते हैं कि देश के लिये क्या हितकर है और क्या अहितकर है। यह जानते हुये भी आज देश की आर्थिक व्यवस्था को देखते हुये मिक्स्ड एकानामी हमारे यहाँ चल रही है। फिर भी देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिये आवश्यक है कि हम टैक्सेशन की पालिसी का समर्थन करें। लेकिन जिन राजनीतिक प्रवृत्तियों का जिक्र मैंने किया यदि उनके ही हाथ में शासन सत्ता होती तो या तो वे एकानामी को नेशलनाइज कर लेते और यदि नहीं तो जब तक एकनामी नेशनलाइज नहीं होती है तब तक यदि हमें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होना है तो अधिक से अधिक टैक्सेशन की ओर जाना होगा। जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे हम पैसा नहीं लेंगे तब तक राज्य के प्रगतिशील कार्यों पर हम व्यय नहीं कर सकते। यदि ऐसा नहीं करते तो इसका अर्थ होगा "स्टैटस क्वो" को मेनटेन करना अर्थात् जैसी आर्थिक स्थिति है वैसी ही बनी रहे। लेकिन वह स्थिति ठीक नहीं है।

आबपाशी के संबंध में कहा गया कि आबपाशी पर कर क्यों बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आबपाशी का कर किसानों को परेशान करने के लिये नहीं बढ़ाया जा रहा है। आप देखिये, कि पहले आबपाशी की दर जब निश्चित की गयी थी उस वक्त ८ सेर का गल्ला बिकता था। आज दो सेर और ढाई सेर का गल्ला बिकता है। तो अब इस बात की आवश्यकता है कि जो उस विभाग में कार्य करने वाले लोग हैं उनका वेतन जो जब आठ सेर का गल्ला बिकता था उससे आज बढ़ गया है, विभाग का खर्च भी उसकी वजह से बढ़ गया है, तो फिर जो यह बढ़ा हुआ खर्च है वह कहाँ से आयेगा? उन्हीं से आयेगा जिन लोगों को सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त मान लीजिये कि राज्य को ५ हजार बालटी पानी की जरूरत है और केवल एक हजार बालटी पानी है तो ४ हजार बालटी पानी की और व्यवस्था करने के लिये यह आवश्यक है कि हम उसका विस्तार करें। इसके लिये आवश्यक होगा कि हमारे पास और धन हो।

खर्च तो तभी बढ़ेगा जब धन हो। इसलिये उसके लिये आवश्यकता होती है कि उस वृद्धि को टैक्सेशन से पूरा किया जाय और ४ हजार बालटी पानी जो कम पड़ता है उसको पूरा करने के लिये उसमें से कुछ खर्च करें। अभी हमने एक राजनीतिक दल का मैनिफैस्टो देखा था। उसमें जहाँ यह बताया गया था कि हम यह करना चाहते हैं, हम वह करना चाहते हैं उसमें यह नहीं बताया गया था कि किस तरीके से करेंगे। या तो उनके पास कोई मैजिक बान्ड है जिसको घुमाकर सब कर देना चाहते हैं वरना यह आवश्यक हो जायगा कि वह टैक्सेशन बढ़ावें और उसके बाद जो योजनायें देश और राज्य के लिये हितकर हों उनको कार्यरूप में परिणत करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल ने जो भाषण दिया है उसके पैरा ३९ में लिखा है :--

"My Government looks to you, members of the Legislature and through you to the people of the State, for co-operation and help both by responsible criticism and constructive assistance."

श्री अध्यक्ष---यह आप क्या पढ़ रहे हैं? उनका भाषण तो अंग्रेजी में था नहीं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में यह कहा था कि इस सदन के माननीय सदस्य इस सरकार की मदद करें चाहे कांस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से या कांस्ट्रक्टिव असिस्टेंस से। मैं आज जो संशोधन पेश कर रहा हूं वह मैं पहले आप के सामने पढ़ देना चाहता हूं। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

"किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने राज्य की विकास योजनाओं की त्रुटियों व अव्यवस्था पर प्रकाश नहीं डाला।"

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में विकास की ही बातें सब जगह की जा रही हैं। विकास की ओर हमारा ही केवल यह प्रान्त नहीं, सारा देश ही विकास की ओर जा रहा है और करोड़ों रुपया विकास पर खर्च भी किया जा रहा है। हमारे इस प्रान्त का सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जो इस प्लानिंग विभाग के हेड हैं और उन्होंने स्वयं इस विभाग के भार को उठाया है। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रान्त भी विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने में सब से प्रथम रहेगा, पर दुःख इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, कि आज जो हमें ध्यान इसकी ओर देना है उसे हम लोग नहीं दे रहे हैं। हमारे प्रान्त से जो सर्कुलर निकलते हैं और जो रुपया खर्च करने की व्यवस्था है वह तो है ही लेकिन उनका कार्यान्वित होना यानी किस तरह से हमारे जिलों में उन पर कार्यवाही हो रही है और उसकी ओर मैं आज इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूं तो मैं समझता हूं कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। आखिर कौन आदमी ऐसा इस प्रदेश में होगा जो उन्नति न चाहता हो और यह न चाहता हो कि इस देश का विकास हो और अपने इस राज्य का विकास हो? लेकिन आज कागजों पर ही यह विकास हो रहा है और इसमें करोड़ों रुपये खर्च हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय मैं अपने जिले की एक बात रखना चाहता हूं और मैं तो समझता हूं कि प्रान्त के और जिलों की भी वही हालत होगी। वह यह है कि हमारे जिले में बल्कि प्रान्त के और जिलों में भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट और एक्सटेंशन ब्लाक्स की योजनायें चल रही हैं। इस सम्बन्ध में कुछ रुपया ऐसा है जो कि हमारे जिलों की प्लानिंग कमेटीज को दिया गया है कि वह प्लानिंग कमेटीज उस रुपये को खर्च करें। वह रुपया साल भर के अन्दर खर्च किया जायगा। वैसे तो यह जितनी ग्रान्ट्स होती है वह लैप्सेबिल नहीं है लेकिन फिर भी हमें यह देखना होता है कि जो रुपया साल के अन्दर दिया जाता है उसे रचनात्मक कार्यों और विकास के कार्यों पर खर्च किया जाता है या नहीं। कुछ जिलों में जहां पर कम्युनिटी प्रोजेक्ट का वर्क हो रहा है वहां पर जो रुपया है वह खर्च नहीं होता है। हां, सरकारी अफसरों की तनख्वाहें जरूर पहली तारीख को निकल जाती हैं और वे सारे काम होते रहते हैं जिनमें कि सरकारी अफसरों का हाथ होता है लेकिन जो विकास का कार्य होता है वह साल भर तक पड़ा रहता है। मैं अपने ही जिले की बात कहना चाहता हूं। इस साल हमारी सरकार ने तीन आइटम्स के लिये कुछ रुपया रखा है। १८,२०० रुपया कैनाल्स की

सफाई के लिये २५,००० रुपया एफोरेस्टेशन के लिये और २५,००० रुपया सेल्फ हेल्प के लिये रखा गया है। यह तीन आइटम्स हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि हम बहुत से सदस्यों ने बहुत सी मीटिंगें अटेन्ड की हैं लेकिन आज तक--आपको यह सुनते हुये दुख होगा--हमारे जिले में एक पैसा भी और एक पाई भी इस रुपये में से खर्च नहीं हुआ है। मार्च का महीना बहुत करीब आ गया है। हमारे और मेम्बरान ने भी प्लानिंग कमेटी को पत्र लिखे कि हमारा इसमें आना बिल्कुल फिजूल हो गया है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से यह चाहेंगे कि जो सरकारी आफिसर इस काम के लिये जिम्मेदार हैं क्या उन्हें इनाम देंगे या उन्हें बरखास्त करेंगे? मुझे दुःख इस बात का है कि मैं जब उनके सामने जी० ओ० ले गया और उन्हें बताया कि यह रुपया ऐसे-ऐसे खर्च होता है तो वे मुझसे नाराज होते हैं। उन्होंने दफ्तर में ढूंढ़ा लेकिन उन्हें जी० ओ० मिला नहीं तो फिर वह रुपया खर्च कहां से करते। आज जब हम उनसे कहते हैं कि रुपया खर्च करो और उन्होंने जल्दी में ग़लत तरीके से रुपया खर्च कर दिया तो प्रान्त का बड़ा नुकसान होगा।

अध्यक्ष महोदय, श्रमदान की बात कही गयी है। हमारे यहां जो कुछ श्रमदान हुआ है उसका नाम लेने के लिये अफसरान पहले खड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने बड़ा श्रमदान किया है। कम से कम हमारे इलाके में लोग श्रमदान करने के लिये बहुत तैयार हैं लेकिन उन्हें कोई कुछ बताने वाला नहीं है। वहां हजारों की तादाद में जनता फावड़ा ले करके गयी और श्रमदान कर आयी और फिर चन्द दिनों में प्लानिंग अफसर आये और उन्होंने कहा कि तुमने सारा मामला बेकार कर दिया। इस प्रकार जनता में उत्साह है, जनता कुछ काम करना चाहती है, जनता देश के रचनात्मक कार्य में काम करना चाहती है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है।

चूंकि समय बहुत कम है, मैं दो-चार बातें ही कहना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मैं यह साबित करने के लिये तैयार हूं कि मेरे जिले में इस साल प्लानिंग का एक पैसा भी नहीं खर्च किया गया है। जो पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से सड़कें बन रही थीं और उसमें जो हमको श्रमदान के लिये हुक्म दिया गया, वह हमने किया। मुझे इस बात की खुशी है कि पी० डब्ल्यू० डी० विभाग ने हमारा साथ दिया। हमें जब काम करने का मौका मिला हमने सर्वे कराया, एलाइनमेंट कराया और फिर जो काम हमने किया वह ठीक किया। अध्यक्ष महोदय, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग साल भर में एक बार हुई है झांसी में और माननीय मुख्य मंत्री जी उसमें थे नहीं, तो हम सलाह देते कहां से? इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी ओर आवश्यक ध्यान दें।

श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल जी के सम्बोधन के उपलक्ष में धन्यवाद देते हुये मुझे अपने हृदय के विचार आपके सामने प्रस्तुत करने हैं। इस विधान मंडल द्वारा गत दो वर्षों में किये हुये एवं अगले वर्ष में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में प्रकाश डाला है। इसके साथ ही साथ उन्होंने हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कई बातों की ओर संकेत किया है जिसमें सर्वप्रथम मैं स्थान देता हूं, उस कार्य को जो कि बनारस के संस्कृत कालेज को वे यूनिवर्सिटी की शक्ल देने जा रहे हैं। यदि ऐसा है और मुझे विश्वास है कि ऐसा अवश्य होगा तो यह एक ऐसी योजना होगी जिससे भारत के नवयुवकों का और देश की जनता का स्तर ऊंचा उठ सकता है। चाहे हम धन से सम्पन्न हों, चाहे और सरो-सामान से सम्पन्न हों, यदि हमारा शिक्षा का स्तर नीचा है तो हम कदापि उच्च नहीं कहे जा

[श्री गंगाधर शर्मा]

सकते। यही एक कारण है कि आज हमारी शिक्षा का स्तर नीचा होने की वजह से देश के अन्दर उच्छृंखलता उत्पन्न हो रही है। चाहे जितनी उच्च पदवी पर हम पहुंच जायं। हम कदम-कदम पर झूठ बोलते हैं। पैसे के लालच में हम क्या नहीं कर सकते हैं। यह बातें प्रत्यक्ष हैं। मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के लिये यहां पर आया हूं। उन्होंने एक और बात का संकेत किया और उसकी ओर हम सब के लिए अपना चित्त आकृष्ट करना आवश्यकीय हो जाता है और वह यह है कि भारत देश की विभिन्न सरकारें यह अनुभव करने लगी हैं कि सीमा प्रान्त पर कोई घटना ऐसी घटने वाली है जिसके लिये हमें तैयार रहना है और उन्होंने यह भी कहा है कि हम एक स्वर से और शक्ति लगा कर उसकी ओर ऐसा कदम बढ़ायें कि हमारे राज्य की सत्ता अक्षुण्य बनी रहे। दूसरे देशों के लोग हमको लालच दें या और किसी प्रकार का दबाव हम पर डालें तो हम लोगों को इस बात के लिये सचेत रहना चाहिये कि ऐसे लालच वगैरह में हम न पड़ें। इन बातों की ओर राज्यपाल महोदय ने हमें जो संकेत दिया है उसके लिये हम उनका विशेष आभार मानते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं।

एक बात और है जो मुझे खास तौर से आपसे कहनी है और वह यह है, राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि अब पुलिस राज्य न रह करके कल्याणकारी राज्य यहां पर स्थापित हो रहा है। उसकी आलोचना और प्रत्यालोचना भी इस सदन में हुई। मैं उसका अर्थ यह लगाता हूं कि जिस प्रकार से अंग्रेजी राज्य में सत्ता कायम रखने के लिये पुलिस का आतंक था इस राज्य में अब वह आतंक सरकार की तरफ से न रह करके एक प्रेम भाव का संचार सरकार की ओर से फैलाया जा रहा है। पुलिस के जो उच्च श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनसे मैंने जहां तक बातचीत की है तो मैंने पाया है कि उनके हृदय में कहीं न कहीं पर चेंज अवश्य आया है और वे चाहते हैं कि प्रेम भाव फैलायें। लेकिन निम्न श्रेणी के कुछ ऐसे कर्मचारी अवश्य हैं जिनके कार्यों की तरफ हम अपने माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वे राज्य में जो सही वारदातें होती हैं उनको छिपा कर गलत तरीके से लिखते हैं। मुझे अपने जिले का अनुभव है। मेरे पास प्रमाण हैं, मैंने जांच कराई है। जहां डकैती हुई, वहां चोरी लिखी गई और फिर आठ महीने हो जाते हैं कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई। हां, एक सब-इन्सपेक्टर तब्दील कर दिया गया लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्यवाही नहीं हुई। मैं समझता हूं कि यदि कल्याणकारी राज्य भारत में और इस उत्तर प्रदेश में कायम करने का दावा किया जा सकता है तो प्रजा की जानो-माल की सुरक्षा के लिये यह अत्यावश्यक है कि पुलिस के छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर ऊपर के अधिकारी तक जो हमारी राज्य सरकार है उस उच्च मनोभावना के अनुसार काम करने लगें। यदि ऐसा हो तो इसमें कोई शक नहीं कि कल्याणकारी राज्य कायम हो सकता है। इन शब्दों के साथ अन्त में मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हुये भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी दया से और परमात्मा की असीम कृपा से आज मुझे यहां बोलने का अवसर मिला। मैं स्वयं कुम्भ मेले में गया हुआ था। कुम्भ के उस दर्दनाक दृश्य के मध्य मैं स्वयं फंस गया था और वह शोक समाचार आज मैं सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। न किसी पुलिस का दोष है और न किसी कार्यकर्ता का दोष है। माघ की बढ़ती हुई भीड़ थी वह आउट आफ कंट्रोल हो गयी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर जवान हट्टा-कट्टा मर गया और उसकी बीबी और बच्चे जिस ढंग से अपने आंसू बहाते थे वह अवर्णनीय है।

यही नहीं, उसके बाद ५ बजे के करीब जब मैं कैम्प में पहुंचा मेडिकल हास्पिटल में तो वहां हमारे खाद्य मिनिस्टर मिल गये। उन्होंने हमारे साथ एक एक लाश पलटवाई। ८ बजे के करीब जब मुख्य मंत्री वहां तशरीफ लाये तो उनसे मैंने जिक्र किया तो वह भी उसी वक्त हम लोगों के साथ चल पड़े और जाकर एक एक लाश को देखा। यहां लोग बैठे खाली बातें करते हैं। मैं तो उस विपत्ति से बच कर आया हूं और मैं परमात्मा से, जैसा कि लोगों का विश्वास है, हिन्दू संस्कार के अनुसार कि मोक्ष प्राप्त होता है, प्रार्थना करता हूं कि उन मरे हुये व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त हो जाय। मैं स्वयं वहां से बच कर आया हूं और बड़े भाग्य की बात है कि आज सदन में पुनः मुझे आपके बीच बोलने का अवसर मिला और जिन्दा लौट आया। यहां पर हंसी हो रही है लेकिन मान्यवर यह बड़ी दुःखपूर्ण और भयानक ट्रेजिडी हुई हमारे देश में।

मैं पुनः अपने गवर्नर महोदय की स्पीच का धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारे राज्य में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है। १५ लाख रुपया हमारे ही जिले में एक जगह और साढ़े १० लाख एक जगह दिया गया है और हमारे जितने छोटे बड़े अफसर हैं वह दिलोजान से काम कर रहे हैं। सरकारी अफसर एक भट्ठे का भी आयोजन कर रहे हैं जिसमें हरिजन और गरीब भी काम कर रहे हैं। साथ ही यह भी हमारी ड्यूटी है कि कहीं भी गवर्नमेंट की स्लैकनेस हो तो हम उसको सचेत करें लेकिन फ़िजूल का कंडेम्नेशन और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना उससे काम नहीं चलता। हमें अच्छाइयों को भी देखना चाहिये इन्स और आउट्स दोनों को देखना चाहिये केवल क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिये।

हम गवर्नमेंट को पुनः धन्यवाद देते हैं कि १० परसेंट से १८ परसेंट उसने हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित किये हैं। अगर हम कमजोर हैं कि अपनी चीजों को न ले सकें तो यह हमारी कमी है। हमने देखा कि हमारे जिले में हमारे बहुत से हरिजन भाई सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सी जगहों पर उनको इग्नोर किया जाता है जैसा कि बड़ी-बड़ी सर्विसेज में। पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा यह सजेश्चन है कि जहां पब्लिक सर्विस कमीशन में और लोगों को लिया जाता है वहां हमारा भी एक आदमी कमेटी में रख लिया जाय ताकि हम और भी शान्ति से रहें। लेकिन हमें धीरज रखना चाहिये, भूल नहीं जाना चाहिये कि संतोष से काम लेना है। हम तो यहां सरकार से लड़ने के लिये हैं ही। यहां पर ही आप देखें कि ८४ हरिजनों को यहां ले आये हैं। विरोधी दल के यहां जितने हैं वह तो क्यों है कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। ईमानदारी के साथ हमको यहां डटना है।

राज्यपाल के सम्बोधन में जो सब से सुन्दर चीज है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। वह पाक-अमरीकी पैक्ट के बारे में है। जिस वक्त दिल्ली में यह मामला पेश हुआ और प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान और अमरीका के पैक्ट के बारे में अपनी नीति की घोषणा की तो हर एक पार्टी ने उनका बाजू मजबूत किया और दिल्ली की सड़कों पर यह आवाज गूंज उठी कि जवाहरलाल नेहरू के बाजू मजबूत किये जायं। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश पर आपत्ति आती है, तो सब भाई जो बैठे हैं सबकी गर्दन कटेगी एक की नहीं बचेगी। इसलिए हम सब ईमानदारी से मिल कर रहें।

राज्यपाल महोदय ने जहाँ और प्रकाश डाला है वहाँ शिक्षा पर भी उन्होंने दृष्टिपात किया और बतलाया कि एजुकेशन का भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ३२,००० नये टीचर्स लिये जा रहे हैं और गाँवों में एग्रिकल्चर और साइन्स को भी डेवलप करेंगे।

[श्री शिवनारायण]

जैसा कि क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वर्तमान शिक्षा दूषित है, दोषपूर्ण है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार गाफिल नहीं है, प्रयत्नशील है। आप अपना सहयोग कीजिये और जो कमी हो उसको ईमानदारी से बता दीजिये। ऐसा नहीं होता कि हम आपके सुझावों को नहीं मानते, सबको वेलकम करते हैं। इसलिये मैं विरोधी दल के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप उचित सुझाव देकर हमारे साथ सहयोग करें जिससे एक सुन्दर मिसाल दुनिया के सामने होगी कि हिन्दुस्तान में इतनी पार्टियां हैं लेकिन सब मिल कर काम करती हैं।

राज्यपाल ने हमारे उन कामों पर भी प्रकाश डाला है जैसे कि बख्शी ताल में सरकार प्रयोग कर रही है और हम से जो सहयोग हो सकता है वह हम दे रहे हैं। हाफिज साहब के जिले में ही, बिजनौर में हरिजन वहां के जिला मैजिस्ट्रेट हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने जो सम्बोधन दोनों सदनों के सन्मुख उपस्थित किया है और जो अप्रिशिएशन हमारी सरकार की ऐक्टिविटीज का किया है, और उस पर प्रसन्नता जाहिर की, मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं और जो निर्माण-कार्य हमारी सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट में चारों ओर फैलाये हैं और जिनके फलस्वरूप आज हमारा देश तरक्की कर रहा है उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। इसके साथ साथ जब मैं इस संबोधन के अन्दर बहुत क्रिटिकली गया तो मुझे मालूम हुआ और दुख हुआ कि भारतवर्ष के नागरिक जिनको नागरिकता के अधिकार कांस्टीच्यूशन के अन्दर गारन्टीड हैं, वह नागरिक आज उन नागरिकता के अधिकारों का उपभोग कर पा रहे हैं या नहीं, आया वह अधिकार कांस्टीच्यूशन आफ इंडिया के अन्दर उस कैदखाने में बन्द ही रहने के लिये बनाये गये हैं या वह गरीब, बेकार, निरीह और मुफलिस लोग जो हमारे सूबे के अन्दर लाखों की तादाद में चक्कर काटते हुये दिखायी देते हैं, वे लोग नागरिकता के उन अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई सरकार अपने कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाती है और अपने ऐम्स ऐन्ड आबजेक्ट्स को जनता के सामने नहीं रखती है तो क्या वह सरकार अपने कार्य-क्रम में सफल कही जा सकती है, उसका कदम सही है। इसमें मुझे सन्देह है। मैं चाहता हूं कि गरीबों को जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, जो गरीबी में मुब्तिला हैं उन लोगों के लिए सरकार ने क्या किया, इस संबंध में सरकार ने अपनी नीति का कोई जिक्र नहीं किया है। मैं समझता हूं कि एक आजाद राष्ट्र के नागरिकों को अगर उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो मुझे अफसोस है कि सदन में ४३१ सदस्य हैं जिनको उन लोगों ने वोट दिये हैं, उन बेकारों का सरकार की नीति में कोई जिक्र नहीं है तो मैं समझता हूं कि वह माननीय सदस्य अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे राज्य की जो नीति है उसको जनजीवन को चारों ओर छूना चाहिये। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। मेरी हमदर्दी उन लोगों के साथ है जो लोग आज पीड़ित हैं, नंगे हैं, भूखे हैं उनके लिये मैंने कोई स्थान इस सरकार के कार्यक्रम में नहीं पाया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कांस्टीच्यूशन सही है तो हमें उसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये कदम उठाना चाहिये। आपको बड़े-बड़े विश्वविद्यालय, नहरें, बिजलीघर और बड़े पैमाने पर ऐसी योजनायें बनानी चाहिये परन्तु उन गरीबों को उन राइट्स के उपभोग करने से अगर वंचित रखते हैं तो हम अपने कर्त्तव्य से च्युत होते हैं। मैं समझता हूं कि यह वेलफेयर स्टेट है, यहां पर जहां करोड़ों बच्चे गरीबों के पैदा हो रहे हैं आज उनकी शिक्षा-दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक स्टेट का बजट कम्पलसरी एजुकेशन की पालिसी को डिक्लेयर नहीं करता तब तक एडल्ट एजुकेशन से कोई लाभ नहीं हो सकता। एक तरफ आप कल के भारत को और कल के उत्तर प्रदेश की जनता को जाहिल रखना चाहते हैं तो जब तक उनको कम्पलसरी एजूकेशन नहीं दी जाती है तब तक ४० वर्ष के आदमियों को जो कि २० वर्ष में खत्म होने वाले हैं, और उसके बाद उनकी साक्षरता खत्म हो जायगी और नये बच्चों को शिक्षा दी जायगी, तो २० वर्ष के अन्दर इल्लिटरेसी को अपरूट किया जा सकता है। मैं अवश्य माननीय सम्पूर्णानन्द जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने

इस ओर एक कदम उठाया था लेकिन उस कदम को कंसालिडेट नहीं किया गया। जब तक कम्पल्सरी एजूकेशन नहीं होती तब तक ऐडल्ट एजूकेशन कोई माने नहीं रखता। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी स्टेट कोई भी आर्गेनाइजेशन अगर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, अगर वह नहीं जानता कि उसमें क्या खामियाँ हैं तो वह स्टेट और सरकार आगे प्रगति की राह पर अग्रसर नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि यह हमारा परम कर्त्तव्य है कि हम जाने कि हमारे अन्दर क्या कमियाँ हैं। हमने लाखों-करोड़ों रुपया अपने बजट में खर्च किया है लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि उस रुपये के दसवें हिस्से का भी काम हमारी स्टेट के अन्दर नहीं हुआ। अगर बजट के अनुसार काम हुआ होता तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी यू० पी० की स्टेट है वह भारतवर्ष की सब स्टेटों से सर्वोपरि होती। हमारे पास रुपये की क्या कमी थी, रिसोर्सेज की क्या कमी थी ?

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल का जो संबोधन प्रस्तुत है, वह सविस्तर लगभग ४१ विषयों से संबंधित है। लेकिन मैंने देखा कि उसमें बाढ़ के बारे में, बेकारी के बारे में पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है।

जहाँ तक इस वर्ष बाढ़ का संबंध था इस प्रान्त का हर एक व्यक्ति जानता है कि किस तरह से चारे का अभाव उपस्थित हुआ था। आज हजारों जानवरों को लोगों ने सर्वदा के लिये यहाँ से निकाल दिया है और जो जानवर बचे हुये हैं उनको घास तक जो उस जिले में बहुत पैदा होती है नहीं मिल पाती है। जो मिल मालिक किसानों से ईख लेते हैं वे घास देने में भी अपने को असमर्थ पाते हैं। इसी तरह से हमने जमींदारी उन्मूलन कानून जो बनाया उसमें जो बंजर भूमि को ग्राम सभाओं के सुपुर्द किया उसका नतीजा यह हुआ है कि सारी बंजर जमीन जोत डाली गई। वहाँ भी चारे का कोई स्थान नहीं रहा है। मैं तो सरकार से इस संबंध में अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे।

आप जानते हैं कि पूर्वी इलाका बहुत गरीब है जहाँ पर ज्यादातर छप्पर के मकान बनते हैं लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि वहाँ खर, जिससे कि छप्पर बनाये जाते हैं वह तक नहीं रह गया है। वहाँ के अच्छे-अच्छे लोगों के पास भी घर बनाने के लिये साधन नहीं है। गरीब लोगों की तो बात ही नहीं।

बेकारी के संबंध में आप जानते हैं कि बेकारी ग्राम उद्योग द्वारा दूर हो सकती है और मेरा विचार है कि ग्राम उद्योग को प्रोत्साहित करना हमारी सरकार का सर्वोपरि कर्त्तव्य है।

सिंचाई के बारे में ट्यूबवेल्स की अच्छी प्रगति हो रही है लेकिन उसमें एक बात हो रही है कि जिन स्थानों में उन्हें होना चाहिये उन स्थानों में न होकर जो गैर जरूरी स्थान हैं वहाँ पर वे लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त समय पर पानी नहीं मिलता है। धांधली और घूसखोरी के कारण महीनों तक पानी नहीं मिलता।

रिहैबिलिटेशन के बारे में भी कहा गया है। लेकिन किछा में जो कार्य हुआ है वह संतोषप्रद नहीं है। बड़े-बड़े फार्मों को हटा कर उनके छोटे-छोटे भाग कर के गरीब जनता को जब वह भूमि दी जायगी तभी हमारी समस्या हल हो सकती है और तभी सचमुच वह छोटे छोटे किसान वहाँ पर उत्पादन कर सकेंगे। बड़े-बड़े फार्म वाले ट्रैक्टरों पर कब तक निर्भर करेंगे ?

श्रमदान के बारे में भी कहा गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि गाँवों तक श्रमदान अच्छी तरह से उन लोगों ने नहीं पहुंचाया है।

दूसरी बात यह है कि हमारा सरकारी जो अमला है उसमें भ्रष्टाचार, मैं कह सकता हूं, कम नहीं हुआ है। और उसके लिये आवश्यक यह है कि जिलों में जो भ्रष्टाचार विरोधी समितियाँ बनायी गयी हैं उनको अधिकार दिये जायें, जिससे वे कुछ प्रभावकारी कार्य कर सकें अन्यथा हमारे मस्तक पर यह कलंक का टीका लगा ही रहेगा।

[श्री रामजी सहाय]

शिक्षा के बारे में हमारी सरकार जो प्रगति कर रही है मैं देखता हूं कि वह आमूल परिवर्तन करने वाली है। एक बड़ा ही अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। और हम आशा करते हैं कि वह विधेयक शीघ्र ही हमारे सदन में आ जायगा और उसके अनुसार हम लोग जीवनोपयोगी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे जिससे हमारे लिये जीवन-यापन के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के संबोधन का स्वागत करता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन में हमें जो आशा की किरणें और आशा की दृष्टि दिखलाई है मुझे उसके लिये आभार प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। आज जब कि हम देखते हैं हमारे देश की सीमा के बाहर कुछ बादल उमड़ रहे हैं उस समय हमारे देश के लिये एक ही आशा की किरण हो सकती है और वह यह कि हम अपने आन्तरिक प्रयत्नों से देश को मजबूत बनायें। राज्यपाल महोदय ने जिन रचनात्मक कार्यों का जिक्र किया है जो कि गत वर्ष हमारी सरकार ने किये हैं और भावी कार्यक्रम की जो रूपरेखा उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है मुझे उनसे एक आशा की किरण दिखलाई पड़ती है। आखिर राष्ट्र और देश आशा के बल पर ही जिया करते हैं। आशा के बल पर ही हमारा देश जो आज शताब्दियों के बाद स्वतंत्र हुआ है और डेमोक्रेसी के जो ट्रैडीशंस इस विशाल देश में कायम हुये हैं उनकी हमें सराहना करनी चाहिये। अभी हमारे देश के लाखों-करोड़ों व्यक्तियों में प्रजातंत्र की भावना और कार्य की भावना प्रेरित करनी है। जब मैं इस भवन में कुछ समालोचनायें सुनता हूं, जब मेरे कान में ये शब्द आते हैं "नीरो वाज फिडलिंग व्हेन रोम वाज बर्निंग" (गाँव जल गया, उल्लू तापते ही रहे) जब मैं सुनता हूं बार बार कि यह सरकार निकम्मी है तब मेरे दिल में एक धक्का सा लगता है। आखिर यहाँ विभिन्न दलों के जो लोग एकत्रित हुये हैं उनके इंट्रेस्ट्स, उनके हित, उनके लक्ष्य में कोई भिन्नता नहीं है। मुझे याद आता है कि एडमंड बर्क ने १७७४ में पार्लियामेंट में कहा था:

"Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests, but parliament is deliberation assembly of our nation with one interest."

[पार्लियामेंट विभिन्न व वैरपूर्ण उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजदूतों की सभा नहीं है, वह तो हमारे राष्ट्र की विचारक सभा है जिसका उद्देश्य केवल एक है।]

मुझे अपने दूसरे विरोधी मित्रों को कुछ उपदेश देने का हक नहीं है। हम यहाँ साथी की तरह से एकत्रित होते हैं जो देश की समस्यायें हमारे सामने हैं उनको हमें एक कांस्ट्रक्टिव निगाह से देखने की आवश्यकता होती है। हम अपने मित्रों से पूछना चाहते हैं कि कल से आज तक जब कि हमको रचनात्मक बातों पर विचार करना चाहिये था हमने कितना समय एक पार्टी का जिक्र करते हुये व्यय किया है।

मैं मानता हूं कि पार्टी नहीं होनी चाहिये थी। मुझे यह भी विश्वास है कि जो लोग वहाँ उपस्थित हुये यदि उनको सूचना मिली हुई होती तो कभी उस पार्टी में न जाते। लेकिन मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने देश का कौन सा काम किया? उनको बराबर जाकर और अपने सारे समय को लगाकर, जिसमें हमें रचनात्मक बातों पर विचार करना चाहिये था उस समय हमने कौन सी प्रदेश की सेवा की? मैं जानता हूं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में विरोधी पार्टी को विजीलेंट होना चाहिये और क्रिटिक रहना चाहिये लेकिन मैं तो कहता हूं कि जिनके हाथ में सत्ता है उनको भी विजीलेंट और क्रिटिक रहना चाहिये। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं परन्तु यदि एक ही चित्र देश के सामने, प्रदेश के सामने, कार्यकर्त्ताओं के सामने यहाँ प्रस्तुत करते रहे कि हमारी सरकार निकम्मी है तो काम नहीं चल सकता है। मैं जानता हूं कि हमको जो मशीनरी मिली है उसको हमें उपयुक्त बनाना है। पुरानी मशीनरी में कमी होना अवश्यम्भावी है लेकिन उसको सुधारना है। यदि हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन को एक

सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक निकम्मा ही कहते रहे तो फिर वहाँ पर किसी को कोई उत्साह नहीं रहेगा और इस प्रकार से काम करनेकी प्रवृत्ति भी नष्ट होजाती है। इसलिये मैं कहता हूँ कि शासन में जो उत्साह और लगन से काम करे उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये और जो बुरा काम करे उनको सजा मिलनी चाहिये। समय कम है लेकिन मैं इतना निवेदन आपसे और करूंगा कि गाँव के लिये काफी काम करने की आवश्यकता है। वहाँ पर कुछ काम हुआ भी है और हो रहा है किन्तु हम लोग एक श्रेणी को भूल गये हैं और वह है मध्यम श्रेणी। आज देश में जो क्रोध दिखाई पड़ता है वह इसी कारण से है कि उस मध्यम श्रेणी की अवहेलना की गयी है। इसी कारण से मैंने पिछली बार कहा था कि काटेज इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है और आगरे की लेदर इंडस्ट्री का इसी वजह से जिकर किया था।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, समय थोड़ा इसलिये मैं केवल संकेत स्वरूप ही २, ४ बातें कहूंगा।

पहली बात तो मुझे कुम्भ मेले के सम्बन्ध में यह कहनी है कि यहां पर एक ही बात पर यह जोर दिया जाता है और बतलाया जाता है जिसको मैं भी स्वीकार करूंगा कि वहां पर इस सूबे के सब से उच्च अधिकारी के होते हुये भी उनको ६, ७ घंटे तक सूचना नहीं मिली। इस बात को मैं मान कर यह समझता हूं कि इस गवर्नमेंट के लिये इससे अधिक सेल्फ कंडेम्नेशन और कुछ नहीं हो सकता कि उनको ६, ७ घंटे तक भी सूचना नहीं मिली। इस सम्बन्ध में मुझे बस यही कहना है।

दूसरी बात मुझे शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहनी है जो कि मेरे भाई यादव जी ने कहा कि आरम्भ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरा के जरिये से प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षा का प्रबन्ध है वहां पर बड़ी कठिनाई है। मैं अपने जिले के बारे में यह कह सकता हूं कि शिक्षा के जो डिप्टी इन्सपेक्टर हैं या सब-डिप्टी इन्सपेक्टर हैं उनको वहां पर कोई अधिकार नहीं है। एक टीचर को दूसरी जगह उसके स्थान से ४० मील के फासले पर भेज दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट जो उस डिप्टी इन्सपेक्टर से कम पढ़ा-लिखा है बिना समझे बूझे इतनी दूर पर भेज देता है। इस प्रकार से व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। वह तो केवल इस तरीके से ठीक हो सकती है कि जो योग्य हैं और शिक्षा में योग्यता रखते हैं और जिनके ऊपर शिक्षा का भार है जैसे कि डिप्टी इन्सपेक्टर हैं या सब-डिप्टी इन्सपेक्टर हैं या डाइरेक्टर हैं और दूसरे शिक्षा के अधिकारी हैं और शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं यह भार उनके सुपुर्द किया जाय और जो अशिक्षित हैं उनको इनके मामले में मीनमेख निकालने का अधिकार नहीं होना चाहिये तब शिक्षा ठीक तौर से चल सकती है। शिक्षा के अन्दर हम अपने और दूसरे का सम्बन्ध देखते हैं। मुझे बताया गया कि सन् ५१ में कृषि के अध्यापक नार्मल स्कूलों में नियुक्त किये गये थे और ३ बरस तक वे बराबर काम करते रहे। लेकिन होना यह चाहिये था कि ६ महीने के बाद ही पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नोटिस निकाला जाना चाहिये था। बी० एस-सी० (ए० जी०) की उनकी क्वालीफिकेशन्स थी और अब एल० टी० और लगाया गया है। यह भी एक सरक्यूलर डाइरेक्टर की ओर से निकला है कि स्कूलों में पढ़ाने वाले एल० टी० में नहीं जा सकते। लेकिन किसी खास व्यक्ति को ऐसी हालत में सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दिया गया और एल० टी० की इजाजत दे दी गई, तो कम से कम यह पक्षपात शिक्षा से हट जाना चाहिये।

यूनिवर्सिटी या कालेजेज के सम्बन्ध में कमेटियां मुक़र्रर कर दी जाती हैं जिनकी रिपोर्ट आ जाती हैं और बहुत रुपया खर्च हो जाता है लेकिन रिपोर्टों पर कोई अमल नहीं होता। मैं समझता हूं कि हाल में जो आगरा यूनिवर्सिटी का ऐक्ट बना है उसके बारे में सभी लोग एक राय के हैं लेकिन साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि जब इंटरमिडियेट क्लासेज कालिजेज से अलहदा होंगी और अध्यापक अलग होंगे तो उनके खर्चे का भार भी पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी स्टेट पर है। इसलिये मैं यह सुझाव रखूंगा कि जहां पिछले वर्ष में बहुत कम खर्चा एजूकेशन पर किया गया है तो मेरा

[श्री मलखान सिंह]

सुझाव है कि जितना भी बजट सरकार का हो उसका १/६ हिस्सा कम से कम शिक्षा पर व्यय होना चाहिये। जितना भी रोना है, चाहे कुम्भ मेले का ही हो, वह इसलिये है कि हमारे गांवों के लोग अशिक्षित हैं।

साथ में एक बात यह कह देनी है कि मेरे भाई ग़ाज़ीपुर के लोगों की यह शिकायत है कि वहां पर बहुत बड़ी बाढ़ भी आई और खेत भी डूबे लेकिन वहां पर छूट के पर्चे बना कर ही कोई नहीं भेजता है। इसलिये हमारे शासन में से इस प्रकार का पक्षपात दूर हो जाना चाहिये।

यह भी कहा गया है कि प्लानिंग किन्हीं खास जगहों पर हो रही है। जहां आवश्यकता है वहां प्लानिंग के लिये एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता। अगर यह मालूम हो जाय कि यह विरोधी दल की जगह है तो वहां कोई एक पैसा देने के लिये तैयार नहीं होता।

मुझे आशा है कि सरकार इन बातों पर ग़ौर करेगी और मैं अब अपना वक्तव्य खत्म करता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के उपरान्त माननीय रामनरेश जी शुक्ल द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करने और जितने भी संशोधन तत्सम्बन्धी आज इस सदन में उपस्थित किये गये हैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं विरोधी दल के नेता और उनके साथियों का ध्यान सम्बोधन के उस सिलसिले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसे माननीय उपाध्याय जी ने उद्धृत किया था। हमारे इस प्रदेश में और देश में यदि जनतंत्र को, प्रजातंत्र को, जीवित रखना है तो निश्चय ही हम सबको यह समझ लेना होगा कि राज्य की सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पार्टी पालिटिक्स और क्लीक से अलहदा रखना होगा। यदि हम सरकार को और सरकारी पार्टी को हंटर लगाने के लिये, जनता की दृष्टि में गिराने के लिये सरकारी कर्मचारियों के कुकृत्यों का ही बखान करते रहें और उनके अच्छे काम का तज़किरा ही न करें तो निश्चय ही वह बड़ी भारी भूल होगी और उसके द्वारा सरकार और उसके यंत्र को बड़ा भारी धक्का लगेगा। यदि उस सरकारी यंत्र को धक्का लगा तो जनता के प्रतिनिधियों की ओर उनका दृष्टिकोण बदल कर इस ओर जा सकता है कि भले और बुरे कामों का विवेचन ही नहीं होता, एक ही कूची से सब को रंग दिया जाता है तो अच्छे और बुरे काम करने से कोई फर्क होने वाला नहीं है। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें प्रजातंत्र में राजतंत्र की इस विशेष भावना से उदारता रखनी चाहिये।

इसके साथ ही, श्रीमन्, मैं एक दो बातें और कुम्भ मेले के सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं। वह इसलिये कि वे बातें अभी तक बदक़िस्मती से न तो सरकार की ओर से स्पष्ट की गई हैं और न किसी और मेम्बर की ओर से ही। जब से कुंभ मेले का आयोजन हुआ था तब से इलाहाबाद के कलेक्टर ने जनता के सभी मुख्य-मुख्य लोगों को बुलाया और उनसे विचार-विनिमय किया और सबसे सहायता की मांग की। मैं यह खुले तौर पर कह सकता हूं कि कांग्रेस के अतिरिक्त और किसी ने वहां के इंतज़ाम के सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं दी। मैं उदाहरण के तौर पर उस दल के बारे में कहना चाहता हूं जो "ग्राम सेविका दल" कहलाता था। मृदुलाबैन सारा भाई ने, जिनको हम सब ही लोग जानते हैं, कुंभ मेले के आरम्भ में ही सभी दलों के लोगों को बुलाया, जिनमें कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी थे। उन्होंने कहा कि इस महा-पर्व में हज़ारों की संख्या में ऐसी खोई हुई मातायें और बहनें होंगी जिनको उनके स्थान पर पहुंचाना होगा और उनका पुलिस के संरक्षण में जाना ठीक नहीं मालूम होता। इसलिये अगर ग्राम सेविकाओं के रूप में यहां वालंटियर कैम्प रखा जाय तो अच्छा होगा। हां, उन्होंने कहा तो सबको था लेकिन केवल ७७ औरतें वहां पर इकट्ठा की गयीं जिनमें से ५७ करछना और चायल तहसील की थीं। बाक़ी भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दीं। दूसरे दल के किसी भी आदमी ने एक भी औरत या एक छटांक गल्ला ला कर उनको नहीं दिया। जिस दिन से कुम्भ का मेला प्रारम्भ

हुआ उसी दिन से उस कैम्प ने लोगों की सेवा की। तीन तारीख को साढ़े छः हजार खोई हुई स्त्री और बच्चों को कैम्प में रक्खा गया, उनके खाने-पीने की व्यवस्था की गयी तथा उनको उनके परिवार वालों के पास तक पहुंचाया गया। किसी ने भी इस संस्था को सहायता नहीं दी। यह तो आसान है कि हम यह कह दें कि पंत जी या सम्पूर्णानंद जी ने यह बुराई की या राज्यपाल महोदय ने यह बुरा काम या ग़लती की। अब वह जो कुछ कहें लेकिन मैं विरोधी दल के नेता से यह पूछना चाहता हूं कि वे १५ दिन पहले से प्रयाग में मौजूद थे लेकिन उन्होंने इस मेले के प्रबन्ध में क्या सहयोग दिया? अगर किसी ने कोई सहयोग दिया तो वह कांग्रेस और कांग्रेस जन ही थे। दुर्भाग्यवश उस दिन वह दुर्घटना हो गयी। उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं कि ऐसे अवसरों पर विरोधी दल को टीकाटिप्पणी करने के लिये ही नहीं, कुछ कार्य करने की भी दावत मिल जाती है। श्रीमान्, मैं आपके द्वारा उनको अपनी ओर से दावत देना चाहता हूं और इस प्रान्त के लाखों प्राणियों की ओर से दावत देता हूं कि वे कृपा करके इस प्रान्त के सब अच्छे से अच्छे कार्यों को सफल बनाने में इसी प्रकार सचेष्ट रहें तो यह हमारा सौभाग्य होगा, हमारे प्रदेश का सौभाग्य होगा। इन शब्दों के साथ अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और बड़े-बड़े कामों की चर्चा करते हुये माननीय रामनारायण जी ने श्रमदान को बेकारी का नाम दिया। रामनारायण त्रिपाठी जी इस बात को जानते हैं कि प्रगति के जो काम होते हैं उनमें प्रगतिवादी विश्वास रखते हैं और जनहिताय जितने काम होते हैं वे जनता के हृदय से, सहयोग से ही होते हैं। फिर इस प्रकार श्रमदान को बेकारी का नाम देना मेरे ख्याल से रिएक्शनरी स्पिरिट का परिचायक ही हो सकता है। मुझे आशा है कि कम से कम श्री राम नारायण जी के मुख से इस प्रकार के शब्द इस सदन को आगे सुनने को नहीं मिलेंगे।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल ने जो सम्बोधन इस सदन के सामने किया उसमें हमें विभिन्न दिशाओं में प्रगति का संकेत और सूचना और भविष्य का आश्वासन मिलता है। इसके लिये हम लोगों को उन्हें धन्यवाद देना चाहिये। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि कृषि और सिंचाई योजना के फलस्वरूप जो इस देश में खाद्य की कमी थी उसकी बहुत कुछ पूर्ति हुई है और जो नियन्त्रण की विभीषिका थी उससे मुक्ति पा कर जनता कुछ सुख की सांस ले रही है और भी कई दिशाओं में अच्छे से अच्छे कार्य हुए। मुझे विशेष रूप से जो ला ऐण्ड आर्डर के सम्बन्ध में कार्य हुए उनके लिये माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देनी है। बाह तहसील में जरार काण्ड के उपरान्त, जो तीन स्टेट्स के आपरेशन हुए उससे हमारे यहां शान्ति हुई। इतना ही नहीं कि शान्ति हुई बल्कि हमारे यहां टेरीटोरियल मैजर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी तथा प्युनिटिव पुलिस आदि इस तरह की चीजें वहां नहीं लगायी गयीं जिसमें बहुत से बेगुनाहों को तो सजा मिल जाती है और असली गुनहगार उसमें बहुत थोड़े से ही फंसते हैं। हमारे लिये यह बड़े गौरव की बात है कि जब कि दूसरे प्रदेशों में वही आपरेशन होते समय जगह-जगह प्युनिटिव पुलिस लगायी गयी लेकिन हमारे यहां सब काम साधारण रीति से ही हो गये और जनता को इसका कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ा। केवल तीन गांवों में प्युनिटिव पुलिस लगायी गयी थी लेकिन जब मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया गया तो उनको वहां से भी हटा लिया गया। जहां तक और विभिन्न दिशाओं में प्रगति हुई उसके लिये मैं समझता हूं कि जिन योजनाओं का सूत्रपात पिछले सालों में हुआ था वे फल फूल रही हैं और इसलिये आशा है कि आगे भी ऐसी ही प्रगति जारी रहेगी। किन्तु एक बात हमें जरूर खटकती है कि अभी तक इस प्रगति का इम्पैक्ट जनता के हृदय तक नहीं पहुंचा है। उसने उसको अभी महसूस नहीं किया है, जनता में कोई उत्साह व उल्लास नहीं है। तो इसके कारणों पर भी हमें दृष्टिपात करना है, क्योंकि आज ऐसा मालूम होता है कि हम एक ऐसे डाक्टर की तरह हैं जो अच्छा से अच्छा इलाज रोगी का करता है लेकिन रोगी को पूर्णतः अनुकूल नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारी जितनी चीजें हैं ये तब तक बहुत कुछ सफल नहीं हो सकतीं जब तक कि जिनके लिये ये चीजें की जा रही हैं उन्हें इसका अनुभव नहीं होता या वे इसे नहीं समझते। इसलिये उनके दृष्टिकोण से हमें तमाम प्लानिंग

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

व सब योजनाओं को बनाना है। हमारी आर्थिक स्थिति अभी तक संतुलित नहीं हो पाई है। एक तो यह है कि अभी थोड़े दिन हुये जब कि हमारे पास पैसे थे लेकिन चीजों का अभाव था और भाव तेज थे लेकिन आज उसके विपरीत स्थिति है। आज जितनी चीजें हमारे यहां हैं या बन रही हैं या जितना उत्पादन हमारे यहां हो रहा है उसकी खपत के लिये गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। हमारा कपड़ा भी इस देश से बाहर जा रहा है। बड़े दुःख की बात है कि जिस देश में लाखों और करोड़ों आदमी अपने जीवन की मामूली चीजों से वंचित रहते हों उस देश में जो थोड़ा बहुत उत्पादन हो उसकी भी खपत की गुंजाइश वहां न हो। अभी जो अमेरिकन सज्जन आये थे उन्होंने कहा था कि यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट्स मार्केट की तलाश में हैं लेकिन जहां पर करोड़ों आदमी रहते हैं जिनको उनकी बेयर नैसेसिटीज आफ लाइफ भी नहीं मिलती इतना बड़ा मार्केट दुनिया में कहां हो सकता है। एक ओर तो हमें यह दिखलाई पड़ता है कि लोगों की जरूरत पूरी नहीं होतीं और दूसरी ओर हमें यह भी दिखलाई पड़ता है कि लाखों और करोड़ों आदमी अभी बेकार हैं या अर्द्ध बेकार हैं। इन दोनों स्थितियों का साथ ही साथ हमें समन्वय करना पड़ेगा ताकि बेकारों को काम मिले और जिन लोगों के लिये चीजों का अभाव है उनके अभाव की भी पूर्ति हो।

जहां तक बेकारी का सवाल है वह केवल यह नहीं कि जो अनपढ़ हैं या जो अशिक्षित हैं वही बेकार हैं बल्कि सब से ज्यादा बेकारी की बात खटकती है उन लोगों की जिनको हम बराबर शिक्षा दे रहे हैं, करोड़ों रुपया जिनके ऊपर राष्ट्र खर्च करता है लेकिन आज उनको बिना किसी काम के योग्य बनाये छोड़ देता है।

हमारा लक्ष्य है कि मध्यवर्तियों को निकाल दिया जाय ताकि लोगों को जो मुनाफा बीच में ही ले लेते हैं उनका खात्मा हो जाय और वह मुनाफा उत्पादकों तक पहुंच जाय लेकिन मध्यवर्तियों का अन्त नहीं हो रहा है, मिडिलमैन का अन्त नहीं हो रहा है बल्कि मिडिल क्लास का अन्त होता चला आ रहा है और इस वजह से काफी असंतोष की भावना हमारे यहां पैदा होती जा रही है।

एक चीज मुझे और खटकती है जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। डेमोक्रेसी कोई ऐसा आदर्श उपस्थित नहीं करती जो करने या मरने के लिये प्रेरित कर सके तथा वर्तमान परिस्थितियों में पुरानी मान्यतायें और आदर्श कुछ ढीले पड़ रहे हैं, डिक्लेरेशन आफ राइट्स डिमोक्रेसी में हमारे सामने रखती है लेकिन वह हमारे अन्दर कोई इन्सिपरेशन नहीं पैदा कर सका। साधारण व्यक्ति में धर्म या परिवार के प्रति जो भावना थी वह भी और शिथिल पड़ रही है। कुम्भ के मेले में लाखों आदमी आते हैं इस तरह से इंस्पायर करने वाली कोई चीज मिले ताकि लोगों में एक भावना पैदा हो सेवा करने की, और लोग सेवावृत्ति से आगे बढ़ें। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो विचार रखे हैं उनको दृष्टिकोण में रखते हुये सरकार अपनी योजनायें बनावेगी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं श्री रामनरेश शुक्ल जी के धन्यवाद के संकल्प में उनके साथ नहीं हो रहा हूं। इसका कारण यह है कि इस समय शिक्षा की नीति में जो व्यवस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में जो कुनबापरस्ती अख्तियार की गई है, पुलिस के शासन में जो ढिलाई है और पुलिस में जो अनुशासनहीनता की वृद्धि हुई है उसी के साथ साथ आज सामान्य प्रशासन में चारों तरफ विशृंखलता प्रकट होती है। जब मैं देखता हूं कि विकास योजनायें जिनकी यहां पर बहुत चर्चा हुई है वे पूर्णरूपेण असफल हो कर मानव समाज के शोषण के रूप में परिणत होती चली जाती है और उसका कारण माननीय मंत्रियों द्वारा उन विकास योजनाओं के स्थल को समय-समय पर परिवर्तित करना है। अपने किसी प्रिय जन के इशारे पर उसके संकेत पर, तो इन तमाम परिस्थितियों को जो आज इस प्रान्त में हैं और जिससे सारे धन का शोषण हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है उनकी चर्चा

भाषण में न पाकर तो हमें दुःख होता है। उसी के साथ साथ श्रीमन् आज आप के प्रान्त में जनतांत्रिक व्यवस्था का हनन हो रहा है और उसकी ओर भी संकेत करना चाहता हूं।

माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और नोटीफाइट एरिया के चुनाव की चर्चा की लेकिन श्रीमन् मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या वे बोर्ड के सदस्य जो इस समय सदस्य हैं अभी जो विधान परिषद् का चुनाव होगा उसमें वोट दे पायेंगे। कितना बड़ा अपराध है? आज जो म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर नहीं हैं, टाउन एरिया के मेम्बर नहीं हैं, नोटीफाइड एरिया के मेम्बर नहीं हैं, ८-७ साल पहले जिन का चुनाव हुआ हो, वोटरलिस्ट में उनका नाम हो, वही पुराने लोग वोटर होंगे और वही आगे आने वाले चुनाव में भाग लेंगे। श्रीमन्, क्या इसकी ओर भी कोई चर्चा हुई? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसका पूरा-पूरा दोष स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री को देता हूं कि जिन्होंने जानबूझ कर चुनाव कराने में विलम्ब किया। उन्होंने जानबूझ कर सरकार की ओर से यह पूरा पूरा षडयंत्र किया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि नये चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मेदवार बहुमत में नहीं आयेंगे इसलिये इस ओर भी मैं चाहता हूं कि अगर कोई विधान में परिवर्तन करने की बात हो, तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखें। इसके बाद श्रीमन्, जब हम देखते हैं कि, हमारे ट्रेजरी बेंचेज के सम्मानित सदस्य जो हमसे पहले बोल गये उन्होंने पुरानी रूप रेखा (भारतीय संस्कृति) की चर्चा की कि इस सदन में हम जब आते हैं तो पाश्चात्य और पूर्वी का भेद पैदा कर दिया जाता है। मुझे बड़ा दुख हुआ, जब मैं उठा तो माननीय गृह मंत्री जी यहां से चले गये। मैं उन्हीं के लिये श्रीमन्, तमाम ऋग् वेद और तमाम मनुस्मृति और शुद्ध नीति, इन तमाम का मनन कर के कि सभासदों का क्या कर्त्तव्य होना चाहिये, राजा कैसा होना चाहिये, राजा के दण्ड की क्या व्यवस्था होनी चाहिये, यहां पर आया था उनकी खिदमत में पेश करने के लिये। ऋग्वेद सूत्र २३ मन्त्र १२ में यहां तक कहा गया है कि घमंडी उग्र शासक अपनी प्रतिबुद्धि से यदि प्रजा का नाश करने में प्रवृत्त हो तो उसका विरोध करना प्रत्येक सभासद का कर्तव्य है:

"अदेवेन मनसा यो रिषण्यति" शासामुग्रो मन्यमानो जिघांसति।
बृहस्पते मा प्रणक् तस्य नो वधो, निकर्म मन्युं दुरे वस्य, शर्धतः।

श्रीमन्, मनुस्मृति का श्लोक सभासदों के कर्त्तव्य बताता है——

"सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्।
अब्रुवन्विब्रुवन्वाऽपि नरो भवति किल्बिषी।।"
(मनु० ८, १३)

विधान निर्मात्री सभा में पहले तो आना ही नहीं चाहिये। प्रवेश करने पर न्यायपूर्ण ही बोलना चाहिये लेकिन जो लोग सभा में जाते हैं अन्याय होने पर बोलते नहीं या असत्य का पक्ष लेते हैं वे सभासद पापी हैं। श्रीमन्, यह इस श्लोक का भाव है। सभा का अर्थ क्या है? 'स' और 'भ' दो शब्दों का जोड़ सभा है। 'स' के माने "सहित" हैं और 'भ' का अर्थ 'प्रकाश' है। जहां से प्रकाश मिले, जहां से न्याय मिले उसको सभा कहते हैं। यह विधान सभा है। हमको यह भी समझना चाहिये कि क्या हम यहां पर न्याय देते हैं? क्या हम यहां पर प्रकाश देते हैं? जिस देश में शासकों की सभा में न्याय, अन्याय से पीड़ित हो कर पराजित हो जाय तो धर्म को अधर्म क्या वेध सकता है? सभासद ही वेधे जाते हैं। श्रीमन्, मनुस्मृति के श्लोक का यह अर्थ है। तो मैं चाहता हूं कि यहां के सभासद जरा इन बातों पर विचार करें कि वे अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं? बार-बार विरोधी दल को कहा जाता है कि उनका यही काम है और यहां तक इस सदन में कह दिया गया कि हमारे सौभाग्य के लिये यह कुम्भ दुर्घटना हो गई। मुझे आज बहुत ही दुख है और मैं अपने उस दुख का उद्गार कर देना चाहता हूं केवल कुछ शब्दों में। माननीय चन्द्रभानु गुप्त को इस सदन में आ कर जिस परिस्थिति में पड़ कर अपना भाषण पढ़ना पड़ा है, वह मुझे मालूम है। परन्तु मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। आज विधान परिषद् में महादेवी वर्मा ने क्या भाषण दिया? उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा कि एक बहुत ही विशिष्ट अधिकारी पुरुष से उन्होंने

[श्री राजनारायण]

इसकी चर्चा की थी कि दावत नहीं होनी चाहिये, उनका नाम लेना वह नहीं चाहतीं और मैं भी उधर जाना नहीं चाहता। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य पर परदा डालने की कोशिश करना भी सभासदों के लिये पाप है।

श्रीमन, मुझे बहुत कुछ कहना है, मैं गन्ने पर जो कि अपनी प्रान्त की बहुत ही प्रमुख समस्या है कुछ कहना चाहता हूं। उस प्रश्न को लेकर हमारे विधान सभा के ४ सम्मानित सदस्य सर्व श्री गेंदा सिंह, नारायण दत्त तिवारी, अवधशरण जी और राजवंशी राय जी गिरफ्तार हो गये। उन चार सभासदों की गिरफ्तारी पर इस सम्बोधन में कहीं भी चर्चा नहीं हुई। ये सभासद क्यों गिरफ्तार हुये हैं। सारे के सारे आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत हैं और इन आंकड़ों के आधार पर मैं आप की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि २८ करोड़ रुपया केवल एक साल में मिल मालिकों को उपभोक्ताओं और केन प्रोड्यूसर्स (गन्ना उत्पादक) का शोषण करके कमवाया गया है। क्या यह सरकार उसकी भागी नहीं है। कहा जाता है कि हमारे सामने प्राफिट शेयरिंग की थ्योरी (मुनाफे में हिस्सा का सिद्धांत) होगा। शेयरिंग की थ्योरी के माने क्या हैं जब तक हमारा मैनेजमेंट पर कंट्रोल न हो (प्रबन्ध पर कंट्रोल न हो) क्या यहां पर कोई माननीय सदस्य प्राफिट (मुनाफा) का सही अन्दाजा कर सकते हैं। खेल प्राफिट शेयरिंग की थ्योरी एक कैपिटलिस्ट थ्योरी (पूंजीपतियों का सिद्धांत) होगी। लोगों को आकर्षित करने के लिये, भ्रम में फंसाने के लिये प्राफिट में शेयर देने जा रहे हैं। इस प्रकार प्राफिट में शेयर कभी कम्प्लीट हो नहीं सकता, जब तक कि मैनेजमेंट में शेयर न हो। यह एक बुनियादी तत्व है। श्रीमन, हमारे २७१ साथी इस आन्दोलन में गिरफ्तार हो चुके हैं। कल भी हमारे दो साथी बरेली में गिरफ्तार हुये हैं। श्री दामोदर स्वरूप सेठ, जिनसे यह सदन भली-भांति परिचित है, वे सत्याग्रहियों का एक दल लिये जा रहे थे, । मगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। माननीय फतेहबहादुर सिंह और एक अन्य साथी गिरफ्तार किये गये और पूछने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह कहा कि यह माननीय गोविन्दवल्लभ पन्त का आदेश है कि माननीय दामोदर स्वरूप सेठ को गिरफ्तार न किया जाय। अभी कल और परसों बाराबंकी में १२, १५ व्यक्ति गिरफ्तार हुये और २, २ मील पर ले जा करके उन व्यक्तियों को छोड़ा गया। क्यों?

श्रीमन्, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, समय मेरा बीत गया है। आप की विशेष अनुकम्पा से एक मिनट बोलने का मौका मिला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से और माननीय गृह मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि मनुष्य का जीवन असीम नहीं है, जीवन की परिधि है। हमको ऐसे नियमों का पालन करना चाहिये जिससे सामन्जस्य हो, न्याय हो और सारे सूबे में जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के संबोधन से संबंधित धन्यवाद का प्रस्ताव जो माननीय श्री रामनरेश शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, मैंने दोनों ही ओर के भाषणों को सुना। कुछ सज्जन श्री रामनरेश के प्रस्ताव के विरोध में बोले और कुछ समर्थन में। लेकिन मुझे यह जानकर और यह सुनकर दुख हुआ कि संबोधन और धन्यवाद के प्रस्ताव का सम्बन्ध न जोड़ते हुये अधिकतर भाषणों में सरकार पर छींटाकशी की गयी। इस समय जो हम विचार कर रहे हैं वह हम केवल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि महामान्य राज्यपाल ने जो हमें सम्बोधन दिया उसमें आगे की सरकार की नीति के सम्बन्ध में उन्होंने नवीन बातें बतायी हैं और साथ ही इसके सरकार ने जो अब तक कार्य किये हैं उन पर भी प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, यदि हम भली प्रकार माननीय राज्यपाल महोदय

के सम्बोधन को पढ़ेंगे तो उसमें यह देखेंगे कि जहां उन्होंने एक ओर सरकार के कर्त्तव्य की चर्चा की है वहां दूसरी ओर इस विधान मंडल के सदस्यों से और इस प्रांत की जनता से यह मांग की है कि हमारे देश और प्रदेश की जनता के सुख के लिये आनन्द के लिये सरकार जो कार्य करे उसमें उनका पूरा पूरा सहयोग मिले। महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा है "हमारी सरकार परिस्थितियों और साधनों को देखते हुये यथा संभव शीघ्रता से राज्य की जनता को समृद्ध और सुखी बनाने के अपने मनोवांछित लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न कर रही है।" तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब महामान्य राज्यपाल इस ओर संकेत कर रहे हैं कि सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है और इस प्रयत्न को पूरा करने में हमारे विधान मंडल के सदस्यों और इस प्रांत की जनता के सहयोग की आवश्यकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि हम पूरी जिम्मेदारी हर बुराई की, हर खराबी की उस सरकार पर डाल दें जो एक जनतांत्रिक सरकार है। जनतांत्रिक सरकार में जहां सरकार की जिम्मेदारी होती है उससे ज्यादा जिम्मेदारी जनता की होती है। जहां जनता की जिम्मेदारी का प्रश्न उठता है उसके साथ साथ हम सदस्यों का यह भी कर्त्तव्य होता है कि हम एक ओर सरकार तक जनता की आवाज को पहुंचाने और जनता के आवश्यकतानुसार विधान बनायें, तो दूसरी ओर जनता को इस बात के लिये भी तैयार करें कि जनता सही माने में जनतांत्रिक प्रणाली को अपनाये और उसको पूरा करने में पूरा पूरा सहयोग दे। तो इस कार्य की पूर्ति केवल सरकार को गाली देने से या उसकी समालोचना करने से नहीं होती बल्कि इसके लिये कुछ हमें भी करना है। तो मैं इन शब्दों के साथ अपने विधान सभा के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि एक ओर उनके रचनात्मक सुझाव आने चाहिये और जनता की आवश्यकता की आवाज यहां तक आनी चाहिये और दूसरी ओर उसका पूरा पूरा सहयोग सरकार को मिलना चाहिये।

वैसे तो महामान्य राज्यपाल ने जहां सम्पूर्ण जनता के सम्बन्ध में बात कही है तो कोई वर्ग विशेष नहीं रह जाता है जो संपूर्ण जनता के बीच में न आ जाता हो लेकिन इतना मैं अलग से माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज हमारे प्रांत में केवल खेतिहर मजदूर वर्ग ऐसा है कि जिसकी तरफ अभी तक हमारी सरकार का ध्यान नही के बराबर गया है। यही नहीं, बल्कि सरकार की जो नयी नयी योजनायें कृषि को बढ़ाने के लिये चली हैं उनसे खेतिहर मजदूरों की बेकारी बढ़ गयी और उनके सामने नवीन संकट आगया है। उदाहरण स्वरूप सरकार ने एक ओर तकावी देकर ट्रैक्टर खरिदवाये हैं और बड़े-बड़े फार्मों को सहायता दी है तो उससे सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि इन मशीनों के उपयोग से दूसरी ओर खेतिहर मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा कारण आज उनकी बेरोजगारी का यह है कि आज हमारे प्रांत के बुनकर उनकी इंडस्ट्री को ठेस पहुंचाने से बेकार हो गये हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्रम मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि उनका ध्यान खेतिहर मजदूरों की तरफ जाना चाहिये। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि आज खेतिहर मजदूरों का कोई संगठन नहीं है या कोई राजनीतिक दल उनकी ओर से विशेष आवाज नहीं उठाता है तो वह हमारी ओर से उपेक्षा के पात्र हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं श्री रामनरेश शुक्ल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मुख्य मंत्री (गोविंद वल्लभ पंत)—अध्यक्ष महोदय, कल से राज्यपाल के सम्बोधन पर वादविवाद सदन में चल रहा है। मैंने अंतिम वक्ता से पहले नेता विरोधी दल के भाषण को सुना। उन्होंने कहा कि सारे प्रदेश में 'उत्पात' चल रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि 'उत्पात' शब्द के उनके माने क्या हैं। यदि वह समझते हों कि करा रहे हैं तो उनका अधिकार है, वह मान सकते हैं और कुछ हद तक उत्पात कराने की अगर कुछ लोगों की कोशिश हो तो यह असम्भव बात नहीं है। पर मैं उनकी उस दूसरी चीज को ज्यादा चाहता हूं कि वह अंगीकार करें उसके मुताबिक व्यवहार करें। उन्होंने मनुस्मृति से सभासद के और सभा के सदस्य के कर्त्तव्यों को बतलाया है। मैं आशा करता हूं कि वह उन्हें ध्यान में रखेंगे।

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

मार्क्स और मनुस्मृति साथ साथ कहां तक चल सकती हैं मैं जानता नहीं परन्तु जो बातें सही मिलें उनको ग्रहण करना चाहिये। इसलिये कम से कम जो बात उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर कही है उसके व्यवहार करने का तो वह प्रयत्न करेंगे ही और जो कुछ उपदेश उन्होंने हम लोगों को दिया है उसके अनुसार चलने का हमारा भी प्रयत्न होना ही चाहिये।

इस अवसर पर इतनी बातें कही गयी हैं कि मैं उनका सबका उत्तर दे सकूं यह असम्भव है। मुझे तब भी इस बात की सांत्वना है कि जो कोई बातें राज्यपाल ने कहीं और जिनके बारे में उन्होंने आंकड़े भी दिये और और तरीके पर भी एक निश्चित विवरण दिया उसके विरोध में कोई बात नहीं कही गयी। इसलिये यह इसका निष्कर्ष तो निकलता ही है कि राज्यपाल ने जो विवरण हमारे कार्यों का दिया है उसके बारे में कोई आक्षेप नहीं हो सकता है और यदि उस विवरण को माना जाय जैसा कि इस विधान सभा के सदस्यों ने चाहे इस तरफ हों या उस तरफ हों, मान लिया तो मैं समझता हूं कि यह कहना आवश्यक न होगा कि इस सरकार ने जो कुछ भी परिस्थिति थी उसमें अपने कर्त्तव्य को पालन करने की कोशिश की है और उसमें यह असफल भी पूरी तरह से नहीं रही है।

हम आज इस बात का यत्न कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो जाय। उसके लिए हम सब को मिल कर काम करना है और रचनात्मक कार्यों में अपना ध्यान लगाना है। जहां भी जो कोई गलतियां हों उनको दूर करना है। जहां पर जो कमियां हों उनको हटाना है और मैं इस बात को मानता हूं कि अभी तो हमें बहुत लम्बी मंजिल जाना है। अभी हमें बहुत कुछ करना है। देश में इतनी गरीबी है, इतनी बेकारी है, इतनी अविद्या है, इतना रोग है कि उस सब को जब तक हम दूर न कर दें तब तक तो संतोष किसी को हो नहीं सकता और जो कुछ किया गया है उसके मुकाबिले में बहुत थोड़ा सा है जो कुछ कि हमें करना है। क्योंकि हमारा प्रदेश बड़ा है। उसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। सैकड़ों वर्ष के विदेशी शासन के फलस्वरूप हमें बहुत सी कठिनाइयां आईं, उनका मुकाबिला करके आगे बढ़ना है। इसलिए हमको दत्तचित्त हो कर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिक्षण कार्य में लग कर आलस्य को छोड़ कर निर्भीक हो कर और यथासम्भव देश-हित की भावना से प्रेरित हो कर सब कार्यों को करना है और इस तरीके पर मैं आशा करता हूं कि हम आगे बढ़ते जायेंगे और जिन लोगों की शंकायें हों वह दूर होती जायंगी, सिवाय उनके जिन्हें रोशनी चाहे कितनी ही दिलायें देखते ही नहीं जो चाहे जागते हों पर नींद जिन्हें आयी ही रहती है। उनको तो समझाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो समझना ही नहीं चाहते तो उनके लिये तो जो वास्तविकता है उसका कोई प्रभाव उन पर पड़ता नहीं। पर जो देखना चाहें, जो समझना चाहें, जिनके मन और बुद्धि में अभी सत्य के परखने और सत्य को अंगीकार करने की शक्ति बनी हुयी है वह वास्तविकता को देख कर एक उचित निर्णय पर पहुंच सकते हैं।

मैं समझता हूं कि बहुत त्रुटियां हैं, शासन में भी हैं और हमारे विकास कार्यों में भी बहुत से और सुधारों की जरूरत है और इसके लिए हमें यत्नशील होना चाहिए। पर यह मैं कह सकता हूं कि हमारे विकास कार्य और प्रयत्नों के फलस्वरूप हमारे प्रदेश की अवस्था आज पहले से बेहतर है। आज हमारे यहां खाद्यान्न पहले से बहुत ज्यादा पैदा होता है। आज सम्भवतः हमारी ऐसी व्यवस्था हो गयी है कि हम बगैर कहीं से और अन्न लिये हुए अपना निर्वाह कर सकें और बाहर हम बहुत सी चीजों को भेजते हैं। हम दाल भेजते हैं, शक्कर भेजते हैं और और चीजों को बहुत बड़ी मिकदार में भेजते हैं। इसी तरह और जो चीजें हमारे यहां कम होती थीं जैसे जूट पहले अपने यहां पैदा नहीं होता था लेकिन आज बड़ी ताद्दाद में अपनी मिलों के लिए अपने यहां जूट पैदा होता है। इसी तरह से हमारे यहां लाखों एकड़ में आबपाशी आज हो रही है, लाखों एकड़ नयी जमीनें तोड़ी गयी हैं जिन पर काश्त

हो रही है, हजारों मील सड़कें बनीं और सैकड़ों अस्पताल बने। इस तरह से जो कोई भी इन बातों को देखे उसको यह तुरंत ही सिद्ध होगा कि सरकार अपनी तरफ से जो कि लोकहित के कार्य हो सकते हैं उनको करने में कोई कोताही नहीं कर रही है। हां, बाजे लोग को यह इस वक्त अवसर है कि एक तरफ से तो कहें कि अध्यापकों की तनख्वाह दूनी होनी चाहिए और सेक्रेटरियट के चपरासियों को जो पोस्टआफिस में मिलता है उससे कम नहीं मिलनी चाहिए और जो अधिकारी हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए और हर घर में एक वाटरवर्क्स का सा इन्तजाम होना चाहिए कि सब कुछ मिल सके। डाक्टर हर घर में जा सके, स्कूल हरएक के पास हो पर टैक्स किसी पर न लगे। आबपाशी सब जगह हो, नयी नहरें बनें, नये कुएं बनें, नये नलकूप बनें और सब तरह के काम किये जायं पर अगर एक पाई ज्यादा बढ़े तो फिर सत्याग्रह होगा, वह तो फिर बड़ा भारी पाप का आधार होगा, वह सहन नहीं हो सकता। आज शहर में जो अन्न बिकता है वह तो सस्ता बिके और गांवों से जो लिया जाता है वह आज से भी ज्यादा महंगा लिया जाय ताकि काश्तकार को कीमत और ज्यादा मिले और खरीदने वाले को आज से आधी कीमत देनी पड़े, यह इस तरह की चीजें जादू से कैसे की जा सकती हैं वह हम लोग जानते नहीं हैं। इसलिए उनके लिए तो कमी अब भी है और हमेशा रहेगी। पर वास्तविकता की बात यह है कि जो एक ठोस आधार पर काम करने की कोई भी एक योजना और प्लान हो सकती है उसके अनुसार हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर कुछ बातें कही गयीं कि शासन में कमी है। कौन नहीं जानता? यह भी कहा गया कि अभी करप्शन है। किसने कहा कि करप्शन बिल्कुल दूर हो गया? और फिर इस सबके लिए कोशिश करनी है सबको मिलजुलकर इस काम को करना है यह एक घिनौनी बात है कि एक स्वतंत्र देश के, जहां की जनता देश की मालिक है, स्वामी है वह स्वयं अपने सेवकों को, अपने कर्मचारियों को कोई रिश्वत दे यह एक घृणित बात है जो कि नहीं होनी चाहिये और इसके लिए हमें सही तरीके पर कोशिश करनी है और जनता में भी इन भावनाओं को पैदा करना है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। हम इसके लिये सिर्फ यह कह दें कि ऐसा होता है यह कोई हमको आगे नहीं बढ़ाता, पर मैं इसको कह सकता हूं और मुझे कोई शंका नहीं है कि पहले के मुकाबिले में रिश्वतखोरी बहुत कम है उतनी हो नहीं सकती। आखिर लोकतंत्र में जब हर एक आदमी को आज वोट देने का अधिकार है, हर जगह पर जन-जागृति पहले से प्रबल है, हर जगह लोग जो कुछ होता है उसके ऊपर टीका-टिप्पणी करते हैं और रोज मिनिस्टरों के और अब तो शैली यह भी हो गयी कि गवर्नर और कभी-कभी राष्ट्रपति को भी हर तरह की गालियां देते हैं और हर तरह के लांछन उनके ऊपर लगाते हैं, तो वहां पर छोटे-छोटे अधिकारी जो रिश्वत लेते हैं उनको कोई बख्श दे यह जमाना अब नहीं है। इसलिये मैं नहीं समझता कि जो इसमें अन्तर हुआ है वह कोई दूरगामी अन्तर होगा। डिसिप्लिनरी इनक्वायरी कमेटी की पहली जिल्द निकल गयी है। दूसरी जिल्द भी जल्दी निकलेगी। और मैं समझता हूं कि पूरी रिपोर्ट इस सदन के सामने शीघ्र ही आजायगी। इस बारे में क्या और किया जा सकता है और क्या उपाय और हो सकते हैं उन्हें हम जानना चाहेंगे और उनसे लाभ भी उठाना चाहेंगे।

मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में आज एक लहर है इस बात की कि हम प्रदेश का कल्याण करें। लोगों में भावना है कि हम उंचे उठें और श्रमदान उसका द्योतक है। वालंटरी तरीके पर लोग मेहनत करते हैं। किसी साहब से मैंने सुना, यह कहा कि यह तो बेगार है। हम स्वतंत्रता के युग में बेगार जब कि जनता के इतने लोग निर्वाचित हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, म्युनिसिपल बोर्ड में, यहां वहां यह कहना कि लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग बेगार में जाते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि हमारी स्वतंत्रता कुछ है नहीं। तब तो कहना पड़ेगा कि लोगों में जो लोकतंत्र के साधारण से साधारण गुण होते हैं वह भी नहीं हैं। परन्तु यह बात बिल्कुल निर्मूल है। जिस उत्साह के साथ लोग कार्य करते हैं उसकी सराहना किये बगैर मैं नहीं रह सकता। मैंने जाकर देखा कि ७० फिट सड़कें लोगों ने बनायी, अपने चबूतरों को काट कर उन्होंने फेंक दिया और बहुत से लोगों ने अपनी जमीन खुशी खुशी दी बगैर मुआविजा लिए हुए। इस

[श्री गोविन्दवल्लभ पंत]

तरीके पर जब जनता में उत्साह है तो देश का कार्य होता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे।

यहां पर जो भी बातें कही गयीं वे बहुत सी हैं। उन सब के बारे में कहना कठिन है। कल कुम्भ के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मुझे खेद है कि इस विषय पर इतना समय सदन का लिया गया। पर यह दुर्घटना अभी अभी हुयी इसलिये मुझे आश्चर्य भी नहीं हुआ। इसके बारे में इतनी बातें हुयीं। पर क्या कोई यह कहता है कि किसी ने लोगों को मरवाया या किसी की ऐसी इच्छा थी? कहा तो यह गया कि सरकार ने बहुत अच्छा इन्तजाम करने की कोशिश की जिससे सब लोग जाकर उसकी तारीफ करें और फिर उसका फायदा उठाकर सरकार को वोट मिले, सरकार की नियत चाहे जो भी रही हो जिनके सामने सिर्फ हमेशा वोट की बात रहती है वह हर अच्छे काम को वोट मिलने के डर से बिगाड़ना ही ठीक समझते हैं। क्योंकि उनको यह लगता है कि अगर अच्छा काम चल गया तो हमारे लिये वोट में गड़बड़ी हो गयी। सरकार चाहे किसी नियत से किसी काम को करे। मान लीजिये कि इसी गरज से यह काम किया गया हो तो सरकार की यही इच्छा हो सकती थी कि आखिर तक यह काम बनता चला जाय। सरकार कभी यह नहीं चाहती थी कि जिस काम को उसने किसी खास मकसद से किया है वह काम बीच में ऐसा बिगड़ता कि जो बिगड़ने से फायदा उठा सकते हैं उनको मौका मिले और सरकार को अपनी बड़ाई करने के बदले उन के सामने सफाई देनी पड़े यह बात तो सरकार को किसी तरह से रुचिकर नहीं हो सकती परन्तु हमें समझना चाहिये कि ऐसे मामलों को हमें जरा प्रापर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिये, एक प्रापर सेन्स आफ प्रोपोर्शन हमारा होना चाहिये चाहे कोई सरकार हो। आज यह सरकार है कल कोई दूसरे हो सकते हैं जो कि इसकी संभावना तो अभी बहुत दिखायी नहीं देती पर कम से कम कल्पना तो लोग ऐसी कर ही सकते हैं तब फिर समझना चाहिये कि आखिर हमें कितनी जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिये। अभी कुछ दिन हुए सिडनी में क्वीन गयी थीं वहां पर दो हजार आदमी कोलेप्स हो गये और हेवी कैजेअल्टीज हुयीं। जितने मर जाते हैं वह कभी इसको बतलाते नहीं ताकि जनता में इस किस्म की बातें न फैलें। ऐसे ही आपको कल बतलाया गया कि जो कारोनेशन हुआ ७ हजार आदमी कोलाप्स हो गये। उनमें मरे तो होंगे थोड़े से ही लेकिन हुयी जरूर ऐसी घटना। लेकिन वहां ऐसी बातें नहीं बनायी गयीं जिससे देश में पैनिक फैले और बवंडर फैले। यह किसी देश की स्वतंत्रता के आगे बढ़ने के लिये अच्छा नहीं है कि जनता का ध्यान जो कुछ भी दुर्घटनायें हों उन्हीं की तरफ लगाया जाय और जो काम जिन्दा लोगों के लिये आगे करने को हो उस तरफ न ध्यान दिलाया जाय। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि थोड़े दिन हुये इंडिपेंडेंस डे अमेरिका में बरता गया तो क़रीब करीब ४०० आदमी मर गये। कुछ ट्रांसपोर्ट में, कुछ एरोप्लेन्स में, कई और ढंग से मरे और एक फायर ब्रिगेड से भी मरा। इन सब बातों के होते हुये भी वहां के लोग काम करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई आफत नागहानी आ गयी तो उसका वहां इस तरह से ढोल नहीं पीटा जाता। उसका भी मुकाबिला वहां के आदमी करते हैं बावजूद तमाम कोशिशों के कभी कभी इस किस्म की घटनायें हो ही जाती हैं। मुमकिन है कुछ इन्तजाम में कमी रह गयी हो। मैं नहीं कह सकता कि इन्तजाम जो इन्सान करता है उसमें कमी रह ही नहीं सकती क्योंकि ईश्वर तो कोई मनुष्य है नहीं, मनुष्य के जितने इन्तजाम होते हैं उनमें कोई दावा नहीं कर सकता कि गलती न होगी, वह भगवान पर भरोसा करके अपना कार्य करता है और आशा करता है कि जो कुछ कर रहा है उसका अच्छा प्रतिफल होगा। वहां पर देश विदेश से लोग आये। कई अमेरिकन्स आए। उन्होंने कहा और शायद प्रेस को यह मालूम होगा कि ऐसा इन्तजाम तो अमेरिका में भी नहीं होता।

श्री राजनारायण--हां, वहां दुनिया में सबसे अच्छा इन्तजाम था।

श्री गोविंद वल्लभ पंत--जो सब जगह देख आये हों वह खास तरीके से कह सकते हैं। मैं तो औरों की कही हुयी बात ही कह सकता हूं उनका यह कहना था कि और जगह ऐसा अच्छा इन्तजाम नहीं होता। इसके अलावा आप देखिये कि करीब एक महीने के यहां मेला रहा और जिन लोगों का वहां इन्तजाम था वे बराबर वहां काम करते रहे। इस खास मौके पर यह बात हो गयी। जहां तक सरकार का ताल्लुक है उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ३८०० के करीब वहां पुलिस थी जो वहां काम करने के लिये भेजी गयी थी। उस मेले के लिये खास तौर पर उसको तैनात किया गया था। उसमें एक सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, एक एस० पी०, ९ डी० एस० पी०, २९ इन्सपेक्टर, ८७ सब इन्सपेक्टर, २२० हेड कांस्टेबिल और ३,०४५ कांस्टेबिल थे। इसके अलावा जो मेले में और स्टाफ था उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं गोकि नदी के पाट की तरफ जमीन कम रह गयी थी फिर भी मेला एरिया बहुत बढ़ाया गया। १३०० एकड़ जमीन में मेला फैला हुआ था। १३०० एकड़ का इन्तजाम करना था। जो आदमी आये उन्होंने एक-एक इंच जमीन पर कब्जा कर लिया था। ऐसी हालत में इसका प्रबंध करना था। हर जगह के लिये इन्तजाम करना था। खाली पुलिस या खाली मैजिस्ट्रेट एक ही जगह नहीं आ सकते थे। एक जगह हो जायं तो दूसरी जगह घपला हो जाय। लेकिन बदकिस्मती से एक जगह पर यह दुर्घटना हो गयी जिसका हम लोगों को सबसे ज्यादा रंज है, रंज उनका जो बेचारे गये। मैंने दो दिन तीन और चार तारीख तक उनकी लाशों को देखा। जब मेरे सामने वह चित्र आता है तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी भावनायें क्या होती हैं। पर वे जानें तो चली ही गयीं। उनमें आम तौर पर ८० फी सैकड़ा औरतें थीं और जो थीं वे बड़ी कमजोर थीं और मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे थे जो दूसरों के दान से अपनी दिनचर्या करते थे, जिनका और कोई ढंग नहीं था। इसी तरह ज्यादातर आदमी थे, पर वे जानें गयीं। अब तक मुझे यह यकीन है कि साढ़े तीन सौ या चार सौ के बीच में मौतें हुयीं, इससे ज्यादा नहीं हुयीं। मैं जब वहां तीन तारीख को शाम को गया इस तरह की इत्तिला मिलने पर कि कहीं कुछ हो गया तो वहां किसी बात को जानते हुये भी मैंने चाहा कि पूरी बात मालूम करूं और वहां जाकर पूछा उन लोगों से जो एस० पी० थे और जो दूसरे अफसर थे उनसे मैंने वहां पर मालूम किया। मेरे जाने के पहले जो "स्टेट्समैन" के रिप्रेजेन्टेटिव वहां पर थे उन्होंने भी लाशों को देखा था उन्होंने ३५० के करीब लाशों को गिना था। मैं भी गया और मैंने भी देखा और जिन्होंने वहां पर काम किया था उनसे भी मालूम किया। तो मेरा ख्याल यह है कि ३५० के करीब वहां पर आदमी मरे। मुमकिन है कि कि ३५० से ज्यादा १०-५ और हों। मगर १ हजार या २ हजार की जो बात कही जाती है वह बिलकुल बेबुनियाद है।

श्री राजनारायण--आपने वहां पर प्रेस कांफ्रेंस भी तो की थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां, प्रेस कांफ्रेंस की थी।

श्री राजनारायण--तो किसी पत्रकार ने इन फिगर्स का विरोध किया था।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--किसी पत्रकार ने विरोध किया था तो उसने गिना होगा और उनके इल्म में होगा। मगर वह कौन था उसका नाम तो नहीं आया मैंने तो ऐसे पत्रकार का नाम लिया जिसने उनको गिना था और खुद गिना था। उन्होंने मुझसे वहां पर कहा कि इतनी लाशें हैं। दूसरे किसी ने नहीं कहा कि मैंने गिनी थीं और वह इतनी हैं। बहरहाल ३५० से ज्यादा होतीं तो उनका भी दुख होता और ज्यादा दुख होता। परन्तु ३५० का मरना भी बहुत काफी है और इसका काफी दुख है हमारे लिये तो यह एक संकट है और एक ऐसी यह अवस्था पैदा हो गयी जिससे जो किया गया वह सब धुल जाय। उस वक्त भी जब मैं वहां पर गया था तो यह कहा था कि भाई, इस दुर्घटना का नतीजा यह होगा कि जो कुछ अभी तक

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

किया गया वह सब धुल जायगा। अब जो यह दुर्घटना हो गयी है तो इसी बात का जिकर हुआ करेगा। वही बात तब से हुयी। अब कहा जाता है कि वहां पर पुलिस नहीं रही वह तो वी० आई० पी० लोगों को देखने के लिये रखी गयी। मैं यह कह सकता हूं कि एक भी आदमी पुलिस का किसी और के साथ नहीं गया। कोई पुलिस या पुलिस का अफसर एक क्षण के लिये भी किसी के साथ नहीं गया। सारी पुलिस वहां के लिये इधर मार्क्ड थी। हमारे प्रेसीडेन्ट को खुद फाफामऊ से जाना पड़ा क्योंकि सीधे रास्ते से जाने में दिक्कत होती थी तो वह फाफामऊ होकर गये। और लोगों को भी इस तरह से जाना पड़ा कि घंटों आने जाने में लगा। मुझे दुख है कि यहां पर यह बात कही गयी कि वी०आई० पी० उनको पसन्द नहीं और यह शब्द कहां से ढाला गया यह मैं नहीं जानता। जब उनकी जरूरत हुई तो यह बात हुयी है। मैं समझता हूं कि मनुस्मृति को देखते हुये इस बात को नहीं कहना चाहिये और साथ ही यह भी समझना चाहिये कि यह गम्भीर बातें हैं और यह बातें किसी आधार पर होनी चाहिये। यह जो वहां पर बड़े-बड़े गये थे प्रेसीडेन्ट गये, प्राइम मिनिस्टर गये हमारे गवर्नर भी गये और और लोग भी गये थे उन सब की यह इच्छा थी कि हम इस तरह से यहां पर काम करें कि जिससे किसी को कोई बाधा न हो और किसी से कुछ नहीं कहा गया।

यह भी कहा गया कि विधानचन्द्र राय जब आये तो उनके लिये पुल बन्द कर दिया गया। यह बात सही है कि वह इलाहाबाद आये लेकिन वह वी०आई०पी० कैम्प में नहीं गए। वह बाहर ही रहे। अपने किसी नातेदार के यहां रहे और वहीं से वह चले गये। और फिर जहां तक हमारे आफिसर्स का ताल्लुक है उनको इल्म नहीं है कि विधानचन्द्र वहां पर आये थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि विधानचन्द्र वहां पर मेले में नहीं गये और किसी ने कोई पुल उनके लिये बन्द नहीं किया। प्रेसीडेन्ट के लिये भी कोई पुल बन्द नहीं किया गया और वह निरन्तर काम करते रहे। इसी तरह से और भी बातें कही जाती हैं जिनका कि कोई आधार नहीं है।

फिर यह भी कहा गया कि यह तो लोगों को मालूम था परन्तु फिर भी लोग पार्टी में शरीक हुये और यह पार्टी की गयी मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इस पार्टी में कौन सी ऐसी चीज समझी जाती है कि जिससे यह ख्याल किया जाता है कि ऐसी दुर्घटना सुनकर भी हम लोग उस पार्टी को नहीं छोड़ सकते थे। आखिर पार्टी २,४ आदमियों की ही तो थी नहीं। उसमें प्रयाग के सभी गण्यमान्य लोग आये थे और किसी ने भी यह नहीं कहा कि ऐसी दुर्घटना हुयी। वास्तव में जब तक हम वहां नहीं गये तब तक किसी को इस दुर्घटना की इत्तिला नहीं थी। मैं जब सवा चार बजे गवर्नमेंट हाउस में पहुंचा तो पंजाब के गवर्नर वहां आये थे और उनके बारे में कुछ इंतजाम के लिये कहा गया था तो मुझे कहा गया कि किसी ने यह कहा है कि उनका इंतजाम नहीं हो सकता। इसके ऊपर गवर्नर की ओर से हिदायत हुयी कि मालूम करो फौरन कि क्या बात हुयी। मगर कोई इत्तिला मालूम नहीं हो सकी क्योंकि टेलीफोन भी वहां बहुत अधिक बिजी होने से काम नहीं कर सकते थे। मगर कुछ शंका मुझे हुयी कि कोई बात है जिसे मुझे देखना चाहिये। मैं और जवाहरलाल जी उठकर गये और हमने लोगों से पूछा कि क्या बात हुयी है। वहां बुलाकर कंट्रोल रूम में बातें कीं और उनसे पहली दफा मालूम हुआ कि यह दुर्घटना हुयी। उसके बाद हमने प्रेस वालों से बातें कीं और मैं तमाम अस्पतालों में घूमा और देखा कि जख्मी लोगों की क्या अवस्था है और मुझे जो कुछ कहना था उनसे कहा। फिर जहां लोग मरे हुये पड़े थे उनको मैंने देखा और उनके बारे में मैंने हिदायतें दीं कि उन्हें मिट्टी में न रखा जाय और नीचे कुछ बिछाना चाहिये। फिर टाट का इंतजाम किया गया और कहा कि उनको ऊपर से ढक दो। उनकी तस्वीरें ले ली गयीं और मैंने कहा कि जो कोई किसी लाश को मांगता है, दे दो और जिनके पास पैसा न हो उनको पैसा भी और वापसी का खर्चा भी दे दो। इन सब बातों के बाद मैं देर से गवर्नमेंट हाउस में पहुंचा और करीब-करीब सब लोग सो चुके थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय चन्द्रभानु गुप्त भी आपके साथ मौके पर गये थे ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—जब मैं हास्पिटल में मरीजों को देख रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि चन्द्रभानु जी भी आये हुये हैं और मैंने चाहा कि उनसे मिलूं । मालूम हुआ कि कन्ट्रोल रूम में हैं जहां मैं गया और उनसे मेरी मुलाकात हुई तब हमने बातें कीं। वह तब तक एक दफा मरे हुये लोगों के पास हो आये थे। उन्होंने कहा कि रोशनी कम थी शिनाख्त के लिये और मैंने हिदायत दे रखी है कि यहां रोशनी बढ़ायी जाय फिर वह और मैं साथ गये और वहां मरे हुये लोगों को देखा । मैं नहीं जानता कि विरोधी दल के नेता का सिर हिलाने से क्या मतलब है। अगर वह यह बात कहें कि जो बातें इस सदन का कोई सदस्य कहता है वह गलत कह रहा है तो उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता अगर वह यह कहते हैं कि जो बातें मैं पर्सनली देख कर कह रहा हूं वह ग़लत है तो उनसे मुझे कोई बात नहीं सुननी है और न सफाई देनी है। अगर सौजन्यता की कोई सीमा होती है तो उसी के अन्दर बातें हो सकती हैं।

फिर उसके बाद वह और मैं डाइरेक्टर के वहां पर आये। उनको कुछ हिदायतें दीं कि क्या करना चाहिये और उसके बाद उस जगह भी मैं गया जहां कि यह घटना हुयी थी। और उसको देखने के बाद फिर मैं चला गया ।

इसकी भी बहुत चर्चा हुयी कि गवर्नर के यहां डांस और म्युजिक पार्टी हुयी। मैं गवर्नर से इस बारे में मिला और मुझे मालूम हुआ कि वहां कोई डांस नहीं हुआ । वहां एक लड़का था जो कम उम्र का था उसने १५–२० मिनट गाया और उस वक्त वहां सिवाय गवर्नर और प्रेसीडेन्ट के और कोई आदमी नहीं था और उस समय तक उन लोगों को ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली थी जो कि हम लोगों को मिली। रिपोर्ट मिली हो या न मिली हो वह डांस और पार्टी हो नहीं सकती जिसमें एक लड़के ने केवल चन्द मिनट गाया हो और उस चीज को इतना महत्व दिया गया और इतनी टीका टिप्पणी उसकी की गयी। यह सिर्फ लैक आफ सेंस आफ प्रोपोर्शन ऐंड पर्सपैक्टिव ही कहा जा सकता है। इसके लिये हमने अब एक कमेटी मुकर्रर की है और उस कमेटी में हमने ऐसे आदमी जो नानआफिशियल ही कहे जा सकते हैं रक्खे हैं उनमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा एक ऐक्सपर्ट को रक्खा लेकिन अब उस कमेटी पर भी लांछन लगाया जाता है। हमारी तरफ से ऊंचे से ऊंचे आदमियों और निष्पक्ष लोगों को ही रक्खा जाता है लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया जाता। मैं नहीं समझ सकता कि सारा अविश्वास हमें कहां ले जायगा। प्रेसीडेन्ट की बात को सही नहीं माना जाता, प्राइम मिनिस्टर की बात को सही नहीं माना जाता तो फिर हमारा यह सार्वजनिक जीवन कैसे चलेगा। यह एक बहुत बड़ी बात है इसके होते हुये मैं नहीं समझता कि हमारे सार्वजनिक जीवन का आधार क्या होगा और किस आधार पर वह कायम रह सकता है। किसी ने यह कहा कि हममें निष्ठुरता है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि किसी की तकलीफ को देखकर हमको दूसरों से कहीं ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि हमारा जीवन भर ऐसा ही रहा है। किसी की तकलीफ को देखकर हमें खुशी नहीं हो सकती और न ऐसी हालत में हम खुशी मना ही सकते हैं। यह बात तो हमारे मिजाज और कल्चर के ही खिलाफ है, हमारी लाइफ लांग हैबिट के ही खिलाफ है। गांधी जी के साथ रह कर जो थोड़ा बहुत प्रभाव हम पर पड़ा है, उनका उसके विरुद्ध है। हरएक चीज को पोलीटिकली एक्सप्लाएट करने से किसी प्रकार भी देश का हित नहीं हो सकता।

मेरे सामने वहां के कलेक्टर का एक बयान भी है। मैं उसकी मैरिट पर तो नहीं जाऊंगा लेकिन उसका एक हिस्सा इस प्रकार से है—

"Ordinarily it was difficult to get phones for hours even before the 2nd. of Feb. That day it was impossible to get the connection for any

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

place. Only moving wireless was in use. All the officials were at various places on their duties and it was almost impossible for them to leave their posts because everywhere the crowd was beyond calculation. They could not be called to that place. They also did not get any information about this incident D. M. got the correct news at about 4 p. m, Rumours were of various kinds. . . . . ."

[२ फरवरी के पहिले भी टेलीफोन मिलना कठिन था और उसमें घंटों लग जाते थे। उस दिन तो किसी भी जगह के लिये कनेक्शन मिलना असम्भव था। केवल चल वायर्लेस का प्रयोग हो रहा था। सभी सरकारी कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उनके लिये अपने स्थान छोड़ना असम्भव प्राय था क्योंकि हर जगह असंख्य भीड़ थी। उन्हें उस स्थान पर नहीं बुलाया जा सकता था। उन्हें इस घटना की खबर भी नहीं मिली। जिलाधीश को ठीक सूचना लगभग चार बजे दोपहर बाद मिली। कई प्रकार के जनप्रवाद जारी थे . . .]

अब आप ही समझ लें कि वहाँ पर ३०, ४० लाख आदमी जमा थे उसमें जब मजमा एक ही स्थान पर लोकेशाइज हो गया था तो जो आदमी जहां था वहीं रह गया। जब हजारों और लाखों की तादाद में लोग एक ही जगह जमा हों तो हर आफीसर का यह फर्ज भी है कि वह अपनी जगह पर अड़ा रहे। इतने बड़े भारी मेले में यह ऐसी बात है जिसके ऊपर तसल्ली की जा सकती है और बड़े से बड़े हादसे का हम मुकाबला कर सकते हैं। एक बड़ी चीज का ध्यान रख कर इस तरह से उसको हासिल कर लेना कोई छोटी बात नहीं है।

यह कहना कि वहां यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ और कोई गया? किसी ने कोई दिलचस्पी ली? मैं समझता हूं कि सिवा कांग्रेस सेवा दल के लोगों के जो काफी तादाद में वहां थे, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिनमें परमानन्द सिंह जी थे। क्या और लोगों ने या पी०एस०पी० ने अपना वहां कोई वालंटियर फोर्स रखा? क्या वे सिर्फ इसी बात को लोगों की खिदमत समझते हैं और इसी में अपनी मुहब्बत का इजहार करना चाहते हैं कि उनको इस बात की काफी गुंजाइश है कि इसके लिये औरों को कोसते रहें? जो मर गये वे तो मर ही गये लेकिन जो बच गये उनको भी कोसते रहें? मगर वे करें भी क्या? उनको और किसी कार्य के लिये फुर्सत ही कहां है सिवा इसके कि इन्हीं सब बातों में अपने समय का इस्तेमाल करते रहें? जिन लोगों को मालूम है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से इस प्रकार की दुर्घटना हुयी। इन सब बातों के आधार पर हमने भी अपनी कुछ राय कायम की मगर फिर भी हमने एक कमेटी मुकर्रर की। मैं तो कतई तौर पर यह नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ, मुमकिन है कि कमेटी को कोई बात मालूम हो जिसे तफसील में जाकर वह बतला सके। इसलिये उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

मैं इतना और कहना चाहता हूं कि हादसे के कारणों के लिये कोई आदमी जो कह सकता है वह यही कह सकता है कि साहब गफलत हो गयी। आखिर गफलत हुयी भी तो किसकी हुयी? अगर वहां कोई गड्ढा था तो उस गड्ढे को तो सब लोगों ने देखा होगा। जो मेला कमेटी थी उसमें ४५ मेम्बर थे जिनमें शायद ३० से ज्यादा नानआफिशियल थे लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि मेले के इन्तजाम में यह कमी है या इस खड्ड को जरूर भरा जाय ऐसी बात किसी ने नहीं कही। फिर बार-बार वी०आई०पी० का जिक्र किया जाता है तो उसके लिये मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि एक बाड़ा था जिसमें शायद १७ या १८ टेंट लगे थे। उसमें इस तरह का इन्तजाम किया गया था कि गवर्नर हों, चीफ मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों या और भी किसी स्टेट के मिनिस्टर हों, क्योंकि बहुतों ने लिखा था कि हम आने वाले हैं, स्पीकर हों या किसी भी पार्टी के कोई बड़े आदमी हों उनके बैठान और ठहराने का वहां इन्तजाम था। और यह तो हमारा फर्ज भी है कि जब हम होस्ट

हैं तो कम से कम बाहर से आने वालों के ठहरने आदि का इन्तजाम तो अवश्य ही करें। यह कहना कि उनको लेकर इधर-उधर घूमते फिरे यह बहुत हद तक इंसाफ की बात नहीं है, सही बात नहीं है। क्योंकि जिस रोज हादसा हुआ उस रोज जिस वक्त मुझे इसकी खबर मिली उसी समय पंडित जवाहर लाल जी को भी खबर मिली। जिस समय उन्हें यह मालूम हुआ उस वक्त उनकी जो हालत थी उसको प्रेस वालों ने भी देखा और वे समझते होंगे कि उनके माइंड पर इसका क्या असर था। मगर फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर सेंस आफ प्रोपोर्शन कायम रखना चाहिये। चूंकि हमारी बदकिस्मती से यह हादसा हुआ और इसमें जिन लोगों के भी प्राण गये उनके लिये हमें बड़ा भारी दुख है। इसमें हमें बड़ा भारी धक्का लगा और हमारे प्रदेश पर यह एक ऐसा धब्बा लग गया जो सफेद चादर पर एक दाग सा डाल गया। और उसकी वजह से हमने जो कुछ भी किया था वह सब किया कराया बेकार हो गया। अब हम यही कहेंगे कि हम सब लोग मिल कर आयन्दा के लिये यही कोशिश करें कि ऐसी दुर्घटना कभी न हो और चाहे कितना बड़ा मेला हो या कोई जमाव हो उनका प्रबन्ध हम अच्छी तरह कर सकें।

इसके अलावा कई और बातें कही गयी हैं। खास तौर पर गन्ने के बारे में कहा गया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आज हमारे कुछ साथी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं वे आज यहां नहीं हैं और इस गन्ना स्ट्राइक के सिलसिले में दूसरी जगहों में हैं। मुझे इसकी काफी तकलीफ है और उनमें से कुछ के लिये खास तौर पर मुझे एक मुहब्बत सी है। परन्तु कानून बरतना पड़ता है। कुछ इस तरह की बातें कही गयीं कि हम मिलमालिकों का साथ दे रहे हैं और हम काश्तकारों को नुक्सान पहुंचाते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो धारणा रखी गयी है बिलकुल ग़लत है। शुगर इंडस्ट्री में जो हमारी दिलचस्पी है वह सिर्फ दो सबब से है। एक तो यह कि बाहर से शक्कर आवे तो करोड़ों बाहर जावे और दूसरा यह कि यहां के लाखों और करोड़ों हमारे प्रदेश के किसानों की आर्थिक अवस्था इस शुगर इंडस्ट्री के बढ़ावे पर और इसकी तरक्की पर निर्भर है। यह दो बातें हैं जो कि हमें खास तौर पर शुगर इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखने के लिये मजबूर करती हैं। हम जरूर मिल मालिकों का भी भला चाहते हैं और मिल मालिकों के साथ इंसाफ चाहते हैं मगर उस इंसाफ के माने यह हैं कि मिल मालिक काश्तकारों के साथ, मजदूरों के साथ इंसाफ करें और उदारता दिखावें, केवल इंसाफ ही नहीं। इस लिये हमारी दिलचस्पी उसमें है। आखिर यह सिलसिला शुरू कैसे हुआ? आप जानते हैं कि इस साल गन्ने की क़ीमत पारसाल के मुकाबिले में ज्यादा है। पारसाल एक रुपए ५ आने थी और अब की एक रुपये ७ आने हैं। तो कम नहीं है ज्यादा है। लेकिन इस बात का उनका कहना नहीं था उनका कहना जो खास तौर से था, वह यह था कि जिस क़ीमत पर गन्ने की क़ीमत रखी गयी है उसके हिसाब से जो भाव शक्कर का होना चाहिये कन्ज्यूमर को उससे ज्यादा मंहगी शक्कर मिलती है। इसलिये कोई हिस्सा मुनाफे का उसमें से काश्तकारों को मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि सही बात है। मैं इस उसूल को सही समझता हूं कि जब जिस क़ीमत पर गन्ना लिया जाता है उस हिसाब से जिस क़ीमत पर शक्कर बिकनी चाहिये उससे ज्यादा क़ीमत पर अगर शक्कर बिकती है तो उसमें काश्तकार हिस्सेदार हैं और उनको मिलना चाहिये। इसलिये हमने वह बात मंजूर की और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी मंजूर की। यों तो जो कुछ भी फैसला हो वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के अख्तियार में है ही हमारे अख्तियार में नहीं है। पर असल में जो बातें हुईं वह हम भी समझते हैं कि ठीक ही हुई। मैंने काफी बातें अपने दोस्तों से कीं जो इस मामले से दिलचस्पी रखते थे और मैं समझता था कि वह भी मेरी बातों को मान रहे हैं और उनको भी यह लग रहा है कि ठीक है ऐसा हो। लेकिन बावजूद इसके बदकिस्मती से सब ने इसको बिदड़ा नहीं किया। पी० एस० पी० ने समझा कि स्ट्राइक रहनी चाहिये और उन्होंने स्ट्राइक चलाई। इससे भी यह हुआ कि अगर कोई आदमी अपना गन्ना न ले जाना चाहे तो उसको इजाजत है ना लेजाय, कोई मजबूर नहीं करता कि तुम गन्ना ले जाओ। रिजर्व्ड एरिया वगैरा के कानून हैं वह मैं नहीं जानता लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जाना चाहिये और नहीं किया जाता है। मगर यह बात सब को माननी चाहिये कि

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

अगर न लाया जाय तो ठीक है मगर अगर लाया जाय और न लाने दिया जाय तो फिर क्या किया जाय ? कोई गाड़ी ले जाय और मिल के फाटक में ले जाय और उस फाटक पर चार आदमी पड़ जायं कि तुम पहले बैलों से छेद डालो तब हम जाने देंगे और उसका जाना गैर मुमकिन कर दें तो फिर क्या किया जाय ? जो लोग चाहते हैं कि कलेक्टिव बारगेनिंग का प्रिंसिपुल बना रहे वह क्या चाहते हैं कि कोअर्शन हो या वालन्टरी तरीके से आदमी का अपना कलेक्टिव डेसीजन हो ? और अगर इसमें कोअर्शन होने लगे तो वह बात कभी नहीं चल सकती, वह कानून के खिलाफ है और उससे बड़ा नुक़सान है । जितने लोग पकड़े गये सब के लिये यही बात आयी है कि जब कि उन्होंने फोर्स किया और उनको आने नहीं दिया और उनका आना गैर मुमकिन कर दिया तब जबरदस्ती यह किया गया । मगर इस बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता । यह मामला मुमकिन है कि और भी कहीं जाय और वहां उसका क्या फैसला हो लेकिन मुझे तो जो रिपोर्ट मिली है मैं सिर्फ उस बात को कह सकता हूं उससे ज्यादा मुझे कहना नहीं है मगर मैं जानता हूं कि आफिसर्स जब तक जबर्दस्ती न हो तब तक यह सब कुछ करना नहीं चाहते । जो यह कहा जाता है कि मिल मालिकों से हमदर्दी है, कितने मिल मालिकों की मिलों को हमने अपने हाथ में ले लिया और उन पर ऐडमिनिस्ट्रेटर अप्वाइंट कर दिया, कितने मिल मालिकों पर मुक़दमें किये, डिग्रियां कीं और उनकी मिलें बन्द हैं इस वास्ते कि वे काश्तकारों को पैसा नहीं देते, फिर भी यह कहना कि हम इन्साफ नहीं करते या हम मिल मालिकों का साथ देते हैं यह सही बात नहीं है, बिल्कुल ग़लत बात है । यह समझना चाहिये कि हम काश्तकारों की ख़िदमत करना चाहते हैं ।

सदन की बैठक के समय में वृद्धि

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि दस मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--यानी आप को बोलना है ।

श्री रामनरेश शुक्ल--जी हां ।

श्री अध्यक्ष---अच्छी बात है मैं राय ले लेता हूं । क्या माननीय सदस्य की यह राय है कि दस मिनट का समय बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर वादविवाद (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पंत)---इस बारे में अब सब जगह, जहां तक मेरी इत्तिला है, गन्ना आ रहा है । गन्ना एक ऐसी चीज है जो कि थोड़े दिनों में ख़राब हो जाता है । उसके ख़राब हो जाने से फिर काश्तकार को कोई पैसा नहीं मिल सकता और जो शक्कर बन सकती है वह भी नहीं बन सकती । नतीजा यह होगा कि शक्कर की क़ीमत शायद और बढ़ जाय । और विदेश से और शक्कर मगानी पड़े फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे प्रदेश की एक बुनियादी इंडस्ट्री शुगर की है जो कि एक नेशनल इंडस्ट्री है और जिससे लाखों किसानों का ताल्लुक़ है । मगर हमें यह समझना चाहिये कि हमारे प्रदेश से साउथ में कई जगह रिकवरी ज्यादा होती है । उनका सीज़न बड़ा होता है । उनको नफा ज्यादा हो सकता है । इसलिये हमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जिससे यह इंडस्ट्री यहां की हिल जाय और फिर दूसरी जगह लोगों को ज्यादा मौका मिले कि वह इस इंडस्ट्री को यहां से उठा कर ले जायें । यह हमारे लिये बड़ी भारी ख़तरनाक बात होगी और जो लोग कुछ भी इन किसानों

के साथ हमदर्दी रखते हैं उनको इस बात को भूलना नहीं चाहिये कि यह इंडस्ट्री बनी रहनी चाहिये हमारे प्रदेश में, ताकि इसके द्वारा लाखों आदमियों को जो करोड़ों रुपया मिलता है जिससे उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी हो सकती है उसमें कोई कमी न हो। हमारा तो एक ही अपनी तरफ से जहां तक हमारी समझ हो सकती है कर्तव्य है और वह यह है कि इस प्रदेश को ऊंचा उठाना। यहां की साधारण जनसत्ता को बढ़ाना, और सब को इस योग्य बनाना कि स्वावलम्बी हो सकें और खास कर इस वक्त अनइम्प्लायमेंट का इलाज करना है और स्माल स्केल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। ऐग्रीकल्चर में तो मैं समझता हूं कि हमने अपनी जरूरत पूरी करने के लिये बहुत कुछ किया है। पर यह बातें और हैं जिन पर हमें खास तवज्जह देनी है। इसके अलावा ऐडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को भी अच्छा करने का यत्न करना है। पर हमको छोटी बातों से ऊंचे उठने की जरूरत है और उस प्राचीन देश में जो कि किसी जमाने में दुनिया में एक बहुत ऊंचा स्थान रखता था, हमारी आज तो एक ही लगन होनी चाहिये कि हमें फिर ऐसा अवसर मिले कि हम इसको वैसा ही ऊंचा उठा सकें और सर्वत्र इसके द्वारा शान्ति और कल्याण हो सके।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं कि अब बहस बन्द की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनरेश शुक्ल --माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब मैं बोलना उचित नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष--जो प्रस्ताव सदन के सामने हैं, उस पर १५ संशोधन हैं। राय लेने का तरीक़ा आज मैं यह रखता हूं। दस ही मिनट बाक़ी हैं और अगर मैं एक एक पर राय लूं तो सब पूरे नहीं हो पायेंगे। नियम के अनुसार दो तरीक़े राय लेने के होते हैं। एक तरीका यह है कि मूल प्रस्ताव को ले लें और वह मूल प्रस्ताव अगर स्वीकृत हो जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि बाक़ी जितने संशोधन हैं वे गिर जायंगे, और अगर मूल प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तो मैं हर संशोधन के प्रस्ताव पर वोट लूंगा और जो प्रस्ताव स्वीकृत हो जायगा, उस संशोधन के साथ मूल प्रस्ताव फिर लिया जाय। इसलिये मैंने आप को आगाह कर दिया। मैं मूल प्रस्ताव ही लेता हूं। अगर यह स्वीकृत हो गया तो इसका नतीजा यह होगा कि संशोधन गिर जायंगे।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों को दिया है, हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१३७

विपक्ष में--१७)

आगामी सप्ताह का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछूंगा कि अगले हफ्ते का कार्यक्रम क्या होगा। कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—पहले मैं जरा १६ और १७ तारीख का बतला दूं फिर और बतलाऊंगा।

१६ फरवरी को १९५३–५४ के द्वितीय अनुपूरक पर सामान्य वादविवाद, १७ फरवरी को द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान।

तृतीय अनुपूरक अनुदान से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उसपर विचार तथा उसका पारित होना, ५ बजे के बाद।

१५, १८, १९ फरवरी को पहले तो कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करेंगे। दूसरे उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूबवेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसको पारित करने का प्रस्ताव। इसके बाद प्रवर समिति द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश बिक्री कर विधेयक, १९५३, पर विचार तथा उसको पारित करने का प्रस्ताव। इसके बाद राजस्व मंत्री प्रवर समिति द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश एनकम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री कैटिल ट्रेसपास उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर विचार करने और उसे पारित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

२० फरवरी को १९५४–५५ के आय-व्ययक को प्रस्तुत किया जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १२ मिनट पर सोमवार १५ फरवरी, १९५४ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश,

लखनऊ;
१३, फरवरी १९५४।

पं० एस० यू० पी० ए० पी० १३० एल०ए०—१९५४—८५०।